लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On 1-9-92
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LI Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—232 LSS/75

विषय सूची/CONTENTS

अंक 34, बुधवार, 16 अप्रैल, 1975/26 चैत्र, 1897 (शक)

No. 34, *Wednesday, April* 16, 1975/*Chaitra* 26, 1897 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 648 से 651, 653, 656, 658 और 659	*Starred Questions Nos. 648 to 651, 653, 656, 658 and 659..	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 652, 654, 655, 657 और 660 से 667	Starred Questions Nos. 652, 654, 655, 657 and 660 to 667 ..	18—28
अतारांकित प्रश्न संख्या 6278 से 6312, 6316 से 6350, 6352 से 6426, 6428, 6429, 6431 से 6447, 6449 से 6464, 6467, 6468 और 6470 से 6477	Unstarred Questions Nos. 6278 to 6312, 6316 to 6350, 6352 to 6426, 6428, 6429, 6431 to 6447, 6449 to 6464, 6467, 6468, and 6470 to 6477	28—140
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	140—142
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance ..	142
भिलाई इस्पात संयंत्र का काम रोकने के लिए किए जा रहे कथित प्रयास	Reported attempts to stop work in Bhilai Steel Plant	142—147
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	147
कोलार स्थित सोने की खानों में हड़ताल के बारे में	*Re.* Strike in Kolar Gold Mines..	147
राजस्थान और गुजरात में आदिवासियों की कथित मृत्यु के बारे में वक्तव्य—	Statement *Re.* Reported Death of Adivasis in Rajasthan and Gujarat— ..	148
श्री शाह नवाज खां	Shri Shahnawaz Khan ..	148

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अनुदानों की मांगें, 1975-76—	Demands for Grants, 1975-76—	
विदेश मंत्रालय	Ministry of External Affairs ..	149
श्री इराज्मुद सेकैरा	Shri Erasmo de. Sequeira ..	149
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin ..	150—151
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ..	151—153
श्री बिश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy ..	153
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C.H. Mohamed Koya ..	153—154
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan ..	154—155
श्री राम सहाय पांडे	Shri Ram Sahai Pandey ..	155
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil ..	155—156
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga ..	156
श्री डी० पी० जदेजा	Shri D.P. Jadeja ..	157
श्री शिवाजी राव एस० देशमुख	Shri Shivaji Rao S. Deshmukh	158
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishnan ..	159
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan ..	159
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence ..	165
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharrya ..	168
श्री बृजराज सिंह	Shri Brij Raj Singh—Kotah ..	169
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik ..	172
श्री पन्ना लाल बारुपाल	Shri Panna Lal Barupal	172
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee ..	173
श्री बिश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy ..	174

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 16 अप्रैल, 1975/26 चैत्र, 1897 (शक)

Wednesday, April 16, 1975/Chaitra 26, 1897 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, मैंने एक प्रस्ताव भेजा था . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह रोजमर्रा की बात हो गई है। मैं आपको इसे पेश करने की अनुमति नहीं दूंगा और न ही यह रिकार्ड में आएगा।

Setting up of Television News Department

***648. Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) whether it has been decided to set up a "Television News Department" at each Television Centre with a view to improve news telecast;

(*b*) whether some officers have recently returned after receiving training from B.B.C. London in this regard; and

(*c*) if so, the names of Television Centres where the "Television News Department" will be set up and the time by which it is likely to start functioning there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Vir Sinha) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) Yes, Sir.

(*c*) The proposals for setting up "TV News & Current Affairs Department" at the existing TV Stations viz. Delhi, Bombay, Srinagar and Amritsar have been framed and are undergoing financial scrutiny. The new set-up will come into existence after financial clearance.

Shri Lalji Bhai : Mr. Speaker, may I know whether TV News, Departments will be set up at Calcutta and Madras ? Whether Government have such a proposal and if so, whether this is being considered ? In case news departments are set up at these places how many persons will be employed there and on what posts ?

Mr. Speaker : The question you are asking has no bearing with the original question. It is a different one.

Shri Lalji Bhai : I want to know the post-wise number of persons to be employed in these four TV news departments.

Mr. Speaker : I could not follow still. If you have followed him please tell us.

श्री एस० एम० बनर्जी : वह जानना चाहते हैं कि इस एजेंसी में कितने व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे ।

Mr. Speaker : He should be thankful for your help. But the information he is seeking has no relevance with the question.

Shri Lalji Bhai: I want to know the percentage reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in these TV News Departments and the post-wise number of employees to be appointed in these departments ?

Mr. Speaker : I do not want you to repeat the question. The information you are asking is not available in the question. The Ministers have to come prepared for your questions. But whatever information you seek it should be relevant to the main question.

Shri Lalji Bhai : The Hon. Minster has said that it has been decided to set up separate news departments at four TV Centres. I want to know the post-wise number of persons to be employed there.

Shri Dharam Bir Sinha : I have already stated that this is being considered, its financial aspect is being examined. The decision with regard to appointments will be taken only after a final decision in regard to setting up of the departments has been taken.

Shri Lalji Bhai : Whether some officials are proposed to be deputed abroad for receiving training in TV News education, and if so, when and how many and the countries to which they will be sent ? What sort of special facilities will be available to the officers who are proposed to be appointed at these news departments.

Shri Dharam Bir Sinha : The officials will be sent abroad for training as and when it is considered necessary.

Shri Lalji Bhai : Mr. Speaker, my question has not been answered. What will be the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the appointments to be made in these news departments ?

Mr. Speaker : Let the departments be set up first.

Shri Lalji Bhai : They have already been set up.

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न है :

"यदि हां, तो किन-किन टेलीविजन केन्द्रों में टेलीविजन समाचार विभाग स्थापित किये जायेंगे और वे वहां कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ।"

The information you are asking is not covered by this question.

Shri B. S. Bhaura : The object of setting up of Amritsar Television Station was to counteract the propaganda being launched by Lahore Radio Station. Whether Government propose to set up separate news agency section for Panjab where news might be collected and which should be located at Amritsar or at any other suitable place in Panjab ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri I. K. Gujaral) : At first, I would like to make it clear that the Amritsar T. V. Station was not set up to counteract the propoganda made by Lahore. This has been opened for the people and for the people of Panjab. As for the news collection system, it shall be considered after the Jullunder Studio has been completed. For the time being news bulletin is being telecast from Amritsar.

श्री इन्द्र जीत गुप्त : क्या मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाई गई है कि समाचार प्रसारित करने वालों में इस बात के लिए असंतोष है कि उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां गुण-दोषों के आधार पर निश्चित नहीं की गई हैं और उन्हें मनमाने ढंग से निश्चित किया गया है। यदि हां, तो क्या कोई स्वतंत्र मूल्यांकन समिति नियुक्त करने का विचार है जो इस संबंध में उपचारात्मक उपायों का सुझाव दे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : टेलीविजन स्टेशन में किसी प्रकार के असंतोष व्याप्त होने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह बात मेरे ध्यान में नहीं लाई गई है। किस व्यक्ति को कौन सा दायित्व सौंपा जाए यह देखना स्टेशन निदेशक की जिम्मेदारी है। जहां तक कार्य-क्रमों के मूल्यांकन का संबंध है यह काम समय-समय पर किया जाता है ताकि समग्र रूप से कुशलता लाई जा सके और इस कार्य में बाहर के व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है। फिर भी जो कुछ मेरे प्रिय मित्र ने कहा है मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं।

महाराष्ट्र में ब्लाक मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाया जाना

*649. **श्री अर्जुन श्रीपत कस्तुरे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए ब्लाक मुखयालयों को 'केटेगरी" स्टेशन घोषित किए जाने के बाद, डाक तथा तार विभाग ने महाराष्ट्र में ब्लाक मुख्यालयों में सार्व-जनिक टेलीफोन लगाने के कार्य को कोई प्राथमिकता दी है;

(द) यदि हां, तो महाराष्ट्र के उन ब्लाक मुख्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें अभी तक सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) ब्लाक मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण हैं और उसकी व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) पी० सी० ओ० की व्यवस्था करने के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना के नीति निर्देशक कार्यक्रम में प्रशासनिक महत्व के उपयुक्त स्थानों में खंड मुख्यालयों को शामिल किया गया है। इन स्थानों में घाटा उठाकर भी पी० सी० ओ० खोले जा सकते हैं, बशर्तें कि अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम-से-कम 25% हो। पिछड़े और पहाड़ी इलाकों के मामले में न्यूनतम अनुमानित आय क्रमशः 15% और 10% होनी चाहिए।

महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों में एसे स्थानों पर पी० सी० ओ० खोलने के लिए कोई भी पारस्परिक प्राथमिकता नहीं दी गई है।

(ख) महाराष्ट्र में 220 खंड मुख्यालयों में से बुलडाना जिले का संग्रामपुर ही एक ऐसा खंड मुख्यालय है जहां अभी तक पी० सी० ओ० की व्यवस्था नहीं हुई है।

(ग) संग्रामपुर में पी० सी० ओ० की व्यवस्था इसलिए नहीं की जा सकी कि इस प्रस्ताव में घाटे की निर्धारित सीमा से, जो कि वार्षिक आवर्ती व्यय का 85 प्रतिशत है, अधिक घाटा आ रहा था। पता चला है कि ग्राम पंचायत घाटा पूरा करने के लिए राजी है और उसने कुछ भुगतान भी कर दिया है। काम शुरू करने से पहले एक गारंटी बांड भरवाने के लिए दूसरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

श्री ए० एस० कस्तुरे : बुलडाना जिले के संग्रामपुर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने में विभाग कितना समय लेगा ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : औपचारिकताएं पूरी होते ही यह केन्द्र खोल दिया जाएगा।

श्री ए० एस० कस्तुरे : क्या महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र ठीक से कार्य नहीं कर रहा है?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हमें अनेक टेलीफोन केन्द्रों के बारे में शिकायतें मिलती हैं। अगर आप कोई विशिष्ट शिकायत मेरे ध्यान में लाएं तो मैं उसकी जांच करूंगा।

Shri Bhagirath Bhanwar : The Hon. Minister has in his reply said that they are going to set up PCOs at the block headquarters during Fifth Plan period after the formalities have been completed. May I know whether this scheme is only for Maharashtra or it will cover each block headquarter of the country ?

Shri Jagannath Pahadia : This is not the question of Maharashtra only. Government takes decision for the entire country. These PCOs will be set up in all parts of the country.

गुजरात में परमाणु बिजली घर

***650. श्री अरविंद एम० पटेल : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में बिजली की कमी की स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य में एक परमाणु बिजली घर स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) पश्चिमी क्षेत्र (जिसमें गुजरात राज्य भी शामिल है) में परमाणु बिजली घर की स्थापना के बारे में स्थल चयन समिति की अंतिम सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

Shri Arvind M. Patel : Mr. Speaker, Sir, whether the recommendations of the Committee include a site in Bhavnagar district in Maharashtra for setting up a atomic power station ?

Shri K. C. Pant : Many sites have been investigated by this Committee and some of them have been investigated in details. These sites include Mahua, Balana and Kakarapara.

Shri Arvind M. Patel : How much time this Committee is likely to take in submitting its report to Government ? Whether Government have fixed any time schedule for this ?

Shri K. C. Pant : The Recommendation Committee has already submitted its report to Government, It is under consideration.

श्री पी० जी० मावलंकर : जैसा कि मंत्री जी अच्छी प्रकार जानते हैं, सारे देश में ऊर्जा संकट व्याप्त है, जिसमें गुजरात भी शामिल है। गुजरात में बिजली या तो पारम्परिक तापीय बिजली घर से, परमाणु ऊर्जा से या जल से तैयार की जा सकती है। जल-विद्युत् नर्मद परियोजना से संबद्ध है। यह परियोजना पिछले कई वर्षों से तैयार नहीं हो पा रही है। ताप से बिजली पैदा करना कठिन है क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे दूरस्थ स्थान से इसके लिए कोयला

लाना पड़ेगा। अतः परमाणु ऊर्जा अनिवार्य हो जाती है। क्या सरकार प्रतिवेदन पर प्राथमिकता से विचार कर रही है। 1972 में परमाणु ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने एक पत्र के उत्तर में बताया था कि एक स्थल चयन समिति बनाई जा रही है तथा शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। इस बात को तीन वर्ष हो गए हैं। क्या सरकार सौराष्ट्र क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर की स्थापना पर विचार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि मैं इस समय किसी क्षेत्र को तरजीह देने की बात करता हूं तो इससे प्रतिवेदन पर निष्पक्ष विचार करने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अतः मैं यही कह सकता हूं कि हम प्रतिवेदन पर यथाशीघ्र विचार करेंगे और उस पर निर्णय लेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री संजीवी राव।

श्री एम० एस० संजीवी राव : आन्ध्र प्रदेश में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आपने मेरी स्थिति खराब कर दी है।

केरल के अल्पसंख्यकों का मलयालय भाषा सीखना

*651. **श्री के० मालन्ना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य ने इस आशय के आदेश जारी किए थे कि राज्य में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए यदि वे सरकारी कर्मचारी हैं, मलयालम भाषा सीखना अनिवार्य होगा;

(ख) क्या कन्नड़ भाषी लोगों ने उक्त आदेश का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : (क) केरल सरकार ने केरल राज्य तथा अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 का संशोधन करते हुए 31 अक्तूबर, 1974 को आदेश पारित किए थे। संशोधन के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यकों के व्यक्ति जो मलयालम को छोड़कर किसी अन्य भाषा में भर्ती परीक्षा देते हैं और किसी सेवा में नियुक्त किए जाते हैं उनको नियुक्ति की तिथि से 4 वर्ष की अधिकतम अवधि के अन्दर मलयालम में भाषा परीक्षा पास करनी होगी।

(द) कथित आदेशों के विरुद्ध तथा उनको वापस लेने के लिए अनुरोध करते हुए कन्नड भाषी व्यक्तियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) राज्य के प्राधिकारियों ने आगे बताया है कि वे व्यवहारिक समाधान ढूंढने की दृष्टि से नियमों के कार्यान्वयन में वास्तविक कठिनाइयों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

श्री के० मालन्ना : क्या राज्य की भाषा अनिवार्यतः सीखने संबंधी आदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं है और अगर है तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इससे संवैधानिक या अन्य अधिकारों या भाषायी अल्प-संख्यकों को दिए गए अधिकार प्रभावित नहीं होते । नियमों का यह संशोधन उसी सरकार के पिछले कार्यपालक, आदेश के अनुसरण में किया गया है जो 1966 में पास किया गया था । इससे भाषायी अल्पसंख्यकों को दिए गए संरक्षणों का उल्लंघन भी नहीं होता है । यह मुख्य मंत्रियों के 1961 के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसार है । जैसा कि केरल सरकार ने कहा है कि यदि कोई वास्तविक कठिनाई अनुभव की गई तो वह उनसे बातचीत करने को तैयार है तथा उन कठिनाइयों को दूर किया जाएगा ।

श्री के० मालन्ना : भाषायी अल्पसंख्यकों को राज्य की भाषा सीखने के लिए बाध्य करने संबंधी शिकायत अनेक राज्यों ने की है । सरकार की इस संबंध में नीति क्या है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है इस विषय पर मुख्य मंत्रियों के 1961 के सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ था । उसके बाद कुछ सिफारिशें की गई हैं । अनेक राज्य अनुभव करते हैं कि राज्य का शासन कुशलतापूर्वक चलाने हेतु अधिकारियों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए । अतः जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वे यदि यथासमय क्षेत्री भाषा का कुछ ज्ञान अर्जित कर लें तो अच्छा ही होगा ।

श्री राम गोपाल रेड्डी : ये भाषायी अल्पसंख्यक अन्य राज्यों में भी बिखरे हुए हैं । क्या सरकार को भाषायी अल्पसंख्यकों की ओर से इस संबंध में कोई विरोध-पत्र मिला है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : भाषायी अल्पसंख्यक हर राज्य में हैं और यदि उन्हें कोई कठिनाई होती है तो अच्छा होगा कि वे उसे राज्य सरकार के ध्यान में ले आएं ।

श्री धामनकर : राज्य की भाषा सीखने से भाषायी अल्पसंख्यकों को मदद मिलेगी और यह उनके लिए जरूरी भी है । किन्तु भाषायी अल्पसंख्यकों संबंधी आयोग के प्रतिवेदन में शिफारिश की गई है कि राज्य सरकारें भाषायी अल्पसंख्यकों उनकी मातृ भाषा में शिक्षा देने हेतु स्कूल खोले जाएं । इसके बावजूद ऐसा लगता है कि अनेक राज्यों ने इस सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है । क्या विभिन्न राज्य सरकारों को हिदायतें जारी की गई हैं कि वे भाषायी अल्प-संख्यकों को राज्य की भाषा के साथ-साथ अपनी मातृ भाषा सीखने का अवसर भी दिया जाना चाहिए ।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : केन्द्रीय सरकार की यह आम नीति है कि जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है, बच्चों को प्राथमिक चरण में उनकी मातृ भाषा में शिक्षा दी जाए । यह भी देखा गया है कि राज्य सरकारें इस संबंध में सभी प्रकार आवश्यक सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं । इसलिए हमने मुख्य मंत्रियों के ध्यान में यह बात ला दी है और उन्हें कहा है कि वह यह देखें कि भाषायी अल्पसंख्यकों की ओर से कोई शिकायत न आए और सभी उचित प्रबन्ध किए जाएं ।

श्री समर गुह : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि 15 अगस्त, 1947 से अल्पसंख्यकों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे स्कूल धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं और उन्हें बन्द करने के लिए दबाव डाला जा रहा है । राज्य सरकारें धन नहीं दे रही हैं । इस बात को

देखते हुए क्या सरकार एक छोटी सी समिति गठित करेगी जो इस बात का वास्तविक मूल्यांकन करेगी कि अल्प संख्यकों द्वारा चलाए जा रहे अल्पसंख्यक स्कूलों विशेषकर प्राथमिक स्कूलों का उत्तरोत्तर ह्रास क्यों हो रहा है?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह सही है कि कई क्षेत्रों से शिकायतें आती हैं कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृ भाषा में शिक्षा नहीं दी जाती है। आमतौर पर भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं तथा शिकायतें हमारे ध्यान में लाई जाती हैं या राज्य सरकारों को बताई जाती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गलती को सुधारा जाए।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। मैंने यह पूछा है कि केन्द्रीय सरकार एक समिति नियुक्त करेगी जो अल्प संख्यक स्कूलों की समस्याओं की जांच करेगी।

एक माननीय सदस्य : एक संसदीय समिति :

श्री समर गुह : नहीं, संसदीय समिति नहीं; एक विशेषज्ञ समिति जो इन स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा में शिक्षा देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मेरे विचार से विशेषज्ञ समिति की आवश्यकता नहीं है किन्तु भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त इस पर और अधिक ध्यान देंगे। हाल ही में विभिन्न जोनल परिषदों की बैठकों में सम्बद्ध मंत्रियों के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का शिक्षा सचिव या मंत्री द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए और जो कुछ भी वह उनके ध्यान में लाए उस पर विचार किया जाना चाहिए और यदि कोई कमी पाई गई तो उसे दूर किया जाना चाहिए।

श्री दशरथ देब : मंत्री जी ने यह बात पहले ही मान ली है कि, यद्यपि सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा उनकी मातृ भाषा में दी जानी चाहिए, तथापि कई राज्य इस नीति का अनुपालन नहीं कर रहे हैं; उनके सामने जो भी कठिनाइयां हों वे इसे पूर्णतः अमल में नहीं ला रहे हैं। राज्य सरकारें इस स्वीकृत नीति को भी कार्यान्वित नहीं कर रही हैं। यह समस्या केवल राज्य सरकारों तक ही सीमित नहीं है। फिर भी यह देखना उनका दायित्व है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृ भाषा में ही शिक्षा दी जाए। किन्तु इस नीति का अनुपालन करवाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह कहना सही नहीं है कि सरकार भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को मातृ भाषा में शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा नहीं दे रही है। हो सकता है कुछ गलतियां हुई हों या कुछ कमियां रह गई हों। इस तथ्य को सरकार के ध्यान में लाना भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का दायित्व है। विभिन्न जोनल परिषदों की बैठकों में यह बात राज्य सरकारों के ध्यान में बार-बार लाई गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में कोई शिकायत न आए।

कर्नाटक में ताप बिजली घर की स्थापना

*653. **श्री के० चिक्कलिंगैया :** क्या ऊर्जा मंत्री कर्नाटक में ताप संयंत्रों की स्थापना के बारे में 7 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1879 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में वर्तमान विद्युत् व्यवस्था पूरी तरह जल पर आधारित होने के कारण विद्युत् की अधिक से अधिक मांग की पूर्ति के लिए पूर्णतः उपयुक्त है;

(ख) क्या कर्नाटक के विद्युत् उत्पादन केन्द्र मूलतः क्षमता प्रदान करने के लिए बने हुए हैं और वर्तमान विद्युत् व्यवस्था से इतनी अधिक विद्युत् क्षमता उपलब्ध होने के कारण विद्युत् की अत्यधिक खपत करने वाले अनेक उद्योगों के विद्यमान होने को ध्यान में रखते हुए, ताप बिजली घर की स्थापना बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकती है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

ऊर्जा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) ऊर्जा तथा शिखरण (पीकिंग), दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल-विद्युत् केन्द्र उपयुक्त होते हैं। बहरहाल, शिखरण (पीकिंग) लोडों की पूर्ति करने के लिए ताप-विद्युत् केन्द्रों की अपेक्षा जल-विद्युत् केन्द्र अधिक उपयुक्त होते हैं। कर्नाटक में जल-विद्युत् केन्द्रों को ऊर्जा की आवश्यकताओं तथा पीक लोडों, दोनों की पूर्ति करने के लिए अभिकल्पित किया गया था। उच्च लोड गुणांक मांगों को पूरा करने के लिए ताप-विद्युत् केन्द्र का अनिवार्य रूप से होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जल-विद्युत् केन्द्रों से भी समान रूप से पूर्ण हो सकती हैं। जल-विद्युत् केन्द्र की तुलना में, ताप-विद्युत् केन्द्र की स्थापना के संबंध में निर्णय, विद्युत् के इन दो स्रोतों के तकनीकी-आर्थिक लाभों के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। कर्नाटक बिजली बोर्ड मंगलौर में 400 मेगावाट कोयला खान केन्द्र के लिए एक संभाव्यता अध्ययन तैयार करवा रहा है। बहरहाल, पाचवीं पंचवर्षीय योजना में ताप-विद्युत् केन्द्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पीकिंग लोडों को पूरा करने के लिए कर्नाटक की वर्तमान जल-विद्युत् क्षमता का लाभ, दक्षिणी राज्यों की विद्युत् प्रणालियों के एकीकृत प्रचालन द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

श्री के० चिक्कलिंगैया : आपको यह याद होगा कि संसद के गत सत्र के दौरान 7 अगस्त, 1974 को ऊर्जा मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने कर्नाटक में कोयले पर आधारित एक ताप-विद्युत् केन्द्र [की आवश्यकता के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि मंगलौर पत्तन के समीप अपेक्षित स्थान सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और यह सर्वथा उपयुक्त स्थान, जिसका चयन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक इंजीनियर और कर्नाटक विद्युत् बोर्ड द्वारा किया गया था, इस कार्य के लिये अलाट किया जायेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करके केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के माध्यम से योजना आयोग के पास भेजा जाता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य द्वारा बताये गये पहले के अतारांकित प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि कर्नाटक राज्य विद्युत् बोर्ड ने मंगलौर में एक तापीय विद्युत् केन्द्र का प्रस्ताव किया है और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अब केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण इस मामले की जांच कर रहा है और इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिन पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं :—

(1) कर्नाटक में कोयला नहीं है अतः सुझाव यह है कि कोयला बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से आना चाहिये। यह एक मुख्य पहलू है जिस पर विचार किया जा रहा है। (2) पीने के पानी और वातानुकूल हेतु पानी की उपलब्धि के बारे में विचार किया जा रहा है और (3) इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या आन्ध्र जैसे पड़ौसी राज्य के उद्गम स्थल कर्नाटक में एक तापीय केन्द्र स्थापित करने की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो सकते इन सभी बातों की जांच की जा रही है और हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री के० चिक्कलिंगैया : चूंकि कर्नाटक भी तमिलनाडु की भांति एक नौवहन निगम बना रहा है, अतः कोयले के लाने ले जाने से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। इस तरह प्रतिदिन लगभग 5000 मीटरी टन कोयला मंगलौर पत्तन में उतारा जाना चाहिये।

मंत्री महोदय के वक्तव्य में जिस अन्य पहलू का उल्लेख है वह इस प्रकार है :

"जल-विद्युत् केन्द्र की तुलना में ताप-विद्युत् केन्द्र की स्थापना के संबंध में निर्णय, विद्युत् के इन दो स्रोतों के तकनीकी-आर्थिक लाभों के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।"

हमने पहले ही बताया है कि जलपोतों द्वारा मंगलौर में कोयला ले जाने से कोई समस्या खड़ी नहीं होगी।

विवरण में उल्लिखित एक अन्य बात विद्युत् प्रणाली का एकीकृत प्रचालन है। क्या मैं इसका मतलब यह समझूं कि सरकार गंगा को कावेरी से जोड़ने वाली राष्ट्रीय जल ग्रिड के आधार पर दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय विद्युत् ग्रिड बनाने के बारे में सक्रियता से विचार कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने तटीय नौवहन के माध्यम से कोयले के ढोने से सम्बन्धित सुझाव को नोट कर लिया है।

जहां तक अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है, दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड पहले से ही है। इसे सशक्त बनाया जा रहा है और यह अच्छी तरह से कार्य कर रहा है और पहले ही कर्नाटक की जल-विद्युत् प्रणाली का पड़ोसी प्रणालियों, जिनमें से कुछ के पास काफी तापीय क्षमता है, के साथ मिलकर कार्य हो रहा है।

श्री के० मालन्ना : कर्नाटक में लम्बित जल-विद्युत् परियोजनायें महंगी हैं और इनके पूरे होने में समय लगेगा। इस संदर्भ में कर्नाटक सरकार और कर्नाटक के संसद सदस्यों ने मंगलौर में ताप-विद्युत् योजना चालू करने के लिये अनुरोध किया है। इस संदर्भ में

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या मंगलौर में एक ताप-विद्युत् परियोजना चालू करना संभव नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कर्नाटक में एक ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित करना संभव है परन्तु निर्णय करने से पूर्व सभी पहलुओं का अध्ययन करना होगा और मैने कुछ बातों का संकेत दे दिया है जिनका निर्णय करने से पहले गहराई से अध्ययन करना होगा।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में उत्पादित बिजली सर्वथा जल-विद्युत् है। मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी होगी कि तमिलनाडु में तूतीकोरिन में एक ताप-विद्युत् संयंत्र है और कोयला बंगाल-बिहार क्षेत्र से जा रहा है। इस परियोजना के अनुसार वह सदैव बंगाल-बिहार क्षेत्र से कोयला ले जा सकते हैं और तापीय-विद्युत् उत्पन्न करने हेतु इसे मंगलौर में ला सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह इस दिशा में कौन से कदम उठा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि मंगलौर में एक ताप-विद्युत् केन्द्र स्थापित हो जाता है तो स्वभावतः कोयला वहां जाना ही होगा।

श्री बी० बी० नायक : सबसे पहले माननीय सदस्य श्री मालन्ना ने कहा कि कर्नाटक के संसद सदस्यों ने मंगलौर में एक ताप-विद्युत् केन्द्र के लिये अनुरोध किया है। मैं भी कर्नाटक से एक संसद सदस्य हूं जिसने ताप-विद्युत् केन्द्र के लिये अनुरोध नहीं किया है। हमारे साथी कर्नाटक में विद्युत् मंत्री श्री श्रीकन्टैया द्वारा परिचालित एक नोट के अनुसार परिव्यय 42 करोड़ रुपये होगा। क्या मैं ऊर्जा मंत्री से जान सकता हूं कि क्या उन्होंने जल-विद्युत् बिजली और तापीय-विद्युत् की प्रति एकक तुलनात्मक उत्पादन लागत का हिसाब लगाया है और क्या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य परियोजना अर्थात् कालीनिधि परियोजना, जिसे इस समय धन की कमी के कारण क्षति हो रही है, को धन देना उचित होगा, क्योंकि हमें बार-बार बताया गया है, ताकि तुलनात्मक प्राथमिकताओं के आधार पर किसी अन्य कार्यक्रम पर विचार करने से पहले इसे पर्याप्त रूप से धन प्रदान किया जाये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लागत की तुलना संयंत्र के आकार, स्थापना और अन्य बातों पर निर्भर है। आप जल-विद्युत् की तापीय केन्द्र के साथ तुलना नहीं कर सकते केवल इतना कह सकते हैं कि आमतौर पर जल-विद्युत् बिजली तापीय बिजली से सस्ती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अच्छी तरह से चल रही परियोजना को धन की कमी के कारण क्षति नहीं होनी चाहिये। इन्हें यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। इसके साथ ही विद्युत् परियोजनाएं लगातार बढ़ती जायेंगी जो समय-समय पर चालू हो सकेंगी ताकि राज्यों की बिजली आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल-ग्रहण क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराने के लिये मंत्री महोदय को प्रयास क्यों नहीं करने चाहिये और मंत्री महोदय को पश्चिमी घाटों की ऊंचाई कम करने की व्यवस्था क्यों नहीं करनी चाहिये जिससे जल से भरे बादल मैदानों में आयें और अधिक वर्षा हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री का विभाग नहीं है यह ईश्वर का विभाग है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कुछ बर्षों पहले रिहन्द जल-ग्रहण क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराने के लिये एक प्रयास किया गया था किन्तु उसमें सफलता नहीं मिली। मैंने उन्हें इस बारे में केवल बताना चाहा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रिहन्द उत्तर प्रदेश में है जहां गम्भीर विद्युत् संकट है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें इस बात के उल्लेख का मतलब यह नहीं है कि आप कोई प्रश्न पूछें।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई कदम उठाया है? इन्होंने रिहन्द विद्युत् केन्द्र के बारे में उल्लेख किया है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो केवल कर्नाटक के बारे में है। रिहन्द शब्द के उल्लेख मात्र से प्रश्न की सीमा में परिवर्तन नहीं हो जाता है।

मैसर्स मारुति लिमिटेड द्वारा मशीनरी की खरीद

*656. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री मारुति कार फैक्ट्री, गुड़गांव में मशीनरी के बारे में 12 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2980 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन व्यापारियों के नाम, पते और पूरा विवरण क्या है जिनसे मेसर्स मारुति लिमिटेड ने मशीनरी आदि खरीदी है;

(ख) इस प्रकार की गई प्रत्येक किस्म की खरीद का मूल्य सहित सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) उन व्यापारियों का मुख्य कारोबार क्या है जिनसे उक्त खरीदारी की गई है;

(घ) क्या उनमें से कुछ व्यापारी मशीनरी के आयातकर्ता भी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ङ) सरकार देश में ही खरीदी गई मशीनों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा नहीं करती है और न किसी औद्योगिक एकक के लिये विस्तृत जनकारी देना अपेक्षित है। इस प्रकार सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैंने निदेश 115 के अंतर्गत पहले ही सूचना दी है जिसमें यह कहा गया है कि माननीय मंत्री श्री ए० सी० जार्ज ने मारुति के औद्योगिक सामानों के आयात संबंधी जानकारी देने के मामले में सभा को गुमराह किया है।

इस संदर्भ में क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि वह हमें सही-सही बतायें कि क्या यह सही है कि लिमिटेड कम्पनी आफ रिंगरोड़ लाजपत नगर, दिल्ली और 414/2,

वीर सावरकर रोड, प्रभादेवी बम्बई के संबंध में भी मारुति और उक्त कम्पनी के बीच इस तरह के आयातित सामानों का निपटारा करने के लिये होम स्ट्रीट, बम्बई, की एक अन्य कम्पनी को आयात दस्तावेजों को देने के लिये प्रबंध किया गया था और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है या नहीं। मेरे पास अब पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य है।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : जहां तक मेरी जानकारी है जिस लाइसेंस के अन्तर्गत मारुति अस्तित्व में आई वह इस शर्त पर था की इसकी डिजाइन देशी होगी और कोई भी चीज आयात नहीं करने दी जायेगी । मंत्रालय से किसी तरह के आयात के लिये नहीं कहा गया था और न ही हमने किसी तरह के आयात की अनुमति दी। यदि इस तरह के आरोप लगाये जायेंगे तो मैं इनकी न तो जांच कर सकूंगा और न जानकारी ही दे सकूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे कैसे निकलता है ? मंत्री ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसी जानकारी है कि मारुति ने जो औद्योगिक सामान प्रयोग किया था वह एक दिखावा था। मैंने दो फर्मों के बारे में जानकारी दी है। एक उस फर्म के बारे में जिसका कार्यालय दिल्ली में है और दूसरा उस फर्म का जिसका कार्यालय बम्बई में है। मैं इस समय उनके नाम नही दे रहा हूं किन्तु मैं समय आने पर उनके नाम बताऊंगा । मैं माननीय मंत्री से पूछ रहा हूं कि क्या यह सही है कि आयात दस्तावेज होम स्ट्रीट, बम्बई स्थित फर्म को सौंपे गये थे और दिल्ली की फर्म ने अपने उसी कार्यालय के माध्यम से माल का निपटान किया । गुड़गांव स्थित मारुति के पास माल ब्लैक एण्ड वर्ग से कैसे आया ? और माल अगस्त, 1973 में बम्बई, में पहुंचा।

श्री टी० ए० पाई : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, सरकार और अमुक कम्पनी के साथ मेरे जो भी सम्बन्ध हों, मैं जानकारी दे सकता हूं। कोई पार्टी बाहर क्या करती है, इस बारे में यदि माननीय सदस्य मुझसे जानकारी चाहते हैं तो मुझसे जानकारी देने की कैसे आशा की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधा प्रश्न पूछिये, मैं समझता हूं कि उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यद्यपि आयात लाइसेंस मारुती के नाम पर न दिये गये थ और न लिये गये थे, उसी फर्म ने इसका मारुति लिमिटेड के प्रयोग के लिये केवल औद्योगिक सामान के आयात के लिये प्रयोग किया। उन्होंने किस तरह से धोखा दिया। मैं इस बारे में साक्ष्य दे सकता हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे पास दस्तावेज हैं।

अध्यक्ष महोदय : जिम्मदारी लेने का प्रश्न नहीं है उन्होंने पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दिया है। यदि कोई बात है तो एक अलग मामला है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे अच्छी तरह जानते हैं कि नियमों और कानूनों का किस तरह उल्लंघन किया जाए। उन्होंने औद्योगिक सामान को दिखावे के रूप में प्रयोग किया।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं हो सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने इसे उसी के रूप में प्रयोग किया। वे किसी तरह शर्तों का अतिक्रमण नहीं कर सकते।

श्री टी० ए० पाई : जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस आरोप का पुरजोर खंडन करता हूं कि किसी चीज के आयात के लिए मारुति की सहायता करने में हमने कोई गलत कार्य किया है। मैं सभी आरोपों का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि इससे तो एसा प्रतीत होता है कि हम ऐसी कोई भी जानकारी दे सकते हैं जो आवश्यक हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा विश्वास है कि मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री आर० एस० पाण्डेय : क्या मैं जान सकता हूं कि मारुति कार बजार में कब आ रही है? मैंने इस बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है।

श्री आर० एस० पाण्डेय : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कार कब आ रही है।

Shri Janeshwar Misra : Mr. Speaker, I read in the newspapers that one of the owners of the Maruti Car was asked by the P.M. to resign from his post because Government is being discredited. The Hon. Minister should reply to it.

श्री टी० ए० पाई : कम्पनी को औद्योगिक लाइसेंस दिया जाता है । इसका प्रबन्ध कौन करता है, कौन त्याग-पत्र देता है और कौन आता है इससे मेरा संबंध नहीं है। मैं इस तरह की जानकारी नहीं दे सकता।

Selection of Programme Executives in the All India Radio by U.P.S.C.

***658. Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) whether candidates were selected in the recent past by the U.P.S.C. for the post of Programme Executive in the All India Radio;

(*b*) if so, the number of ad-hoc Programme Executives who applied for the post, how many of them were called for interview and how many were rejected by the Commission;

(*c*) the number of years for which the persons rejected by the Commission had been working in Delhi; and

(*d*) whether the persons working in Delhi for more than five years will be transferred in the near future and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Vir Sinha): (*a*) Yes, Sir.

(*b*) 139 ad-hoc Programme Executives applied for the post of Programme Executive to the Union Public Service Commission. Out of these 34 have been selected. Information as to the number of those called for interview is not available with the Government as the interviews are conducted by the Commission.

(*c*) The ad-hoc Programme Executive working in various offices at Delhi, who had applied to the Union Public Service Commission and had not been selected for appointment, have been in Delhi for periods varying from nine months to fifteen years in one capacity or the other.

(*d*) The transfers are made, not necessarily on the basis of length of stay at a particular station. Personnel is retained or transferred to meet the exigencies of service.

Shri Janeshwar Misra : I want to know from the honourable Minister about the complaints from the opposition parties about Radio particularly about the appointments of Programme-Executives there. Whether the persons were promoted to the posts of Programme Executives on the recommendations made by the Union Public Service Commission or whether Govt. have promoted those persons arbitrarily who are in the habit of flattery? Whether the remaining persons who are qualified and eligible for these posts have not been promoted ? Whether many representations have been submitted to Government on behalf of these Programme Executives? What the honourable Minister wants to say in reply ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा सरकारी नीति पर लगाए गए आरोप का खंडन करता हूं। जहां तक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स का प्रश्न है यह निश्चित हुआ है कि 50 प्रतिशत पदों पर तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की जाएगी तथा शेष 50 प्रतिशत पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति होगी। इन नियमों का कार्मिक विभाग तथा संबंधित विभागों द्वारा अनुमोदन हो चुका है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हाल में ही एक चयन हो चुका है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं के लोगों को लिया गया है जिनका आल इंडिया रेडियो में पहले प्रतिनिधित्व नहीं था।

Shri Janeshwar Misra : Speaker Sir, I want your protection. My question was whether these promotions were recommended by the Union Public Service Commission or these have been done by the Ministry or department arbitrarily. The Minister is not replying to the point.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : श्रेणी दो की पदोन्नतियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि को साधारणतया संबंधित नहीं किया जाता किन्तु विभागीय पदोन्नति समिति आन्तरिक व्यक्तियों से बनती है किन्तु बाहर से भी किसी व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाता है। श्रेणी एक की नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है।

Shri Janeshwar Misra : My question was about those Programme Executives whose appointments were made on ad-hoc basis and had not qualified any competitive examination but have been working in Delhi for the last many years. They are not transferred to other places as a result ofwhich other capable people have not been able to work there. These people are continuing in Delhi because Government want them here. Whether a memorandum has been submitted on behalf of the Programme Executives to the effect that a large number of said employees are working in Delhi because some officers and ministers want them to be here and there are much irregularities being committed in the matter of transfers and these are being made arbitrarily.

Shri I. K. Gujral : Perhaps the honourable Member has not taken into consideration the fact that transfers are made with a view to improve the functioning of Radio. That is what happens in each and every department of the Government. We have not come across any irregularity so far and if any irregularity is brought to our notice, action will be taken.

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें कार्मिक विभाग के नियमों पर आधारित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आल इंडिया रेडियो में कर्मचारी क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं अथवा निगम के कर्मचारी हैं। वे क्या हैं? जब उन पर सेवा शर्तें लागू की जाती हैं तो वह कहते हैं वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं किन्तु जब वेतन की बात होती है तो उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं कहा जाता। मैं पूछना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकारी कर्मचारी हैं अथवा निगम कर्मचारी?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं कहना चाहत हूं कि आल इंडिया रेडियो के सभी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स सरकारी कर्मचारी हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : केवल प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स ही। अन्य कर्मचारियों के बारे में क्या स्थिति है?

श्री समर गुह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पदोन्नति के मामले की ओर खींचना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि कम-से-कम 50 प्रतिशत पदोन्नतियां तो संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जायेंगी। शेष 50 प्रतिशत पदोन्नतियों की स्थिति क्या है? विभागीय पदोन्नति तो कन्फीडेन्शल रिपोर्ट के आधार पर की जाती है इसमें विभिन्न स्टेशनों पर अधिकारियों के कार्य को देखा जाता है। मैंने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया है कि कन्फीडेन्शल रिपोर्ट में निष्पक्षता नहीं रहती। अच्छे अधिकारियों को भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बुरी रिपोर्ट मिली है। इससे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अन्य मामलों में भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिसकी ओर मैंने मंत्री महोदय का ध्यान दिलवा दिया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या स्टेशन डायरेक्टरों द्वारा दी जाने वाली कन्फीडेन्शल रिपोर्ट की परम्परा को समाप्त किया जाएगा और पदोन्नति के लिए कोई और आधार बनाया जाएगा ताकि प्रत्याशी की योग्यताओं पर ध्यान रखा जा सके?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे माननीय मित्र ने कन्फीडेन्शल रिपोर्ट के महत्वपूर्ण मामले को उठाया है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं यह अनुभव करता हूं कि न केवल आल इंडिया रेडियो के अधिकारियों के कार्य को बल्कि भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में भी अधिकारियों के कार्य के मूल्यांकन के लिए किसी वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया जाना चाहिए। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस प्रकार की पद्धति का विकास नहीं किया जा सका है। हम उस पुरानी पद्धति का ही अनुसरण कर रहे हैं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही किसी वैज्ञानिक पद्धति को लागू किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि संबंधित कार्यालय इस पर विचार कर रहा है।

Emergency in the Country

***659. Shri Hamendra Singh Banera**
Shri S. N. Misra } Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(*a*) whether the Prime Minister stated on the 15th June, 1974 that the emergency was being continued because of the present economic problems facing the country;

(*b*) the justification of the reasons in the present context which were put forth while promulgating emergency; and

(*c*) whether the threat of foreign aggression is more grave at present as compared to that when the emergency promulgated in 1962 was lifted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) No, Sir. In the course of a press conference with Foreign Correspondents Association on 15th June, 1974, the Prime Minister had only referred to the difficult economic situation which was as severe as in war time.

(*b*) Security requirements of the country are the most decisive consideration for continuance of the Proclamation of Emergency. The Proclamation of Emergency was made on 3rd December, 1971, in the context of threat to the security of India by external aggression. The threat continues.

(*c*) A comparison between conditions in January, 1968 and the present will not be meaningful. The threat to our borders is not only on our land frontiers but also along our extensive sea coast.

श्री हमेन्द्र सिंह बनेरा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि आपातकालीन स्थिति प्राय: तब लागू की जाती है जब बाहरी आक्रमण अथवा गृह युद्ध का खतरा हो। क्या यह उचित है कि बाहरी आक्रमण होने की संभावना का शोर मचाया जाए ताकि इस प्रकार सरकार को आपातकालीन स्थिति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त हो जाए ? दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सत्य है कि सरकार सामान्य कानून के अन्तर्गत देश पर शासन करने में स्वयं को असमर्थ पा रही है इसलिए वह असाधारण आपातकालीन अधिकार प्राप्त करना चाहती है जोकि प्रजातन्त्र के देश में तानाशाही के समान हैं?

गृह मन्त्री (श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी) : संविधान के अनुच्छेद 352 (3) के अनुसार लड़ाई अथवा आक्रमण होने से पहले ही आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जा सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब इसे पुन: कर दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संविधान के अंतर्गत दी गई शक्तियों पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा है।

श्री समर गुह : संविधान के अन्य उपबन्धों की क्या स्थिति है ?

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : देश की सुरक्षा के हित में वर्तमान समय में आपातकालीन स्थिति को जारी रखना आवश्यक है।

श्री हमेन्द्र सिंह बनेरा : उन्होंने अस्पष्ट उत्तर दिया है। जिस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया है कोई भी व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। आज समस्त देश इन असाधारण कानूनों के संबंध में चिंता कर रहा है तथा राजनीतिक नेताओं के विरूद्ध इन अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है उस बारे में भी देश में चिंता व्यक्त की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे संविधान में आर्थिक कठिनाइयों की स्थिति में आपातकालीन स्थिति लागू करने की भी व्यवस्था है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मेरे सहयोगी ने इसका उत्तर दे दिया है कि आज देश को खतरा है—(**व्यवधान**)...

श्री समर गुह : क्या खतरा है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। मुझे सुनने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह खतरा क्या है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : असत्य कहने की भी चरम सीमा होनी चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जो व्यक्ति रवैयों, अन्तर्राष्ट्रीय रवैयों पर, अपने पड़ोस के घटनाक्रमों पर तथा सैनिक तैयारियों का अध्ययन करता है...

श्री ज्योतिर्मय बसु : कौन-सा देश ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाईये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति और खतरे का सामना करने के लिये तैयार रहे। मुझे विश्वास है कि यदि हम इस मामले में कहीं सतर्क रहने से ढील लाये तो विपक्षी दल ही सबसे पहले हमें इसके लिये दोष देंगे।

श्री समर गुह : आप, एक गोपनीय अधिवेशन क्यों नहीं बुलातीं ताकि हम इस खतरे के बारे में जान सकें।

अध्यक्ष महोदय : अब समय समाप्त हो गया है।

Shri Madhu Limaye : There is no question of relaxation who will decide whether democracy will survive in our country or not ? Whether Shri Bhutto and President Ford will decide it ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। प्रश्न काल का समय समाप्त हो चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : घड़ी की ओर देखिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कई अवसरों पर हमने 12 बजे के पश्चात् भी प्रश्न पूछे हैं... (**व्यवधान**)... जब मानव स्वतन्त्रता, मानव जीवन का प्रश्न हो... आप इतने लापरवाह हैं... **व्यवधान**... यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के समय से अब दो मिनट अधिक हो चुके हैं, हम सदन में ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि कल सदन को अनुचित रूप से स्थगित कर दिया था जब प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि मोरारजी का 'व्रत' 'अनुचित है तथा यह एक प्रकार का अनुचित दबाव है।'

अध्यक्ष महोदय : आपको इस मामले को उठाने की मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल एक मिनट का समय लेना चाहता हूं । आपातकालीन स्थिति 3 दिसम्बर, 1971 को लागू की गई थी और तब कहा गया था कि एक आपात-कालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत की सुरक्षा को बाहरी खतरा है । इस कारण के आधार पर ही आपातकालीन की स्थिति की उद्घोषणा की गई थी । लगभग चार वर्ष बीत गये हैं । बाहरी आक्रमण का क्या खतरा है ?

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सूचना दीजिये । आप घंटी को सुनते नहीं. . . आप मेरी आज्ञा के बिना बोलते जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

16 अप्रैल, 1975 को होने वाली सदन की बैठक के लिये

परमाणु औषध कार्यक्रम

*652. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु औषध कार्यक्रम और बड़े पैमाने पर रेडियायी औषध उत्पादन कार्यक्रम भी तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) नाभिकीय चिकित्सा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने, अनुसंधान एवं विकास कार्यों, रोग-निदान एवं चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों तथा चिकित्सकों एवं तकनीकज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए बम्बई में एक विकिरण चिकित्सा केन्द्र की स्थापना की है । अभी तक, 67 रेडियोभेषजों का; जिनमें 36 इंजेक्शन, 25 मुंह से दी जाने वाली औषधियां एवं 6 इनविट्रो औषधियां शामिल हैं, उत्पादन करने की तकनीक को विकसित किया गया है । इन औषधियों में से, 35 औषधियों का उत्पादन आजकल भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है तथा देश में डाक्टरी कामकाज में उनका प्रयोग करने वाले 100 से भी अधिक उपभोक्ताओं को उनकी सप्लाई की जा रही है ।

बम्बई आने वाले लोगों को कार्य-परमिट जारी करना

*654. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई आने वाले लोगों को, अल्प-अवधि कार्य-परमिट पद्धति के माध्यम से, कार्य-परमिट जारी करने की संभावयता की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव से सहमत हो गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की तथा आम जनता की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अल्पकालिक कार्य-परमिट के माध्यम से बम्बई में लोगों के प्रवेश का नियमन प्रारम्भ करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए उनके द्वारा ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है । किन्तु समाज कल्याण विभाग, वृहत्तर बम्बई नगर निगम तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों के एक अनौपचारिक कार्यकारी दल से बम्बई नगर में भीख मांगने के विरुद्ध उपायों से संबंधित प्रश्नों की गहराई से समीक्षा करने के लिये कहा है, कार्यकारी दल से बम्बई नगर में बाहर से आने वाले लोगों के परिमाण का मूल्यांकन करने, इस प्रकार आने से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक समस्या, नगर में अपराधियों के आने को रोकने के लिये उपायों की व्यवहार्यता तथा बम्बई नगर में प्रवेश करने वाले नये व्यक्तियों के लिए कार्य परमिट जारी करने संबंधी प्रश्नों समेत वास्तव में नौकरी ढूंढने वालों की सहायता करने के लिए आवश्यक उपायों का मूल्यांकन करने को कहा गया है । कार्यकारी दल ने अभी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ग) सभी ऐसी समस्याओं पर विचार करने में संविधान की गारंटी तथा प्रतिज्ञा साथ ही साथ एकहरी नागरिकता के विचार पर आधारित राष्ट्रीय एकता की शक्तियों को सुदृण करने की आवश्यकता को पूर्णरूप से दृष्टि में रखने की अपेक्षा है ।

मध्य प्रदेश को सीमेंट का आवंटन

*655. **श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 की प्रत्येक तिमाही में मध्य प्रदेश को कितना और किन कारखानों से सीमेंट का आवंटन किया गया;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में उत्पादित सीमेंट की बहुत कम मात्रा उस राज्य को आवंटित की गई; और

(ग) कारखानावार सीमेंट के आवंटन का आधार क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-9444/75]

(ख) राज्य कोटे में 1974 में मध्य प्रदेश को किए गए 4.35 लाख मी० टन के कुल आवंटन में से 4.04 लाख मी० टन की मात्रा का आवंटन मध्य प्रदेश के भीतर स्थित सीमेंट फैक्टरियों से किया गया था । केवल 0.31 लाख की थोड़ी सी मात्रा का आवंटन मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की समीपता को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश से बाहर के कारखानों से किया गया था ।

(ग) सीमेंट का कारखानेवार ग्रावंटन (1) उत्पादन क्षमता (2) उपभोक्ता क्षेत्र की कारखाने से दूरी ग्रौर (3) कारखाने को निश्चित किए गए बाजार क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया जाता है।

भारत हैवी इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा सहायता उपकरणों का निर्माण

*657. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल भारत में बड़े टरबाइन जैनरेटरों विशेषकर परमाणु शक्ति केन्द्रों के लिये सहायक उपकरणों का निर्माण करने हेतु एक प्रमुख प्रक्रिया स्थापित करने में पहली बार सफल हुग्रा है;

(ख) क्या 'इन्टरनल बोर टी० ग्राई०जी० वैल्डिंग प्रोसेस फार ट्यूब टु ट्यूबप्लेट ज्वाइंट्स ग्राफ हीट एक्सचेंजर' नामक प्रक्रिया से ग्रधिक दबाव वाले जल हीटरों (हाई प्रेशर फील्ड वाटर हीटर्स तथा ग्रन्य ऐसे ग्राधुनिक उपकरणों के ग्रायात पर देश की निर्भरता बहुत हद तक कम हो जायेगी; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार डिजाइनरों, कूट रचकों (फेब्रिकेटरों) ग्रौर निर्माताग्रों को उनकी प्रतिभावान उपलब्धि के लिये पुरस्कार देने पर विचार कर रही है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) ग्रौर (ख) जी, हां।

(ग) यह कुछ तकनीशियनों जिन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण के लिये हमारे सहयोगियों के कारखानों में भेजा गया था के कार्य के माध्यम से विदेशी प्रौद्योगिकी के सफल संविलयन का एक उदाहरण है। चूंकि किसी भी डिजाइनर या तकनीशियन ने स्वत: कोई नई प्रक्रिया का विकास नहीं किया है इसलिये कोई पुरस्कार देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली संयंत्रों में बिजली का उत्पादन

*660. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली संयंत्रों के कार्यकरण को सुचारू बनाने की दिशा में प्रगति ग्रभी भी प्राप्त की जानी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि करने ग्रौर सीमित सप्लाई के बटवारे के लिये क्या उपाय किये गये हैं; ग्रौर

(घ) टेरिफ को युक्तिसंगत बनाने, बिलों को तेजी से वसूल करने, नई परियोजनाग्रों को शीघ्रतम निर्माण ग्रौर प्रशासकीय पद्धतियों के ग्रधिकतम मानकीकरण के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (घ) जुलाई, 1974 में ग्रायोजित हुए विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन ने देश में विद्युत् प्रदाय स्थिति का पुनरवलोकन किया ग्रौर विद्युत् उपलब्धता में सुधार करने के लिये विभिन्न ग्रल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपायों के सुझाव दिये। सम्मेलन द्वारा की गई कुछ मुख्य सिफारिशें वर्तमान ताप-विद्युत् केन्द्रों से ग्रधिकतम उत्पादन करने, विद्युत् परियोजनाग्रों का शीघ्रता-पूर्वक निर्माण करने ग्रौर विद्युत् प्रदाय उद्योग के पुनर्गठन से संबद्ध थी। इन निर्णयों के परिणामस्वरूप ताप-विद्युत् केन्द्रों से ग्रधिकाधिक उत्पादन करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. ग्रतिरिक्त पुर्जों की पर्याप्त मात्रा में ग्रधिप्राप्ति ग्रौर भंडार बनाना।

2. बायलरों की अभिकल्प आवश्यकताओं के अनुरूप, अनुकूल किस्म के कोयले की पर्याप्त सप्लाई का सुनिश्चित करने के लिए कोयला खानों के विद्युत् केन्द्रों के साथ उचित लिंकों द्वारा विभिन्न विद्युत् केन्द्रों तक कोयले की ढुलायी को युक्तियुक्त बनाना।

3. ताप-विद्युत् केन्द्रों के प्रचालन और रख-रखाव का बराबर संचालन (मानीटरिंग) करना।

4. प्रचालन और रख-रखाव कार्मिकों का प्रशिक्षण।

5. विद्युत् प्रणाली के एकीकृत प्रचालन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त क्षमताओं वाली अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों का शीघ्रतापूर्वक निर्माण करना।

6. लोड की घटबढ़ को कम करने के लिए लोडों को यथा संभव तथा आवश्यक सीमा तक समय-बद्ध करना और बारी-बारी से पूरा करना, क्योंकि इससे ताप-विद्युत् उत्पादन युनिटों के एक समान उच्च लोड अनुपात पर प्रचालन और उपलब्ध उर्जा का अधिकतम प्रयोग करने में मदद मिलती है।

7. रख-रखाव प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और ताप-विद्युत् केन्द्रों की प्रबंध-व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न यूनिटों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखने तथा जैसे और जब आवश्यक हों तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण कोयला विभाग, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, इन्सट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके एक स्थायी सीमित स्थापित की गई है।

उर्जा मंत्रालय, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किए गए सगठित प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, ताप-विद्युत् केन्द्रों (वर्ष के दौरान चालू किए गए नए केन्द्रों से हुए उत्पादन सहित) से उत्पादन में अप्रैल, 1974 से मार्च, 1975 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक निर्माण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :--

(क) कठिनाइयों और बाधाओं का पूर्वानुमान लगाने तथा उन्हें दूर करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रभावकारी संचालन (मानीटरिंग) को लागू करना।

(ख) इस्पात, सीमेंट, विस्फोटक पदार्थों, गैसों आदि जैसी दुर्लभ सामग्रियों का केवल प्रतिरक्षा के बाद प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर आवंटन करना।

(ग) उपस्कर की समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

(घ) ताप-विद्युत् केन्द्रों में विन्यास और उपस्कर का मानकीकरण।

(ङ) जल-विद्युत् और ताप-विद्युत् परियोजनाओं के लिए उन्नत अन्वेषण करना और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप 1973-74 के दौरान केवल 466 मगावाट नई विद्युत् उत्पादन क्षमता की तुलना में, वर्ष 1974-75 के दौरान 1720 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हुई है।

विद्युत् प्रदाय उद्योग के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय लिया गया और इन उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है—

(1) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का पुनर्गठन और उसे अधिक सक्रिय बनाना;

(2) राज्य बिजली बोर्डों की प्रबंध-व्यवस्था को व्यावसायिक रूप देना, ताकि परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की उनकी क्षमता में सुधार किया जा सके;

(3) केन्द्रीय सैक्टर में विद्युत् परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कम्पनियों की स्थापना करना;

(4) उत्पादन काडर को पारेषण और वितरण काडर से अलग करना।

राज्य बिजली बोर्ड विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के (अनुच्छेद 49 के अधीन) विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी हैं और इस प्रकार बोर्ड के प्रदाय के प्रकार और समुपयोजन के उद्देश्य पर विचार करके टैरिफ निर्धारित करते रहे हैं। बिलों की तेजी से वसूली करने के प्रश्न पर राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मलन में विचार-विमर्श हुआ था, जब इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई ठोस सुझाव दिए गए थे। ये सुझाव विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को विचारार्थ तथा कार्यान्वयन के लिए भेजे गए हैं। कुछ बिजली बोर्डों ने यह सूचना दी है कि कुल मिलाकर वे इन सुझावों को कार्यान्वित कर रहे हैं।

कमी की स्थितियों में उपलब्ध विद्युत् की राशन पद्धति लागू करने के लिए निर्देश तैयार किए गए हैं और राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को भेजे गए हैं, ताकि वे स्थानीय स्थितियों तथा प्राथमिकताओं पर उचित ध्यान देते हुए इन्हें कार्यान्वित कर।

भारत के मुख्य न्यायाधीश पर आक्रमण के बारे में चिन्ता

*661. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश की हत्या के हाल के प्रयास से बहुत अधिक चिन्तित है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार में स्वर्गीय रेल मंत्री की हत्या के बाद यह दूसरा अवसर है जबकि एक ऊंचे पदाधिकारी पर आक्रमण किया गया;

(ग) क्या कुछ ऐसा षड़यंत्र है कि इस प्रकार के विस्फोटों तथा हत्या के प्रयासों से देश में तनाव और अव्यवस्था पैदा होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या यह पता चला है कि कुछ बाहर के देश ऐसी स्थिति पैदा करने में सहायता देने के लिए बहुत सक्रिय हैं; और

(ङ) क्या ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों के सहयोग समर्थन से किसी ठोस कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) तथा (घ) समस्तीपुर बम विस्फोट और भारत के मुख्य न्यायाधिपति पर हथगोले फेंकने के सम्बन्ध में दर्ज किए गए मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है। सरकार जांच-पड़ताल के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है।

(ङ) सरकार राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है, जो आवश्यक निगरानी बनाए रखने के लिए विधि व व्यवस्था के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है।

कर्नाटक के लिए 1975–76 के लिए वार्षिक योजना

***662. श्री बाल कृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975–76 के लिए कर्नाटक राज्य की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार का क्रमशः कितना परिव्यय है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) योजना आयोग ने कर्नाटक की वार्षिक योजना 1975–76 के लिए 139 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है। इस योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सहायता से 35.46 करोड़ रुपये और राज्य के अपने संसाधनों से 103.54 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। स्वीकृति 3 अप्रैल, 1975 को भेजी जा चुकी है।

नेवेली लिग्नाईट परियोजना में उत्पादन

***663. श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेवेली लिग्नाईट परियोजना को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन करने का निर्णय किया है;

(ख) निर्धारित क्षमता की तुलना में इसके उत्पादन की प्रतिशतता क्या है;

(ग) आबंटित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् निर्धारित क्षमता और उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) क्या इस परियोजना को काफी हानि हो रही है और यदि हां, तो इसे और धन आबंटित करने के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) नेवेली लिग्नाइट परियोजना में 1974–75 के मूल्यों के आधार पर 87 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश का प्रस्ताव है ताकि लिग्नाइट का वार्षिक उत्पादन 65 लाख टन करने के लिए खनन उपकरणों को प्राप्त किया जा सके।

यह राशि 1973 में लिग्नाइट का वार्षिक उत्पादन 45 लाख टन करने के लिए स्वीकृत 11.62 करोड़ रुपये की राशि के अलावा है।

(ख) 1974–75 में नेवेली लिग्नाइट निगम की विभिन्न इकाइयों के उत्पादन का प्रतिशत उनकी निर्धारित क्षमता की तुलना में निम्नलिखित था :—

इकाई	निर्धारित क्षमता	1974-75 में उत्पादन	क्षमता उपयोग का प्रतिशत
लिग्नाइट खान (लाख टन)	36.00	29.43	81.75
बिजली घर (10 लाख यूनिट)	30.25	20.21	66.81
उर्वरक संयंत्र (टन)	1,52,000	37,840	24.90
लेको संयंत्र (टन)	3,27,000	18,179	5.56

(ग) लिग्नाइट खान की निर्धारित क्षमता तथा उत्पादन वर्तमान 36 लाख टन की प्राप्य क्षमता तथा 29.43 लाख टन के वास्तविक उत्पादन से बढ़कर 1980–81 तक अंततः 65 लाख टन प्रति वर्ष हो जाने की आशा है।

(घ) जी, हां। परियोजना में भारी हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—निगम की औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन क्षमता का कम उपयोग तथा उर्वरक संयंत्र में प्रोद्योगिकीय दोषों के कारण यूरिया के उत्पादन की ऊंची लागत।

लिग्नाइट के वार्षिक उत्पादन को 65 लाख टन तक बढ़ाने के लिए तथा डाउनस्ट्रीम इकाइयों को पूरी क्षमता से काम करने योग्य बनाने के लिए निगम में अतिरिक्त पूंजी निवेश की आवश्यकता है।

श्रृंगार की वस्तुओं के लेबलों/पैक्टों पर बिक्री मूल्य छापा जाना

*664. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे श्रृंगार की वस्याओं के लेबलों या पेकटों पर बिक्री मूल्य छापें, जैसा कि दवाइयों के मामले में होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) भेषज आवश्यक वस्तु हैं। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भेषज (मूल्य नियंत्रण) आदेश में अपेक्षित है कि भेषजों के डिब्बों के लेबलों पर खुदरा मूल्य दिए जाने चाहिए। इस प्रकार का उपबन्ध श्रृंगार सामग्री के बारे में नहीं किया गया है, क्योंकि यह आवश्यक वस्तु नहीं है। तथापि, सरकार

उपभोक्ता संरक्षण के हित में विधान बनाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है, ताकि उपयुक्त मामलों में वस्तुओं की पेकेजिंग की शर्त आमतौर पर सुनिश्चित की जा सकें, जिनके अनुसार तोल, मूल्य विनिर्माण की तारीख आदि अंकित करना अनिवार्य होगा।

स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध आरोपों के बारे में राष्ट्रपति को पेश किए गए ज्ञापन

*665. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध आरोपों के बारे में लोक सभा के एक मार्कसवादी तथा एक समाजवादी सदस्य द्वारा हस्ताक्षरकृत एक ज्ञापन वर्ष 1973 में राष्ट्रपति गिरि को पेश किया गया था;

(ख) क्या लोक सभा के उपरोक्त समाजवादी सदस्य ने उसी मंत्री के विरुद्ध 20 मार्च, 6 अप्रैल तथा 6 जून, 1974 को भी तीन अतिरिक्त ज्ञापन राष्ट्रपति को पेश किए थे;

(ग) यदि हां, तो इन चारों ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन आरोपों के संबंध में कोई जांच की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) : आरोपों का सम्बन्ध स्वर्गीय श्री मिश्र द्वारा अपने सरकारी कर्त्तव्यों के पालन करने में की गई कथित अनियमितताओं से है।

(घ) और (ङ) पहले के तीन पत्रों में आरोपों के सम्बन्ध में स्वर्गीय एल० एन० मिश्र की टिप्पणियों की उनकी दुःखद हत्या के समय जांच की जा रही थी।

योजना तैयार करने में आंकड़ों के अभाव में बाधाएं

*666. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा, बेरोजगारी और जनसंख्या में वृद्धि जैसी जीवन के सामाजिक पहलुओं पर पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण योजना तैयार करने में सदा बाधाएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बताए गए क्षेत्रों से सम्बन्धित उपलब्ध आंकड़ों में कमियां हैं और इसलिए वह इन क्षेत्रों में आयोजन हेतु आवश्यक आंकड़ों की उपयुक्तता, गुणवत्ता और सामयिकता में सुधार लाने के लिए निरन्तर पग उठाती रहती है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर आंकड़ों की उपलब्धता के संबंध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

1. शिक्षा

शिक्षा संबंधी आंकड़ों के मुख्य स्रोतों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है :—

(1) जनगणना;

(2) शिक्षा मंत्रालय और राज्यों के शिक्षा विभागों के प्रतिवेदन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं आदि के प्रतिवेदन; और

(3) शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण।

इन आंकड़ों की मुख्य कमियां ये हैं :—

(क) समय-अन्तराल—जैसा कि निम्न सूचना से स्पष्ट है, शिक्षा संबंधी आंकड़ों के कुछ प्रमुख प्रकाशन पर्याप्त समय के अन्तराल से उपलब्ध होते हैं :—

	नवीनतम जिस वर्ष का उपलब्ध
1. एजूकेशन इन इंडिया	1967–68
2. एजूकेशन इन युनिवर्सिटीज़ इन इंडिया	1966–67
3. प्राविजनल स्टेटिस्टिक्स आन एजूकेशन इन स्टेट्स	1969–70
4. प्रोग्रेस आफ एजूकेशन आफ शेडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स	1968–69
5. यूनिवर्सिटी डवलपमेंट इन इंडिया : बेसिक फेक्ट्स एण्ड फिगर्स	1970–71

(ख) आंकड़ों का अभाव—अनौपचारिक शिक्षा, विद्यार्थियों के प्रवाह, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं में औसत दैनिक उपस्थिति, शिक्षा पर व्यक्तिगत खर्च आदि के अभी तक विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

आंकड़ों की गुणवत्ता और समय पर उनकी उपलब्धता को उन्नत करने के लिए विभिन्न पग उठाए गए हैं। पूर्ण गणना एवं नमूने के आधार पर शिक्षा संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक नयी स्कीम तैयार की है। विशिष्ट समस्याओं विशेषकर उन पर—जिनसे शैक्षणिक विकास योजनाओं को बनाने में कठिनाइयां आती हैं—सूचना एकत्रित करने के लिए विषयोन्यमुख नियतकालिक अध्ययन करने का भी प्रस्ताव है। शिक्षा संबंधी आंकड़ों को उन्नत करने के उद्देश्य से शिक्षा संबंधी आंकड़ों की एक सलाहकार समिति भी गठित कर दी गई है।

2. बेरोजगारी

बेरोजगारी पर सूचना के स्रोत हैं : (1) दसवर्षीय जनगणना (2) रोज़गार कार्यालयों चालू रजिस्टरों के आंकड़े और (3) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा० प्र० स०) के विभिन्न दौर।

भारत में वास्तविक समस्या अर्द्ध-रोज़गार की है। रोज़गार की तीव्रता में मौसम के अनुसार उतार-चढ़ाव और ग्रामीण परिवारों के एक काफी बड़े अनुपात का श्रमिक बाज़ार से आंशिक रूप में सम्बद्ध होने के कारण किसी एक समय पर बेरोज़गारी के निश्चित परिमाण पर पहुंचने में कठिनाई हुई है। परन्तु इस समस्या पर विचार किया जा रहा है और विशेषज्ञ समितियों ने इसका अध्ययन किया है। रोजगार अनुमानों पर विशेषज्ञ समिति (दांत वाला समिति) की सिफारिश के अनुसार वर्ष 1972-73 के दौरान रा० प्र० स० के 27वें दौर में एक पूर्णरूपेण सर्वेक्षण किया गया है और आंकड़ों का परिष्कार किया जा रहा है। ऐसी सूचना उपलब्ध होने की आशा है जिससे विश्लेषण, विचारों और व्याख्याओं —जिनका प्रयोग बेरोज़गारी / अर्द्ध-रोज़गार की स्थिति का सार्थक रूप से मूल्यांकन करने के लिए होना है—की रूपरेखाओं के बारे में एक दृष्टिकोण बन सकेगा।

3. जनसंख्या, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

जनसंख्या का लिंग-आयु वर्गीकरण दस वर्षीय जनगणना से मिलता है जो कि दस वर्षो के अन्तराल से क्षेत्रों और अन्य सम्बन्धित जनांकिकीय पहलुओं के साथ-साथ देशान्तरण के कुछ विवरणों से पुनः वर्गकृत होता है। वर्तमान जन्म और मृत्यु दरों तथा देशान्तरण पर भी आंकड़े जनांकिकीय नमूना सर्वेक्षणों विशेषकर नमूना पंजीकरण प्रणाली (न० प० प्र०) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त होते हैं।

जहां आयोजन की दृष्टि से जनसंख्या पर उपलब्ध आंकड़े आमतौर पर पर्याप्त समझे जाते हैं वहां इनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़ों में कुछ अन्तराल भी हैं। प्राइवेट डाक्टरों द्वारा जो बड़ी संख्या में ऐसे मामले हाथ में लिए जाते हैं, उनके बारे में सूचना नियमित रूप से उपलब्ध नहीं है। जहां तक जीवन-मरण दरों का सम्बन्ध है, कानूनी बाध्यता के बावजूद जीवन-मरण की घटनाओं के बारे में सूचना देने की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। कितनी ही संगठनात्मक और व्यावहारिक समस्याओं के कारण, न० प० प्र० का एक समान और प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सभी राज्यों में अभी किया जाना है। कई वर्षो (1961–67) के जन्म-मरण दरों के आंकड़े रा० न० स० से उपलब्ध हैं लेकिन उनसे राज्यवार सूचना नहीं मिलती और वे कुछ पुराने भी पड़ गए हैं।

आंकड़ों की उपलब्धता को उन्नत करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी इनमें उन्नति कुछ समय बाद ही दृष्टिगोचर हो सकती है।

4. समाज कल्याण

कुल मिलाकर, समाज कल्याण क्षेत्र में आंकड़ों की उपलब्धता से कोई प्रमुख अड़चन नहीं आई है। बहरहाल, सामाजिक और शारीरीक दृष्टि से अपंग व्यक्तियों के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें प्रशासनिक और परिचालन कठिनाइयों के कारण अखिल भारतीय आधार पर

विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है। इस कमी को मान लिया गया है और यथासंभव सम्बन्धित सांख्यिकीय सूचना संकलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कोयले के उत्पादन में कमी

***667. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकिंग कोयले के उत्पादन में हाल ही में कभी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं। 1973–74 की तुलना में 1974–75 के दौरान अधिक उत्पादन हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का ईंट भट्ठों तथा परिवहन करने के लिए रेल वैगनों का आबंटन करना

6278. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "फाइनेन्शल एक्सप्रेस" दिनांक 14 फरवरी, 1975 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अखिल भारतीय ईंट निर्माता संगठन ने ईंट भट्ठों तक कोयले का परिवहन करने के लिए तेल वैगनों का आबंटन करने में एब्रिक्स और टाईल उद्योग' को दी गई निम्नतम प्राथमिकता को समाप्त करने हेतु केन्द्र (ऊर्जा तथा इस्पात मंत्रालय) के हस्ताक्षेप की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां।

ईंट और टाइल उद्योग की तुलना में स्लैक कोयले के अन्य उपभोक्ताओं यथा ताप बिजली घरों और सीमेंट उद्योग को उनके तुलनात्मक महत्व को ध्यान में रखकर कोयले की ढुलाई में रेलवे द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जाती है। किंतु, प्राथमिकता के बिना भी रेलवे द्वारा कुछ वैगन ईंट और टाइल उद्योग को पहले से ही आबंटित किए जा रहे हैं।

जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में सीमेंट कारखाने

6279. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीमेन्ट की भारी कमी को देखते हुए जम्मू-काश्मीर; हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में सीमेन्ट कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा इस बीच मन्जूर किया गया है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में सीमेंट के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित योजनायें स्वीकृत की गई हैं:--

पार्टी का नाम	स्थान	क्षमता लाख मी० टन में
1. जे० एण्ड के० मिनरल्स लि०	बशोली (जे० एण्ड के०)	2.00
2. वही	खिरू (जे० एण्ड के०)	1.04
3. हिमाचल प्रदेश मिनरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कोरपोरेशन लि०	समलोटी (एच० पी०)	2.00
4. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	राजबन (पौंटा) (एच० पी०)	2.00
5. दी एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लि०	भूपेन्द्र (हरियाणा) (विस्तार)	3.00
6. जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	लुधियाना/भटिंडा (पंजाब)	1.26 ग्राईडिंग यूनिट केवल

तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों पर राज्य सरकार का नियन्त्रण

6280. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों के प्रबन्ध नियन्त्रण को अपने हाथों में लेने पर जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि संसद के हाल ही के अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा स्थापित किये जाने वाले निगम को उन्हें न सौंपा जाये।

(ख) यदि हां, तो इस राज्य सरकार ने इन मिलों के नियन्त्रण को अपने हाथ में रखने के लिये क्या कारण बताये हैं; और

(ग) उनके दावों पर सरकार का क्या निर्णय है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 'राज्य सरकार के साथ पारस्परिक विचार विमर्श के बाद तमिलनाडु की राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलें राष्ट्रीय वस्त्र निगम (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० जो राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० की एक सहायक संस्था है को हस्तांतरित कर दी गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

सहायक नमक आयुक्त के कार्यालय को उड़ीसा स्थानांतरित करना

6281. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा राज्य सरकार की मांग के अनुसार सहायक नमक आयुक्त के कार्यालय को उड़ीसा स्थानान्तरित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार ने वर्ष, 1972 में अनुरोध किया था कि सहायक नमक आयुक्त कलकत्ता का कार्यालय उड़ीसा में स्थानान्तरित किया जाए। चूंकि सहायक नमक आयुक्त, कलकत्ता को कलकत्ता बन्दरगाह से सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल हो, में नमक के वितरण की विभिन्न समस्याओं को सुलझाना पड़ता है, इसलिए उस क्षेत्र में नमक का कारगर वितरण करने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया था कि सहायक नमक आयुक्त कलकत्ता के कार्यालय को कलकत्ता से स्थानांतरित न किया जाये हाल के महीनों में राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि उड़ीसा के लिए सहायक नमक आयुक्त का एक पद अलग से बनाया जाएगा। वर्तमान वित्तीय स्थिति में अलग से एक पद बनाना सरकार के लिए न तो संभव है और न ही सरकार ने आवश्यक समझा है । राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि सहायक नमक आयुक्त, कलकत्ता उड़ीसा की समस्याओं को शीघ्र निवटा देगा ।

सिगरेट निर्माता कम्पनियों को लाइसेंस और अनुमति-पत्र जारी करना

6282. **श्री नानूभाई एन० पटेल :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयर होल्डिंग वाली सिगरेट निर्माता कम्पनियों को कितने औद्योगिक लाइसेन्सों अनापत्ति पत्रों सी० ओ० बी० लाइसेंसों और अनुमति-पत्रों आदि की मन्जूरी दी गई; और

(ख) इस बारे में प्रत्येक कम्पनी का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी हिस्सों वाली सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को पिछले तीन वर्षों में सिगरेट का निर्माण करने के लिए कोई भी औद्योगिक लाइसेंस/ अनुमति-पत्र स्वीकार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलेक्ट्रानिक्स के लिये प्राद्योगिकी विकास परिषद्

6283. **श्री रामचन्द्रन कटनापल्ली :** क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स के लिए प्रोद्योगिकी विकास परिषद् में 91 सदस्य और नौ-नौ सदस्यों की नौ समितियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के कृत्य क्या हैं और इतनी बड़ी समितियां रखने का प्रयोजन क्या है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक मन्त्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इलेक्ट्रानिकी आयोग द्वारा गठित प्रौद्योगिकी विकास परिषद् में 9 सदस्य सम्मिलित हैं। परिषद् ने सामग्री एवं संघटक, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी, अभिकलित्र (कंप्यूटर) नियंत्रण एवं औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी, रेडार एवं नौवहन प्रणालियों, संचार एवं प्रसारण तथा वैद्युत-यांत्रिक संघटक एवं उपस्कर के क्षेत्रों से संबद्ध छः कार्यकारी दलों का गठन किया है। इन सभी छः कार्यकारी दलों में कुल 42 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दल में एक अध्यक्ष और एक सचिव होते हैं। अध्यक्ष प्रौद्योगिकी विकास परिषद् का सदस्य है, तथा सचिव इलेक्ट्रानिकी आयोग के सूचना, आयोजना एवं विश्लेषण समूह से लिया गया वैज्ञानिक होता है।

(ख) प्रौद्योगिकी विकास परिषद् और इसके कार्यकारी दलों का प्रमुख कार्य है, देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत विद्यमान अंतरालों का पता लगाना तथा उपयुक्त संस्थानों में उन अर्थपूर्ण अनुसंधान विषयक परियोजनाओं का प्रतिपादन करने में सहायता देना जिनको इलेक्ट्रानिकी आयोग द्वारा अधिक सहायता दी जा सकती है। परिषद् इस कार्य को, देश में इलेक्ट्रानिकी के विकास के लिये योजना आयोग द्वारा स्वीकृत आयोजनाओं, इलेक्ट्रानिकी मदों को विभिन्न किस्मों (सामग्रियों, संघटकों, उपस्कर एवं प्रणालियों) के समग्रानुसार अनुमानित उत्पादन, आयात-प्रतिस्थापन संबंधी योजनाओं तथा पहले से ही विद्यमान मूल-संरचना (संस्थान, वैज्ञानिक तथा उनकी अभिरुचि एवं क्षमताएं, उपस्कर आदि) के संदर्भ में पूरा करती हैं ताकि न्यूनतम पूंजी-निवेश से, और जहां आवश्यक हो, तकनीकी जानकारी का न्यायोचित आयात करके, आत्म-निर्भरता की दिशा में तेजी से प्रगति करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध की जा सके। परिषद् आयोग को अन्य विभिन्न विषयों पर भी जिनका संबंध प्रौद्योगिकी विकास की वार्षिक योजनाओं व तकनीकी जनशक्ति के विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने आदि से है, सलाह देती है। इलेक्ट्रानिकी उद्योग का उच्चस्तरीय विशिष्ट स्वरूप, द्रुतगति से होने वाले प्रौद्योगिक परिवर्तन जो इस उद्योग के विशेष लक्षण हैं तथा वह तथ्य कि परिषद् की सलाह से ही प्रौद्योगिकी विकास के लिए पर्याप्त रूप से विशाल पूंजी-निवेश किए जाते हैं—इन सब तत्वों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा समझा जाता है कि परिषद् और उसके कार्यकारी दलों का आकार अनावश्यक रूप से बड़ा नहीं है। प्रौद्योगिकी विकास परिषद के क्षेत्र, गठन और इसके कार्य-क्लापों के विषय में विस्तृत सूचना इलेक्ट्रानिकी विभाग की 1973-74 की वार्षिक रिपोर्ट (अध्याय 10 के पैराग्राफ 10·3–10.7 तथा परिशिष्ट-III) में दी गई है।

Inclusion of Nagpur and Adjoining areas on Television Expansion Scheme

6284. Shri Ram Hedaoo : Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) whether a decision has been taken to include Nagpur and the adjoining areas in the Televison expansion scheme; and

(*b*) if so, the time by which the people living in this area would be able to see the television programme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

उच्च न्यायालयों के निर्णयों में भाषा का प्रयोग

6285. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **गृह** मंत्री उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के प्रयोग के बारे में 20 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1346 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उच्च न्यायालयों में केवल हिन्दी में ही निर्णय दिया जाता है जहां हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्णय दिया जाता है/जहां केवल अंग्रेजी में निर्णय दिया जाता है तथा संबंधित राज्यों की राजभाषा क्या है; और

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र को उच्च न्यायालय में अपनी राजभाषा का प्रयोग करने की अनुमति देने को कहा है जिसको केन्द्र ने स्वीकार नहीं किया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

गृह मन्त्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) कोई भी उच्च न्यायालय केवल हिन्दी में अथवा राज्य की सरकारी भाषाओं में से किसी भाषा में अपने निर्णय नहीं दे रहा है। इलाहाबाद, पटना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उच्च न्यायालय अपने निर्णय में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करने के लिए स्वतन्त्र हैं, यद्यपि अधिकांश निर्णय इस समय केवल अंग्रेजी में दिये जा रहे हैं। शेष उच्च न्यायालय अपने निर्णय केवल अंग्रेजी में दे रहे हैं।

(ख) तमिल नाडु सरकार ने अपने उच्च न्यायालय में राज्य की भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने को केन्द्रीय सरकार से नहीं कहा है। अतः राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमत न होने का प्रश्न नहीं उठता।

अपशिष्ट सामग्री का उपयोग

6286. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपशिष्ट सामग्री के उपयोग हेतु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना-प्रारूप द्वारा सुझा दी गई अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं और अनुवर्ती औद्योगिकीकरण को क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के प्रारूप (खंड 1 एवं 2, 1974-79) जिसे, 26 मार्च, 1974 को सभा-पटल पर रखा गया था के "अपशिष्ट सामग्री के उपयोग एवं पुन: चक्रण "सम्बन्धी क्षेत्र में शामिल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों—जैसे गोबर गैस संयंत्र, फ्लाई ऐश, इस्पात धातुमल, शैवाल, खनिज अपशिष्ट आदि, में विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इनके अतिरिक्त, उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपशिष्ट सामग्री के उपयोग के लिए निम्नलिखित नौ राष्ट्रीय एकीकृत परियोजनाएं बनाई गई हैं :—

1. चावल की भूसी
2. इस्पात धातुमल
3. खनिज अपशिष्ट
4. कृषि अपशिष्टों से प्राप्त फरफ्यूरल
5. प्रोटीन के एक स्रोत के रूप में सैलुलोसी सामग्री का उपयोग
6. कार्बनिक अपशिष्टों का कम्पोस्ट बनाकर खाद तैयार करना
7. कार्बनिक अपशिष्ट का रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खाद तैयार करना
8. बोर्ड तैयार करने और औद्योगिक रसायनों के उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ठ तथा
9. बूचड़खानों के अपशिष्टों/उप-उत्पादों का उपयोग।

विभिन्न मंत्रालय, अभिकरण, संस्थायें आदि इन परियोजनाओं में जुटी हुई हैं और इनको क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

कोका कोला निर्यात निगम

6287. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला निर्यात निगम की मूल साम्य पूंजी कितनी थी और इसका गठन किस वर्ष किया गया था;

(ख) क्या बाद में कोई साम्य पूंजी विदेश से लाई गई और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निगम की वर्तमान प्रदत्त पूंजी कितनी है और उसके सदस्यों के नाम क्या हैं, इस समय देश में इस कम्पनी द्वारा निर्मित कुल रक्षित राशि कितनी है, पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग किये गये आयातित कच्चे माल, विदेश भेजी गई धनराशि निर्यात व्यापार से एकत्रित की गई रक्षित पूंजी और साम्य पूंजी के निर्माण का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री टी० ए० पै) : (क) से (ग) भारत में कोका कोला एक्सपोर्ट निगम अमरीकी कम्पनी की एक शाखा है और भारत में उसकी चुकता अथवा इक्विटी पूंजी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 31-12-1973 को निगम की भारतीय शाखा द्वारा लगाई गई अनुमानित पूंजी करीब 4.9 करोड़ रु० है। पिछले तीन वर्षों में भारतीय शाखा द्वारा किए गए कच्चे माल के आयात निर्यात और धन भेजने के बारे में आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

	कच्चे माल का आयात	निर्यात	धन प्रेषण
			(लाख रु० में)
1972	15.43	184.88	15.68
1973	24.52	241.15	100.66
1974	8.06	130:54	116.86

पश्चिमी बंगाल के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना

6288. **श्री रानेन सेन :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को अपनी 150 करोड़ रुपये की विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के लिए राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति एक सलाहकारी संस्था है न कि निधि जुटानेवाला अभिकरण। राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं का परिव्यय अनिवार्य रूप से राज्यों के बजट से ही पूरा करना होगा। फिर भी, ऐसी योजनाओं में अभिज्ञप्त अनेक समस्यायें ऐसी हैं तो केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों के अनुरूप हैं अतः अनावश्यक दोहरेपन से बचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और जहां तक भी हो सके, ऐसे कार्यक्रमों को केन्द्रीय क्षेत्र के उन जैसे कार्यक्रमों के साथ मिला कर, क्रियान्वित किया जाता है ।

पश्चिम बंगाल संबंधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना हेतु 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से अनुमानतः 80 करोड़ रुपये की राशि, राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं के लिए रखी गई है। ऐसी संस्थाओं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत आते हैं। 70 करोड़ रुपये का शेष परिव्यय राज्य क्षेत्रों के कार्यक्रमों से संबंधित है। निधि का वास्तविक आबंटन संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल तथा मिजोरम को औद्योगिक परियोजनाओं के लिये लाइसेंस जारी करना

6289. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा 1972-73, 1973-74 और दिसम्बर 1974 के अन्त तक आसाम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर और अरुणाचल एवं मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों में किन विशेष औद्योगिक परियोजनाओं के लिये लाइसेन्स जारी किये गये थे; और

(ख) क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है कि उनमें से कुछ लाइसेंस कुछ अन्य दलों को बेच दिये गए थे और यदि हां, तो ऐसा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) आसाम, मणिपुर, मेघालय और नागालैण्ड में उद्योग स्थापित करने के लिए 32 औद्योगिक लाइसेंस और 33 आशय पत्र जारी किए गए थे। ये धातुकर्मी उद्योग, विद्युत उपकरण, परिवहन, रसायन (उर्वरकों को छोड़कर) कपड़ा, कागज और गत्ता, कागज उत्पादन सहित, खाद्य परिष्करण उद्योग सीमेंट और जिप्सम उत्पाद और लकड़ी के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों के बारे में है। इस अवधि में मिजोरम और अरुणाचल जिलों को कोई भी लाइसेंस अथवा आशय पत्र जारी नहीं किया गया।

(ख) जी, नहीं।

Inspection of Offices under Ministry of Energy to Ensure use of Hindi in Offices.

6290. Shri Sudhakar Pandey : Will the **Minister of Energy** be pleased to state :

(*a*) whether officers of his Ministry, while on inspection of the offices under them also ensure that all the work is carried out in Hindi in these offices according to the Government's policy in this regard;

(*b*) the number of officers who carried out such inspections during the last year and the number of the offices inspected;

(*c*) the position, in general, as revealed in the inspection reports; and

(*d*) the steps taken to improve the position in the offices where Hindi is not being used even now ?

The Minister of Energy (Shri K. C. Pant) : (*a*) to (*d*) Officers going out on tour have not so far carried out such inspections of offices under this Ministery. Quarterly reports regarding progressive use of Hindi are however, received regularly from these offices. These reports show a definite improvement in the use of Hindi in official work. Suggestions to further improve the position are being given from time to time.

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

6291. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर प्रदेश राज्यों से पिछले कितने लोगों को, जिलेवार, अब तक पेंशन प्राप्त हुई है;

(ख) इस समय इस बारे में कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं; और

(ग) झूठे प्रमाणपत्रों वाले आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है और उक्त मामलों में जिन लोगों का हाथ है, उनके नाम क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) असम के सर्वश्री मीनाराम राजकवर, पुत्र स्व० धनेश्वर राज कंवर, अरुण राव कंवर पुत्र स्व० ओगेश्वर राज कंवर और सोमेश्वर बोहरा पुत्र स्व० शान्तीराम वोहरा, के जिन पर झूठी सूचना देने का आरोप है, के मामले में पेंशन स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकार के परामर्श में आगे आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

राज्य का नाम	जिले का नाम	जिन व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई है उनकी संख्या	जिन व्यक्तियों के मामले सबूत न होने के कारण लंबित पड़े हैं, उनकी संख्या
पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	2357	2200
	कलकत्ता	3738	1360
	24-परगना	2166	1223
	हावड़ा	690	513
	पश्चिम दिनाजपुर	112	247
	पुरुलिया	349	71
	नादिया	530	634
	मुर्शिदाबाद	215	122
	हुगली	730	665
	मालदा	105	54
	कूच बिहार	83	72
	बीरभूमि . . .	192	137

1	2	3	4
	दार्जिलिंग	126	52
	जल पाईगुडी . .	229	201
	वर्दवान	435	406
	वन्कुड़ा	337	283
	जोड़	12394	8240
आसाम	कछार	2078	280
	सिवसागर	511	611
	नौगांव	370	214
	दारंग	49	115
	लखीमपुर	38	73
	कामरूप	25	111
	गोलपाड़ा	21	31
	गुहाटी	8	22
	डिबरूगढ़	4	29
	जोड़	3104	1486
त्रिपुरा	त्रिपुरा	615	890
	मेघालय	68	26
	मणिपुर	91	466
	मिजोरम	2	4
	नागालैंड	3	10

औद्योगिक अनुमति सचिवालय द्वारा दी गई दोषपूर्ण स्वीकृतियां

6292. **खेम चन्द्रभाई चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक अनुमति सचिवालय द्वारा जारी की गई स्वीकृतियां इस रूप में दोषपूर्ण होती हैं कि 'आशय पत्र' में कुछ शर्तें छोड़ दी जाती हैं और कुछ अस्पष्ट रूप से रखी जाती हैं और कई बार लागू किए गए अनुच्छेद पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किए जाते ;

(ख) ऐसी स्थिति कितने अवसरों पर उत्पन्न हुई; कम्पनियों के नाम क्या हैं और उक्त दोषों का व्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी स्थिति में औद्योगिक अनुमति सचिवालय के माध्यम से समय बाधित कार्यक्रम में स्वीकृतियां जारी कराने का क्या उपयोग है जबकि उद्यमियों को उसका कोई लाभ न हो, क्योंकि कई बार उक्त दोषों को दूर कराने में 6 मास से एक वर्ष तक की अवधि लग जाती है; और

(घ) क्या दोषों से बचने और नए उद्यमियों द्वारा उत्पादन में दक्षता लाने के विचार से स्वीकृतियां जारी करने का कार्य प्रशासकीय मंत्रालय को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

कोका कोला को तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास सूची में दर्ज करना

6293. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला को तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास सूची में दर्ज (रिकार्ड) किया गया है । यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के किन नियमों के अन्तर्गत इसे सूची में दर्ज किया गया है;

(ग) यह शब्दावली किस प्रकार बनायी गयी थी औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के किन उपबन्धों अथवा नियमों अथवा किस अधिसूचना के अधीन यह जारी की गई थी; और

(घ) तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास सूची में दर्ज होने के कारण अनुवर्तीलाभ क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) सांद्रण (कांस्ट्रेंट) बनाना ऐसी वस्तु समझी गई है जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम सूची के अन्तर्गत नहीं आती है । अत: मे० कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को भारत में निम्नलिखित शर्तों पर सांद्रण बनाने के लिए जनवरी, 1958 में स्वीकृति दी गई थी :—

(1) संयंत्र और उपकरण विदेशी कम्पनी द्वारा दिए जायेंगे, और

(2) उत्पादन की मात्रा इतनी होगी जिससे देश में बोतलें भरने के चार विद्यमान संयंत्रों की जरुरतों को पूरा किया जा सके और इन संयंत्रों में पेय बनाने के लिए जिन अन्य कच्चे माल के आयात की आवश्यकता होगी इसके लिए समय-समय पर विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखकर अनुमति दी जाएगी ।

तदनुसार 1964 में कोका कोला सांद्रण बनाने के लिए उनके वर्तमान उपक्रम के आधार पर साइट्रस/फल से पेय बनाने का प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों पर सरकार ने स्वीकृत कर लिया था :—

(1) उन्हें मृदु पेय आधार का निर्माण करने के लिए संयंत्र और उपकरणों का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी; और

(2) मृदु पेय आधार का निर्माण करने के लिए अपेक्षित किसी कच्चे माल का आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की पूर्ति कोका कोला सांद्रणों का निर्यात करने के लिए उन्हें स्वीकृत निर्यात उत्पादन हकदारी से की जायेगी ।

तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूचियों में शामिल औद्योगिक एककों को संयंत्र, मशीनों और कच्चे माल आदि के आयात के बारे में नियमों का पालन करना पड़ता है । उन्हें समय-समय पर अपने उत्पादन की सूचना भी देनी पड़ती है ।

राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के विकास की उपयोजनायें

6294. **श्री के० प्रधानी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को सभी राज्यों से आदिवासी-बहुल क्षेत्रों के विकास की उपयोजनाएं प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उन पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों हेतु राशि शीघ्र देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या वर्ष 1975-76 में इन योजनाओं के लिए राशि दी जाने की संभावना है ;

(घ) प्रत्येक राज्य के लिए कितनी ; और

(ङ) वर्ष 1975-76 में कौनसी परियोजनाएं ली जायेंगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, हां। जिन राज्यों में आदिम जाति बाहुल क्षेत्र हैं, उन सभी से उपयोजनाएं प्राप्त हो गई हैं। इनकी योजना आयोग में जांच की गई। यह देखा गया कि अधिकांश उपयोजनाओं के कार्यक्रमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी क्योंकि यह योजना आयोग द्वारा पहले भेजे गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार नहीं थीं । राज्य सरकारें इस समय अपनी उप-योजनाओं को अन्तिम रूप देने के काम में व्यस्त हैं ।

(ग) से (ङ) उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 1975-76 के वर्ष में 20 करोड़ रुपये का कुल बजट प्रावधान किया गया है जबकि 1974-75 के वर्ष में 5 करोड़ रुपये का था । जिन समेकित आदिम जाति विकास परियोजनाओं को वर्ष 1974-75 के दौरान आरम्भ करने के लिए सहमति प्रगट की गई है उनके तथा भूतपूर्व आदिम जाति विकास खण्डों के जारी कार्यक्रमों के लिए 13 करोड़ रुपये का तदर्थ आवंटन किया गया है । विभिन्न राज्य सरकारों से वर्ष 1975-76 के लिए उनके कार्यक्रमों के बारे में ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम आवंटन किया जाएगा ।

टेलीविजन एंड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा बिना वैद्य लाइसेंस के टेलीविजन सेटों का निर्माण

6295. **श्री अनादि चरण दास :** क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन एंड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएट्स प्राइवे टेड बिना वैद्य लाइसेंस के गेलेक्सी के ट्रेड नाम से टेलीविजन सेटों का निर्माण कर रही है ;

(ख) क्या इस कम्पनी को उत्तर प्रदेश में वाराणसी में टेलीविजन सेटों का निर्माण करने हेतु लाइसेंस दिया गया था जो बाद में रद्द कर दिया गया था; और

(ग) क्या यह कम्पनी बिना किसी अनुमति के गाजियाबाद में अपना कारोबार अभी भी चला रही है, यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

जन-जातीय उप-योजना के लिये आवंटित धनराशि का अन्य कार्यों पर उपयोग रोकने के लिये कार्यवाहि

6296. **श्री गिरीधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातियों उपयोजना के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ;

(ख) क्या जनजातीय विकास के लिए व्यय न की गई धनराशि को अगली योजना के लिए आरक्षित रखा जाएगा; और

(ग) यदि हां, राज्यों को इस बारे में क्या निर्देश जारी किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) एक बार जब उप-योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया जाता है तो प्रत्येक राज्य में उप-योजना क्षेत्रों की वार्षिक योजना को भी उसी वर्ष अन्तिम रूप दे दिया जाता है । राज्य योजना के व्यय से आदिवासी क्षेत्रों में लागत के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उप-योजना क्षेत्रों के लिए परिव्यय वहीं लगा दी जाती है ।

(ख) तथा (ग) पांचवीं योजना अवधि में आदिवासी विकास के लिए किसी धन राशि के व्यय न होने की संभावना का पता लगाना अभी समयपूर्व होगा ।

महाराष्ट्र में संघ के साप्ताहिक "प्रतिबिम्ब के पंजीकरण के बारे में अभ्यावेदन

6297. **श्री अण्णासाहेब गोटखिन्डे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें महाराष्ट्र राज्य में संघ के साप्ताहिक 'प्रतिबिम्ब' के पंजीकरण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार पत्र को रजिस्ट्रेशन नं० आर० एन० 27751/73 अलाट किया जा चुका है ।

कलकत्ता में बिजली की कमी

6298. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बिजली की कमी चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कलकत्ता में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, परन्तु शिखरण (पीकिंग) क्षमता की कमी के कारण पीक लोक प्रतिबन्ध लागू किए गए हैं । सन्तालडीह हावड़ा पारेषण लाइन तथा सन्तालडीह पर दूसरे यूनिट के चालू हो जाने और दामोदर घाटी निगम में चन्द्रपुरा के नए उत्पादन यूनिटों के दृष्टीकरण से, निकट भविष्य में कलकत्ता में विद्युत् सप्लाई में सुधार होने की प्रत्याशा है ।

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची और हैवी इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट, रानीपुर हरिद्वार की उत्पादन क्षमता

6299. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी मशीन निर्माण संयंत्र, रांची, और हैवी इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स प्लांट, रानीपुर हरिद्वार की उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त संयंत्र अपनी क्षमता के अनुसार चल रहे हैं; और

(ग) इन संयत्रों के वर्षवार गत तीन वर्षों के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मूल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी० पी० आर०) के अनुसार हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची की अधिष्टापित क्षमता 80,000 मी० टन के यांत्रिक उपकरण की है । बाद में 25,000 मी० टन की क्षमता से एक ढांचा निर्माण शाला इसमें जोड़ दी गई थी ।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के हरिद्वार एकक की क्षमता निम्नलिखित है :—

थर्मल टर्बो सेट	1400 मे० वा०	(इसमें प्रतिवर्ष 200 मेगावाट के 7 सेटों का उत्पादन निहित है)
हाइड्रो सेट	625 मे० वा०	(इसमें प्रतिवर्ष 5 से 130 मेगा वाट के बीच की क्षमताओं के 8 से 10 हाइड्रो सेटों का उत्पादन निहित है)
इलेक्ट्रिकल रोटेरिंग मशीनें	450 मे० वा०	(0.1 से 4 मे० वा० साइज की मशीनें)

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में इन दोनों संयंत्रों का उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

	1972—73	1973—74	1974—75
हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची			
यांत्रिक	27877 मी० टन	31568 मी० टन०	36791 मी० टन०
संरचनात्मक	8212 मी० टन०	8473 मी० टन०	4302 मी० टन०
भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार			
थर्मल टर्बो सेट (मे० वा०)	200	700	1080
हाइड्रो सेट (मे० वाट)	30	91	190
इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीनें (मे०वाट)	23	90	115

दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये योजना तैयार करना

6300. **श्री विश्व नाथ झुंझुनवाला :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब से प्रारम्भ किया जाएगा; और

(ग) क्या इस योजना को अन्य महानगरों में लागू करने की भी कोई योजना है और यदि हां, तो कब से?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली दिल्ली और अन्य महानगरों में पहले से ही लागू है। देश भर में शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगभग 2.13 लाख उचित दर मूल्य की दुकानें हैं, दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लगभग 2,400 उचित मूल्य की दुकान शामिल है, जो गेहूं, चावल और चीनी का वितरण करती हैं। साफ्ट कोक और मिट्टी का तेल क्रमशः लगभग 1475 और 1384 खुदरा निकासों के माध्यम से वितरित किया जाता है। नियंत्रित कपड़े का वितरण चार उपभोक्ता सहकारी भंडारों लगभग 75 प्राथमिक भंडारों और मिलों की लगभग 30 खुदरा दुकानों, जिनमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम के खुदरा निकास भी शामिल हैं, के जाल के माध्यम से किया जाता है। प्राथमिकता वाली आवश्यक वस्तुओं के बारे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने और उसे मजबूत बनाने के लिए एक नमूना प्रणाली तैयार करने हेतु एक विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। यह नमूना दिल्ली की परिस्थियों के संदर्भ में तैयार किया जाएगा और इसे दूसरे तीन से चार चुने केन्द्रों में संबंधित राज्य सरकारों के निकट सहयोग से परीक्षण के तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा।

संसद् सदस्यों के कोटे से कारों की खरीद

6301. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1971 से सितम्बर, 1973 की अवधि के दौरान संसद सदस्यों के कोटे से कितने संसद सदस्यों ने कारों की खरीद की;

(ख) उनमें से कितने संसद सदस्य उन कारों को टैक्सी के रूप में चला रहे हैं;

(ग) कितने संसद सदस्यों ने निषिद्ध समय सीमा के भीतर ही उन कारों को बेच दिया ?

वया उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 489

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) 17 संसद सदस्यों को निषिद्ध समय सीमा के भीतर अपनी कारें बेचने की मंजूरी दी गई थी।

राज्य सेवाओं से पदोन्नत किये गये भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की वरीयता नियत करना

6302. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने आर० पी० खन्ना तथा अन्य बनाम एस० ए० एफ० अब्बास तथा अन्य के मामले में राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि राज्य सेवाओं अथवा इसकी सम्बद्ध सेवाओं से 1967 से पूर्व भारतीय प्रशासकीय सेवा में पदोन्नत किए गए लोगों की वरीयता चयन सूची में उनके नाम सम्मिलित करने के स्थान पर प्रवर पद पर उसके स्थानापन्न रूप से काम करने की अवधि के अनुसार नियत की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों द्वारा उक्त निदेश लागू कर दिए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं और क्या केन्द्र सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों को कोई परामर्श दिया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 1972 के निर्णय में सिविल अपील संख्या 565/1970 और 1470/1970, आर० पी० खन्ना तथा अन्य बनाम एस० ए० एफ० अब्बास तथा अन्य में यह निर्णय दिया कि राज्य सरकार की भारतीय प्रशासन सेवा में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए किसी भी संवर्ग बाह्य पद को भूतलक्षी प्रभाव से संवर्ग पद के समक्ष घोषित करने का अधिकार प्राप्त था । उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि सम्बन्धित पदोन्नत अधिकारियों के आंबटन के वर्षों को केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निर्धारित करना होगा । उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए भारत सरकार ने आयोग को लिखा है ।

पश्चिमी बंगाल द्वारा कोयला खानों के लिए रायल्टी की अदायगी की मांग

6303. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में स्थित 182 कोयला खानों के लिए 35 करोड़ रु० की रायल्टी की शीघ्र अदायगी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि की अदायगी कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) प० बंगाल सरकार के अनुसार, अकोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात पश्चिमी बंगाल सरकार को कोयला खान प्राधिकरण लि० पर 31-1-1973 से 30-9-1974 तक की अवधि के स्वामित्व की 5.5 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी । इस राशि में से सितम्बर, 1974 के अन्त तक कोयला खान प्राधिकरण द्वारा 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा 2.72 करोड़ रुपए की राशि शेष थी । कोयला खान प्राधिकरण द्वारा सितम्बर, 1974 के पश्चात् किए गए भुगतान के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मौरवी, जिला राजकोट (गुजरात) में ' रूफिंग' उद्योग के लिये ब्लैक कोयले की सप्लाई

6304. **श्री एन० आर० बेकारिया :**

श्री अरविंद एम० पटेल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौरवी, जिला राजकोट (गुजरात) में वर्ष 1974-75 के लिए 'रूफिंग' उद्योगों के लिए कितना ब्लैक कोयला आबंटित किया गया;

(ख) उनकी आवश्यकता की तुलना में उन्हें कितनी मात्रा की सप्लाई की गई है;

(ग) क्या यह मात्रा आवश्यकता से कम है, यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कोयले की सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Continuance of Job-Oriented Programme in Madhya Pradesh

6305. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Planning** be pleased to state whether keeping in view the need to improve employment situation in Madhya Pradesh, the Central Government propose to continue the job oriented programme even after 1974-75?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : In 1975-76' the Central Government would provide support for completion of the on-going schemes of the Employment Promotion Programme, taken up for implementation in 1974-75.

कलकत्ता में गिरफ्तार सी० आई० ए० के एजेंटों को छोड़ना

6306. **श्री रामसहाय पांडे :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने हमारी सरकार से अनुरोध किया है कि कलकत्ता में अप्रैल, 1973 में गिरफ्तार किए गए दो सी० आई० ए० एजेन्टों को छोड़ा जाए अन्यथा उन पर मुकदमा चलाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली में अमेरीकी दूतावास और अमरीकी राज्य विभाग ने मैसर्स एन्थोनी एलन फ्लैचर और रिचार्ड विन हार-कोप पर राजकीय रहस्य अधिनियम के अधीन कलकत्ता में चल रहे मुकदमे को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार से अनुरोध किया था । सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं है कि वे सी० आई० ए० के एजेन्ट हैं । न्यायालय में मुकदमें की प्रगति की सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से स्थिति मालूम करने के बाद अमरीकी प्राधिकारियों को समय-समय पर भेजी जाती है ।

Coal extracted from coal mines of Vishrampur and Chirmiri (Madhya Pradesh)

6307. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(*a*) the total quantity of coal extracted from the coal mines of Vishrampur and Chirmiri (Madhya Pradesh) in 1973-74 and from April, 1974 to December, 1974; and

(*b*) the quantity of coal accumulated at these collieries at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Professor Sidheshwar Prasad) : (*a*) The production of coal from Bisrampur and Chirmiri Mines is as follows :

(In lakhs of tonnes)

	1973-74	1974-75
		(April-December, 1974)
Bishrampur	12·74	15·99
Chirmiri	24·06	28·59

(*b*) The stocks of coal at these mines on 1-1-75 were as under :

	(figures in lakhs tonnes)
Bishrampur	1·26
Chirmiri	0·57

मध्य प्रदेश और बिहार में प्रति व्यक्ति आय

6308. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वर्ष 1973-74 में प्रचलित मूल्यों पर क्या थी; और

(ख) इन राज्यों में प्रति दिन प्रति व्यक्ति आय क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 के लिए मध्य प्रदेश की अन्तिम वार्षिक प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों के आधार पर 695.75 रुपए अनुमानित की गई है। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति दैनिक आय 1.91 रु० निकलती है। वर्ष 1973-74 के लिए बिहार के बारे में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

मिस्टर जान ड्रोबोट के विरुद्ध कर अपवंचन और विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के आरोप

6309. **श्री झारखंडे राय**
श्री राजदेव सिंह
श्री के० एम० मधुकर
} क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कम्पनी, वेस्टिंग-हाउस के वाइस-प्रेसिडेंट मिस्टर जान ड्रोबोट के विरुद्ध जिन पर कर अपवंचन और 40 लाख रू० की विदेशी मुद्रा उल्लंघन के आरोप थे, कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वह देश छोड़ कर जा चुके हैं ?

गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आठ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें पांच नोटिस मैसर्स वेस्टिंग हाऊस ट्रेडिंग कम्पनी (एशिया) लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा वाइस प्रेसिडेंट श्री जान ड्रोबोट को, दो श्री जान ड्रोबोट और उपरोक्त कम्पनी को, और एक कम्पनी को जारी किए गए थे। कारण बताओ नोटिसों के उत्तर प्राप्त होने पर व्यक्तिगत सुनवाई निश्चित की गई थी और मामले के एक अंश की सुनवाई हुई थी। सुनवाई पूरी होने और विभागीय कार्यवाही में अधिनिर्णयत के आदेश होने से पहले ही, श्री जान ड्रोबोट, जो कि न्यायालय द्वारा स्वीकृत जमानत पर थे, देश छोड़ कर चले गए। कर अपवंचन से सम्बन्धित मामले वित्त मंत्रालय के आयकर विभाग द्वारा निपटाए जा रहे हैं।

Implementation of Garibi Hatao Programme

6310. Shri Narendra Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ishwar Chaudhury :
Shri Hamendra Singh Banera :
Shri Phool Chand Verma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(*a*) the steps taken so far by Government for implementation of the Garibi Hatao Programme of 1971;

(*b*) the extent to which poverty has been removed after the said programme was launched and

(*c*) the amount spent on the programme during the last three years, year-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla): (*a*) The important steps taken for promoting growth with social justice since 1971-72 include: (i) execution of the special development programmes for small farmers, marginal farmers and agricultural labourers; drought prone area programme; special schemes for creating additional employment opportunities for rural and urban unemployed; additional welfare schemes such as nutrition, rural water supply, house-sites for the landless agricultural labourers and slum improvement; (*ii*) Continued priority to the development of agriculture, village and small industries and activities like animal husbandry, dairying, fisheries, etc. and development of tribal, hill and other backward areas in different states; (*iii*) speedy implementation of land reform measures; and (*iv*) strengthening and stream lining of public distribution system for selected essential commodities.

Removal of poverty forms one of the basic objectives of the Draft Fifth Five Year Plan and the growth oriented strategy has been integrated with a series of redistributive measures for the purpose.

(*b*) It is not possible to quantify the impact of these measures on the problem of poverty in the absence of relevant data.

(*c*) A statement is laid on the Table of the House showing expenditure incurred during 1972-73 and 1973-74 and the approved outlay for 1974-75 on special programmes undertaken for removal of poverty. The actual expenditure figures for 1974-75 are not yet available.

Statement (Rs. crores)

Special Programmes	Expenditure		Approved Plan Outlay
	1972-73	1973-74	1974-75
1. SFDA/MFAL	17·32	16·75	21·00
2. Tribal Development Agencies	2·30	1·80	1·50
3. DPAP	37·38	23·96	35·00£

£ Includes matching outlay from State Plans.

Special Programmes	Expenditure		Approve Plan Outlay
	1972-73	1973-74	1974-75
4. Crash Scheme for rural employment . .	53·00	42·66	..
5. Half-a-million jobs programme . . .	..	54·00	..
6. Special Employment programmes . . .	42·47	26·54	40·00†
7. Programme for Educated Unemployed . .	41·37	39·09	@
8. Accelerated Rural Water Supply	19·10	15·00	@
9. Nutrition Programmes	22·31	20·50	@
10. Provision of house-sites to landless agricultural labourers	4·39*	2·91*	@
11. Slum Improvement Scheme	11·17*	9·05*	@
12. Minimum Needs Programme (Fifth Plan Scheme) .			203·27

@ Since merged in the Minimum Needs Programme.

† For Self Employment schemes under the Employment Promotion Programmes.

* These are amounts released by the Works & Housing Ministry. Figures of actual expenditure have not been received from all State Governments.

भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को रियायतें

6311. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मूलक व्यापारियों को, जिन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की और/अथवा जिन्हें उन देशों को जहां वे रहते थे और अपने व्यवसाय को छोड़ कर स्थाई आवास के लिए भारत लाने के लिए विवश किया गया, भारत में नए उद्योग स्थापित करने के लिए कोई रियायत और/अथवा सुविधा दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण व्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दी भारत-मूलक व्यक्तियों को युगांडा से जाने और पुनः भारत म बसने के लिए विवश किया गया था और क्या वे लोग बसने के लिए गुजरात आए; और

(घ) क्या उन लोगों की कोई सहायता की गई और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पै) : (क) और (ख) विदेशों से लौट कर आए हुए अथवा विदेशों में रहने वाले भारतीयों को उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक एककों के लिए मशीनों और कच्चे माल का उदारता पूर्वक आयात करने जैसी विशेष सुविधाओं का विवरण आयात व्यापार नियंत्रण नीति अप्रैल 1975 से मार्च 1976 (वाल्यूम I) के अनुच्छेद 1·64 से 169 तक में दिया गया है। यह सच है भारतीय मूल के कुछ लोग जिन्हें उगाण्डा छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था देश के विभिन्न भागों में बस गए हैं। गुजरात में बसे व्यक्तियों के ठीक-ठीक विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। सरकार की नीति उत्पादनशील काम प्रारम्भ करने में ऐसे लोगों को सहायता पहुंचाने सम्बन्धी समग्र नीति के दायरे के भीतर हर सम्भव सुविधा प्रदान करने की है।

फिलिप्स कम्पनी लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस

6312. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या इलेक्ट्रानिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्स कम्पनी लिमिटेड को अपने रेडियो और इलेक्ट्रोनिक्स के उत्पादन के लिए 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में कोई लाइसेंस दिए गए थे,

(ख) यदि हां, तो क्या उस सामग्री का दुरुपयोग के लिए इस कम्पनी के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मन्त्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और औद्योगिक मंत्री (श्रीमती (इंदिरा गांधी) : (क) फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को रेडियो सेट और इलेक्ट्रानिक उपस्कर के उत्पादन के लिए 1971-72, 1972-73 और 1973-74 की अवधि में दिए गए आयात लाइसेंसों के विषय में एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या** एल० टी०–9445/75) ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

Financial Assistance to Bhajan Mandalies and others engaged in eradication of Untouchability

6316. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Government give financial assistance to the "Bhajan Mandalies" and others engaged in the work of eradication of untouchability;

(*b*) if so, in what form and the amount of financial assistance provided to each of them during 1972 and 1973 together with the form thereof; and

(*c*) the results achieved therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) Grants-in-aid are being given to some non-official organisations under the scheme "Aid to Voluntary Organisations" for undertaking propaganda for removal of untouchability. These organisations conduct Conferences, Melas, Meetings, Bhajan Mandalies, Kirtan Parties and distribute posters and pamphlets through Pracharacks/Sevaks. The amounts of grant-in-aid given to these organisations during 1972-73 and 1973-74 for the Propaganda for removal of Untouchability are as follows :

Name of Organisation	Amount of grant-in-aid given during	
	1972-73	1973-74
	Rs.	Rs.
1. Harijan Sevak Sangh, Delhi.	1,49,445	1,32,400
2. Bharatiya Depressed Classes League, New Delhi.	83,957	75,56
3. Ishwar Saran Ashram, Allahabad.	12,434	12,546
4. Thakkar Bapa Ashram, Nimakhandi.	2,074	2,000

(*c*) The organisations concerned achieved substantial progress in their endeavours to bring about a change in the hearts of the masses in regard to the practice of untouchability.

उच्च दबाव वाले तरल ईंधन राकेट

6317. श्री विजय पाल सिंह : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अधिक दबाव वाले तरल ईंधन राकेटों का विकास कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ग) 600 किलोग्राम के एक थ्रस्ट तरल राकेट का सफलतापूर्वक फ्लाइट-टैस्ट किया गया है । 3000 किलोग्राम के एक थ्रस्ट तरल राकेट का विकास किया गया है, और उसका स्थैतिक परीक्षण किया गया है । उच्चतर थ्रस्ट तरल राकेटों के विकास की योजना बनाई जा रही है । वर्ष 1974-75 की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 18 पर 'अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी' नामक अध्याय के भाग-8 में इस विषय पर सम्पूर्ण व्यौरा दे दिया गया है ।

Export of Indian Films for Exhibition Abroad

6318. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(*a*) the number of Indian films exported for exhibition in foreign countries during 1973-74 and 1974-75;

(*b*) the language-wise number of the films exported; and

(*c*) the steps being taken by Government for the export of Indian films in larger number ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (*a*) and (*b*) The statistics regarding export of Indian films are compiled in terms of length and value. According to these statistics, the total exports of films during 1973-74 and 1974-75 (upto October, 1974) were 10553221 metres worth Rs. 55814685 and 6069509 metres worth Rs. 35677918 respectively.

(*c*) Boosting the export of Indian films will be one of the main functions of the multi-functional National Film Development Corporation, which is being set up in the Public Sector.

कर्नाटक के 'कुडुबी' लोगों को अनुसूचित जनजाति मानना

6319. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कुडुबी' लोग कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े हुए लोग हैं ;

(ख) क्या इन लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) क्या इन लोगों को अनुसूचित जन जाति के लोग मानने के लिये कोई मांग की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) कुडुबी दक्षिण कनारा जिले में चिकित्सक लोगों का एक समुदाय है, जो न तो अस्पृश्यता के कलंक से पीड़ित है

और न उनके लक्षण तथा संस्कृति आदिवासी स्वरूप की है। कर्नाटक राज्य से उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की मांग की गई थी। लोकुर समिति ने इस पर विचार किया था जिन्हें यह ज्ञात हुआ है कि कुडुबी समुदाय अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के मानदंड पूरा नहीं करता।

देश में विद्युत संबंधी स्थिति का मूल्यांकन

6320. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया**
श्री डी० डी० देसाई
श्री पी० गंगादेव : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में विद्युत् संबंधी स्थिति का कोई नवीनतम मूल्यांकन किया है ;

(ख) क्या आगामी कुछ महीनों में स्थिति अच्छी हो जाने के आसार नहीं दिखाई देते ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) विद्युत् की कमियों को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) पर्याप्त रूप में अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था द्वारा उपयुक्त किस्म के कोयले का पर्याप्त मात्रा में प्रबंध करके, प्रचालन तथा रखरखाव, कार्मिकों के प्रशिक्षण, विद्युत् प्रणालियों के एकीकृत प्रचालन, लोडों को समयबद्ध करके तथा उनकी बारी-बारी से पूर्ति करके, रखरखाव प्रक्रियाओं के आधुनिकरण और प्रचालन तथा रख-रखाव के निरन्तर संचालन (मानीटरिंग) द्वारा वर्तमान ताप-विद्युत् केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना।

(2) उपस्कर तथा आवश्यक दुर्लभ सामग्रियों की समय पर व्यवस्था करके और कार्यान्वियन की प्रगति के संचालन (मानीटरिंग) द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रता-पूर्वक चालू करना।

(3) निकटवर्ती राज्यों/प्रणालियों से राहत की व्यवस्था करना।

(4) वर्गीकृत प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध ऊर्जा के युक्तियुक्त वितरण की पद्धति को लागू करना और दिखावटी कामों के लिए विद्युत् के प्रयोग पर रोक लगाना, ताकि इस प्रकार बचाई गई विद्युत् उत्पादनकारी कार्यों के लिए सप्लाई की जा सके।

(5) पारेषण और वितरण में होने वाली विद्युत् की हानि को कम करना।

विवरण

अप्रैल, 1975 में प्रत्याशित विद्युत् स्थिति तथा अगले कुछ महीनों में संभावना।

(सभी आंकड़े जी० डब्ल्यू० एच०/दिन में हैं)

क्षेत्र/राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	अतिरिक्त(+) कमी (−)	अगले कुछ महीनों में संभावना
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	7.20	6.15	(−)1.05	भटिंडा और फरीदाबाद केन्द्रों के चालू होने और भाखड़ा से अधिक उत्पादन होने के कारण कुछ सुधार हुआ है। भाखड़ा जलाशय में अन्तर्वाह पर निर्भर करते हुए भाखड़ा के उत्पादन म और वृद्धि करना संभव हो सकेगा, जिसके परिणामस्वरूप इन राज्यों की विद्युत् प्रदाय की स्थिति में और सुधार होगा।
पंजाब	7.60	6.57	(−)1.03	
हिमाचल प्रदेश	0.82	0.82	—	—
जम्मू और काश्मीर	1.30	0.94	(−)0.36	चेनानी जल-विद्युत् केन्द्र के पांचवें यूनिट के शीघ्र चालू होने की संभावना है और इस से विद्युत् की कमी को कुछ हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
राजस्थान	6.60	6.60	—	
उत्तर प्रदेश	26.00	21.41	(−)4.59	यमुना चरण-दो के 60 मेगावाट के तीन उत्पादन यूनिट तथा यमुना चरण-चार के 10 मेगावाट का एक उत्पादन यूनिट अभी हाल में चालू किए गए हैं। राम

1	2	3	4	5
				गंगा के 60 मेगावाट के एक यूनिट के शीघ्र चालू हो जाने की प्रत्याशा है । इसके अतिरिक्त, ओब्रा ताप-विद्युत् केन्द्र के 100 मेगावाट के तीसरे उत्पादन यूनिट के मई, 1975 तक चालू हो जाने की प्रत्याशा है । इन केन्द्रों से ऊर्जा-उत्पादन और बदरपुर से अतिरिक्त ऊर्जा की उपलब्धता से 1975-76 की प्रारम्भिक अवधि के दौरान विद्युत् सप्लाई स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा रिहन्द के अपवाह क्षेत्र में मानसून यदि सामान्य रहता है तो राज्य में विद्युत् सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार होगा।
दिल्ली	4.60	4.60	—	
चंडीगढ़	0.50	0.40	(–)0.10	
कुल	56.37	49.24	(–)7.13	
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	5.00	5.00	—	
पश्चिम बंगाल	14.00	11.60	(–)2.40	पश्चिम बंगाल में शिखरण (पीकिंग) क्षमता की कमी है जिससे पीक लोड प्रतिबंधों द्वारा पूरा किया जा रहा है । संतालडीह ताप-विद्युत् केन्द्र पर 120 मेगावाट क्षमता के दूसरे यूनिट जिसके शीघ्र चालू हो जाने की प्रत्याशा है, के चालू हो जाने से स्थिति में सुधार होगा।

1	2	3	4	5
दामोदर घाटी निगम	11.80	11.80	--	
उड़ीसा	6.40	5.90	(−)0.50.	तलचर ताप-विद्युत् केन्द्र से अधिक उत्पादन होने और बलिमेला तलचर लाइन के पूर्ण हो जाने से, जिससे बलिमेला की विद्युत् राज्य में उपभोक्ता केन्द्रों तक पारेषित करने में सहायता मिली है, स्थिति में सुधार हुआ है। मानसून के प्रारंभ होने पर स्थिति में और सुधार होने की संभावना है।
कुल	37.20	34.30	(−)2.90	
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	20.00	20.00	—	
मध्य प्रदेश	12.00	10.30	(−)1.70	अगले कुछ महीनों में विद्युत् प्रदाय की स्थिति में कोई सुधार होने की प्रत्याशा नहीं है।
महाराष्ट्र	33.50	27.20	(−)6.30	मानसून के प्रारंभ होने पर स्थिति में सुधार होने की संभावना है।
गोवा	0.65	0.45	(−)0.20	मानसून के पश्चात कर्नाटक में विद्युत् की उपलब्धता में सुधार होने पर गोवा में विद्युत् स्थिति सुधर जाएगी।
कुल	66.15	57.95	(−)8.20	
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	13.67	10.39	(−)3.28	ताप-विद्युत् केन्द्रों से अधिक उत्पादन होने तथा मानसून के प्रारंभ होने पर जल-विद्युत् के उत्पादन में वृद्धि होने से विद्युत् प्रदाय की स्थिति में सुधार होगा।
तमिल नाडु	26.20	16.15	(−)10.05	

1	2	3	4	5
कर्नाटक	17.60	13.11	(−)4.49	मानसून के प्रारंभ होने पर विद्युत् प्रदाय की स्थिति में सुधार होगा।
केरल	6.70	6.70	—	
कुल	64.17	46.35	(−)17.82	
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
	1.70	1.50	(−)0.20	असम में कुछ थोड़ी-सी कमी है और मानसून के प्रारंभ होने पर स्थिति सुधर जाएगी।
कुल (अखिल भारत)	225.59	189.34	(−)36.25	

इलेक्ट्रोनिक गणकों का निर्माण और इनका निर्यात

6321. **श्री वयालार रवि**
श्री रामचन्द्रन कडनपल्ली } क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ; लेक्ट्रोनिक गणकों के निर्माण के लिए कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं, उन की कुल उत्पादन-क्षमता कितनी है और प्रत्येक फर्म को लाइसेंस-क्षमता की तुलना में उस फर्म में वास्तविक उत्पादन कितना है ;

(ख) उनमें से कितनी फर्मों को निर्यात करने को कहा गया है तथा प्रत्येक के लिये कितने प्रतिशत निर्यात करना आवश्यक बनाया गया है ;

(ग) क्या केरल राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम तथा पश्चिम बंगाल विकास निगम को 60 प्रतिशत निर्यात करने के लिये कहा गया था जबकि 'नेल्कों' तथा डी० सी० एम० को केवल 30 प्रतिशत ही निर्यात के लिये कहा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात का प्रतिशत निर्धारित करने के लिये आमतौर पर क्या मान-दंड रखे गये हैं और उपरोक्त अन्तर के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) एवं (ख) इलैक्ट्रोनिकी परिकलित्रों (केलक्युलेटर्स) के निर्माण के लिए 15 पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गये हैं। उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता, उनके द्वारा 1973-74 के दौरान किया गया उत्पादन तथा उन पर लगाये गये निर्यात बंधन के संबंध में सूचना अनुबंध–1 में सम्मिलित की गयी है। उन आठ पार्टियों की सूची जिन्हें आशय पत्र प्रदान किये गए हैं, अनुबंध–2 में दी गई हैं।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या** एल० टी० -9446/75]

(ग) केरल राज्य इलैक्ट्रानिकी विकास निगम तथा पश्चिमी बंगाल इलैक्ट्रानिकी विकास निगम दोनों को 60 प्रतिशत के निर्यात बंधन के साथ 5000 परिकलित्रों की क्षमता के लिए 11-10-1974 को आशय पत्र दिये गये थे। नेशनल रेडियो एण्ड इलैक्ट्रानिक्स कंपनी लिमिटेड

को 1971 में मूलरूप से 500 परिकलित्रों के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तथा 17-10-73 को अतिरिक्त 3,000 परिकलित्रों की स्वीकृति देकर इस कंपनी की कुल क्षमता बढ़ा कर 3,500 परिकलित्र कर दी गयी, जिसमें से बढ़ी हुई क्षमता का 33- 1/3 प्रतिशत अर्थात् 1,000 परिकलित्रों का निर्यात आवश्यक था। इस क्षमता को 18 फरवरी, 1974 को बड़ा-कर 6,500 परिकलित्र कर दिया गया जिसमें से बढ़ी हुई क्षमता का 60 प्रतिशत अर्थात् 1,800 परिकलित्रों का निर्यात किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार कुल 2,800 परिकलित्रों का निर्यात किया जाना है। डी० सी० एम० डेटा प्रोडक्ट्स के विषय में, 2,000 परिकलित्रों के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस जनवरी, 1972 में जारी किया गया था, जिसे बढ़ा कर 8-5-1974 को कुल 7,000 कर दिया गया और उस पर बढ़ी हुई क्षमता का 60 प्रतिशत अर्थात् 3,000 परिकलित्रों के निर्यात बन्धन लागू किया गया।

(घ) किसी एक विशेष समय में विभिन्न कारखानों पर लागू निर्यात बंधन समान रहे हैं। प्रारंभ में कुछ कारखानों को बिना निर्यात बंधन के स्वीकृतियां प्रदान की गयीं, जिससे देश की अंदरूनी मांग पूरी हो सके और उद्योग का यह क्षेत्र चालू हो सके। किंतु, बाद में बहुत बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा विदेशी मुद्रा की कमी और प्रत्येक परिकलित्र के अपेक्षाकृत ऊँचे समवेष्टित मूल्य (पैकवैल्यू) (आवश्यक विदेशी मुद्रा नियतन) को दृष्टिगत करते हुए जो निर्यात बंधन लागू किए गये हैं इनमें उत्तरोत्तर बढ़ने की प्रवृति दिखाई दी है। 5,000 परिकलित्र की क्षमता वाले कारखाने पर पिछले कुछ समय से 60 प्रतिशत का निर्यात बंधन निर्धारित किया गया है। केरल राज्य इलैक्ट्रानिकी विकास निगम तथा पश्चिम बंगाल इलैक्ट्रानिकी विकास निगम को विशेष स्वीकृतियां प्रदान करते समय ये निर्यात बंधन लागू थे।

मैसर्स लारसन एंड ट्यूबरो कम्पनी में कैमिकल इंजीनियरों की भर्ती

6322. **श्री सतपाल कपूर :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स लारसन एण्ड ट्यूब्रो कम्पनी ने हाल ही में देश के रोज़गार कार्यालयों को अधिसूचित किये बिना ही कैमिकल स्नातक इंजीनियरों की भर्ती की थी तथा यहां तक कि प्रथम श्रेणी के स्नातक इंजीनियरों की उपेक्षा करके द्वितीय श्रेणी के स्नातक इंजीनियर खपा लिये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक एककों द्वारा भर्ती के संबंध में भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात को समाप्त करने के उद्देश्य से तथा इंजीनियरों की बेरोजगारी संबंधी समस्या को हल करने के लिये औद्योगिक एककों पर विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करने के बारे में पहले किसी निश्चित संख्या में बेरोज़गार इंजीनियरों को खपाने की शर्त लागू करने का है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) और (ख) : प्रश्न में उल्लिखित भर्ती के विषय में सरकार को जानकारी नहीं हैं। नियोजन कार्यालय (आवश्यक अधिसूचना रिक्ति अधिनियम), 1959 की धारा 4 के अनुसार 25 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के सभी लोगों के लिए

उनके यहां होने वाली रिक्तियों की सूचना सम्बन्धित नियोजन कार्यालय को देनी होती है। किन्तु अधिनियम द्वारा प्राइवेट नियोजन कर्त्ताओं पर अपने यहां के रिक्त स्थानों को नियोजन कार्यालय द्वारा भरे जाने की कोई बाध्यता नहीं है। किस नियोजन कार्यालय को सूचना दी जानी है इसका सुनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने तथा नियोजन कार्यालय (रिक्तियों की आवश्यक अधिसूचना) नियमों के अधीन आवश्यक गजट अधिसूचना जारी करने की उनकी जिम्मेदारी है।

(ग) सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

इलाहाबाद के मुसलमानों द्वारा पेश किया गया ज्ञापन

6323. **श्री नुरुल हुडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार इलाहबाद (उत्तर प्रदेश) के कुछ प्रसिद्ध मुसलमानों ने 19 मार्च, 1975 को इलाहबाद में प्रधान मंत्री से भेंट की थी और उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने उनसे देश के मुसलमानों की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने का अनुरोध किया था ;

(ख) वे प्रसिद्ध मुसलमान कौन-कौन थे और उक्त ज्ञापन में क्या-क्या शिकायतें उल्लिखित थीं; और

(ग) क्या सरकार का विचार शिकायतों की वास्तविकता की जांच करने तथा उन्हें दूर करने के लिये उपाय ढूंढने का है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सर्वश्री अब्दुल हलीम, ए० ए० जैदी और एस० मझार हुसैन नकवी समेत अनेक मुसलमानों द्वारा प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिनांक 18 मार्च, 1975 को भेजा गया था। ज्ञापन में उर्दु की तरक्की, लोक सेवाओं में मसलमानों का प्रतिनिधित्व और साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उनके जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा का उल्लेख किया था।

(ग) सरकार ने उर्दु की तरक्की के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सभी संबंधितों से प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर उर्दु में निर्देश देने की सुविधा प्रदान करने, न्यायालयों तथा कार्यालयों द्वारा उर्दु में प्रलेख स्वीकार करने का प्रबंध करने और उन क्षेत्रों में जहां यह भाषा प्रचलित है, उर्दु भाषा में मुख्य कानून, नियम तथा विनियम जारी करने की व्यवस्था करने के लिए जोर डाला गया है।

जहां तक सेवाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का संबंध है राज्य सरकारों और अन्य पर जोर दिया गया है कि अल्प संख्यक समुदायों के व्यक्तियों के विरुद्ध किसी ईर्ष्या की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिन्हें लोक सेवाओं में प्रवेश के लिये उपयुक्त अवसर दिये जाने चाहिए और संबंद्ध संवैधानिक उपबन्धों का पालन करते हुए सेवाओं में अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों की भर्ती में वृद्धि करने के लिये सभी संभव प्रयास किये जाने चाहिए।

जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का संबंध है, सरकार ऐसे दंगों को रोकने तथा सभी नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा के लिये अत्याधिक सतर्कता बरतती है।

साम्प्रदायिक तालमेल बनाये रखने, भाषायी अल्प संख्यकों आदि की रक्षा करने के लिये किये गये उपायों का संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद

6324. **श्री मधु दंडवते**
श्री हरी सिंह } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 मार्च, 1975 के 'महारष्ट्र टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद के बारे में सरकार द्वारा सोचे गये नये हल में बेलगाम नगर को कर्नाटक में शामिल करने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा क्या ऐसे निर्णय का अर्थ बेलगाम के लोगों द्वारा बेलगाम चुनाव क्षेत्र के वर्ष 1957, 1962, 1967 तथा 1971 में हुए विधान सभायी चुनावों में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवारों की सफलता के माध्यम से लोक तांत्रिक ढंग से व्यक्त की गई भावनाओं की सर्वथा उपेक्षा करना होगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वहां के लोगों की इच्छाओं की उपेक्षा न करने का आश्वासन देगी?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) भारत सरकार ने संबद्ध प्रैस रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग) : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Launching of Rocket in Space

6325. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the **Minister of Space** be pleased to state :

(*a*) whether Government propose to launch their own rocket in the space; in the near future;

(*b*) if so, when; and

(*c*) the extent of Indian technology therein ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Space, Minister of Planning and Minister of Science & Technology (Shrimati Indira Gandhi) : (*a*) and (*b*): India has already launched several hundreds of rockets both for scientific investigations and for development of rocket technology.

(*c*) The rockets are the results of indigenous research and developmental efforts.

Purchase by Textile Mills run by M. P. Textile Corporation

6326. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state the value of cotton, chemicals, parts of machines and other material, separately and year-wise, purchased during 1972, 1973 and 1974 by (*i*) Hira Mills, Ujjain, (*ii*) Swadeshi Mill, Indore, (*iii*) Indore United Malwa Mill, Indore, (*iv*) Kalyan Mill, Indore, (*v*) Burhanpur Mill, Burhanpur and (*vi*) New Bhopal Textile Mill, Bhopal being run by Madhya Pradesh Textile Corporation ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : A statement indicating the required information is attached.

Statement

(Rs. in lakhs)

Year	Purchases Made by The Mills			
	Cotton	Chemicals	Parts of machines	Other materials
1. *INDORE MALWA UNITED MILLS, INDORE*				
1972	245·8	18·0	3·7	30·9
1973	367·3	25·1	4·5	38·9
1974	369·8	27·1	21·1	53·3
2. *KALYANMAL MILLS, INDORE*				
1972	170·38	32·62	3·28	17·57
1973	182·54	32·26	2·85	19·00
1974	285·70	49·13	5·59	22·14
3. *HIRA MILLS, UJJAIN*				
1972	152·43	10·56	2·10	21·99
1973	193·94	12·09	2·86	24·54
1974	271·52	29·30	8·32	43·43
4. *BURHANPUR TAPTI MILLS, BURHANPUR*				
1971-72	190·34	13·20	3·69	13·66
1972-73	146·01	23·25	1·95	19·36
1973-74	235·43	18·18	3·79	23·11
5. *SWADESHI COTTON AND FLOUR MILLS. INDORE*				
1972	165·35	2·83	1·21	38·89
1973	188·51	2·44	1·08	34·13
1974	236·67	3·09	2·86	55·09
6. *NEW BHOPAL TEXTILE MILLS, BHOPAL*				
1972	86·27	3·22	1·05	18·58
1973	100·70	4·86	2·25	14·60
1974	177·30	2·74	1·47	24·23

ढुलकोट में एक पुजारी द्वारा हरिजन लड़के की पिटाई

6327. **श्री शरद यादव** : क्या गृह मंत्री ढुलकोट में एक पुजारी द्वारा एक हरिजन लड़के की पिटाई के बारे में 26 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1229 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुजारी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : भारतीय दंड संहिता की धारा 302/325 और अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की धारा 3 और 7 के अधीन एक मामला पुजारी के विरुद्ध दर्ज किया गया था और उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया था जहां मामला अब न्यायाधीन है। दोषी न्यायिक हिरासत में है।

कापियों के लिये राजसहायता प्राप्त कागज के संबंध में धोखाधड़ी

6328. **श्री वसंत साठे :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मार्च, 1975 में समाचार पत्रों में "फ्राड इन सब्सिडाइज्ड पेपर फ़ार नोट बुक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) : सूचना में यह कहा गया है कि कापियों के निर्माताओं को आबंटित कागज का पर्याप्त अंश अधिक लाभ पर खुले बाजार में बिकने के लिए दे दिया गया है। कागज का इस प्रकार का उपयोग बदल दिए जाने के बारे में सरकार से कोई भी शिकायत नहीं की गई है।

मुहानों से कोयले की ढुलाई में सुधार के लिए कदम

6329. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के स्तर से ऊपर चला गया है; और

(ख) यदि हां, तो मुहानों से कोयले की ढुलाई में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) कोयला उत्पादक कम्पनियों तथा रेलवे द्वारा कोयला उत्पादन के अनुरूप वैगन सप्लाई करने के लिए निरन्तर और समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं तथा हाल के महीनों में रेल द्वारा कोयले की ढुलाई में सुधार हुआ है।

पंजाब में आनन्दपुर साहेब विद्युत् परियोजना के लिये पन बिजली उपकरणों की खरीद के बारे में घोटाले के आरोप

6330. **श्री मान सिंह भौरा**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में 20 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रस्तावित आनन्दपुर साहेब विद्युत् परियोजना के लिये 110 लाख रुपये के पन बिजली उपकरणों की खरीद के बारे में घोटाले (फिशी डील) के आरोपों की जानकारी मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार ने यह सूचित किया है कि परियोजना प्राधिकारियों ने सक्षम प्राधिकारी की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त किए बिना आनन्दपुर साहेब जल-विद्युत् परियोजना के लिए डम्पर खरीदने हेतु एक आर्डर दिया था। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सारा मामला इस कार्य के लिए गठित एक उप-समिति के विचाराधीन है।

तरल ईंधन राकेटों के क्षेत्र में भारत-फ्रांसिसी करार

6331. **श्री के० लकप्पा**
श्री वयालार रवि } : क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरल ईंधन राकेटों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए "विकास" नामक भारत-फ्रांस परियोजना के अधीन कुछ भारतीय इंजीनियरों को अन्तरिक्ष विभाग ने फ्रांस भेजा है;

(ख) क्या ईंधन राकेटों के क्षेत्र में फ्रांस के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : विकिंग इंजिनों और उनके उपकरणों तथा तरल राकेट इंजिनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रैसर ट्रांसड्यूसरों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये, फ्रांस की सोसाइटी यूरोपियन डि प्रोपलशन (एस० ई० पी०) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इसके बदले में, भारत सरकार को सुनिश्चित संख्या में प्रैसर ट्रान्सड्यूसरों का निर्माण और उनकी सप्लाई करनी होगी। करार के अधीन, कई भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को, प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा जानकारी के अभिग्रहण में सहायता के लिए फ्रांस भेजा गया है।

तमिलनाडु में हिन्दी विरोधी आन्दोलन में भाग लेने वालों को पेंशन देना

6332. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राज्य में हिन्दी विरोधी आन्दोलनों में भाग लेने वालों को पेंशन देने के तमिलनाडु सरकार के निर्णय की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान्। क्योंकि पेंशन राज्य निधियों से स्वीकृत की गई है अतः ऐसी स्वीकृतियों के औचित्यता पर राज्य विधान सभा को विचार करना होगा।

Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services

6333. **Shri Chandra Shailani** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(*a*) whether none of the Ministries/Departments has completed 15 and 7·5 per cent reservation in services for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, respectively; and

(*b*) If so, the effective steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (*a*) The percentage of Scheduled Castes in the total strength of the services as a whole, under the Ministries/Deptts. i.e. Classes I, II, III and IV (excluding sweepers), had reached about 13·7% as on 1st January, 1973; in the case of Scheduled Tribes, the corresponding percentage was 2·74. The representation of Scheduled Castes has reached or gone beyond 15% in Class IV (excluding sweepers), in 44 out of the 51 Ministries/Deptts. and in Class III in 5 out of 51 Ministries/Deptts.

(*b*) The steps taken by Government to improve the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against vacancies reserved for them are explained in the attached statement.

[*Placed in Library. See No. L.T.-9447/75.*]

जम्मू व काश्मीर के पूंछ राजौरी क्षेत्र में पकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी

6334. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू व काश्मीर के पूंछ राजौरी क्षेत्र में हाल ही में अनेक पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं;

(ख) क्या उनसे बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र भी बरामद हुए हैं; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है तथा जम्मू काश्मीर में सक्रिय ऐसे पाकिस्तानी गिरोहों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ग) : जम्मू व काश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ व्यक्ति पाकिस्तान के एजेंट होने के संदेह में हाल में पूंछ क्षेत्र म गिरफ्तार किये गये हैं और उन से कुछ अभिशंसी सामान बरामद किया गया है । मामले की जांच-पड़ताल हो रही है। फिर भी सरकार इस मामले में पूरी तरह सतर्कता बरत रही है।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा विकसित सोडार नामक दूरस्थ सुग्राही (रिमोट सेंन्सिग) तकनीक

6335. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री पी० गंगादेव } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने सोडार नामक एक नये दूरस्थ सुग्राही तकनीकी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तकनीकी संचार, विमानन तथा रक्षा संबंधी कार्यों के लिये बहुत सहायक सिद्ध होगा, और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सोडार तकनीकी अधोवातावरण की तापी तथा गति संबंधी स्थितियों का अध्ययन करने के उपयोग में भी आती है; और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन वैज्ञानिकों को इसके लिये कोई मान्यता प्रदान की जा रही है ?

योजना राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : नीचे स्तर पर वातावरण की तापीय तथा गति संबंधी परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिये सोडार तकनीकी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इन अंत: खण्डी अनुपातों (पैरामीटरों) के सम्बन्ध में वास्तविक समय का ज्ञान अर्थात् अंतरिक्ष और समय में निरंतर रिकार्ड करना संचार, विमानन, और वायु प्रदूषण की स्थितियों में मदद करता है। विलोम संरचनाएं आवश्यक विशेषताएं हैं जो नीचे स्तर पर वातावरण और वायु अपरूपण में शिराओं (डक्टों) की बनावट निश्चित करती है और जिनका प्रभाव हवाई

अड्डों पर वायुयानों के उतरने और उड़ने पर पड़ता है। इन दोनों विशेषताओं का किसी भी स्थान पर सोडार की सहायता से आसानी से निरूपण किया जा सकता है। संचार और विमानन की स्थितियां नागरिक और प्रतिरक्षा प्रयोगों के लिये समान रूप. से आवश्यक हैं। विशेष रूप से ये स्थितियां प्रतिरक्षा में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं जबकि दूरस्थ स्थानों में नीचे स्तर पर वातावरण का रक्षा संचार और विमानन में आवश्यक प्रयोग करने के लिये अध्ययन किया जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था में नीचे स्तर पर वातावरण 350 मीटर की ऊंचाई तक अध्ययन करने की क्षमता है। एक किलोमीटर क्षेत्र में नीचे स्तर पर वातावरण के अध्ययन करने के लिये इस तकनीक का विस्तार किया जा सकता है।

(घ) जी, हां। वर्ष 1975 के लिये रुपये 1000 का राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का योग्यता पुरस्कार वैज्ञानिकों के उस दल को दिया गया है जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में सोडार सुविधाएं स्थापित करने के उत्तरदायी है।

जुलाई 1974 में विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों की क्रियान्विति

6336. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री जुलाई, 1974 में विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में 19 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 341 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में अब तक की गई अनुवर्ती कार्यवाही की मुख्य रूप रेखा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा विद्युत् मंत्रियों का अगला सम्मेलन कब बुलाया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : जुलाई, 1974 में आयोजित हुए राज्यों के विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, वर्तमान ताप-विद्युत् केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(1) अतिरिक्त पुर्जों की पर्याप्त मात्रा में अधिप्राप्ति और भंडार बनाना।

(2) बायलरों की अभिकल्प आवश्यकताओं के अनुरूप, अनुकूल किस्म के कोयले की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कोयला खानों के विद्युत् केन्द्रों के साथ उचित लिंकों द्वारा विभिन्न विद्युत् केन्द्रों तक कोयले की ढुलाई को युक्तियुक्त बनाना।

(3) ताप-विद्युत् केन्द्रों के प्रचालन और रख-रखाव का बराबर संचालन (मानीटरिंग) करना।

(4) प्रचालन और रख-रखाव कार्मिकों का प्रशिक्षण।

(5) विद्युत् प्रणाली के एकीकृत प्रचालन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त क्षमताओं वाली अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों का शीघ्रतापूर्वक निर्माण करना।

(6) लोड की घट-बढ़ को कम करने के लिए लोडों को यथासंभव तथा आवश्यक सीमा तक समयबद्ध करना और बारी-बारी से पूरा करना, क्योंकि इससे ताप-विद्युत्, उत्पादन यूनिटों के एक-समान उच्च लोड अनुपात पर प्रचालन में मदद मिलती है।

(7) विभिन्न यूनिटों के कार्य निष्पादन पर निरन्तर निगरानी रखने तथा यथा-आवश्यक तुरन्त सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाही करने के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, कोयला विभाग, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा, बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके एक स्थायी समिति स्थापित की गई है।

(8) रख-रखाव प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और ताप-विद्युत् केन्द्रों की प्रबंध-व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं।

वर्तमान विद्युत् केन्द्रों से अप्रैल, 1974 से मार्च, 1975 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विद्युत् मंत्रियों का अगला सम्मेलन 3 मई, 1975 को होना निश्चित हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष में स्मारक डाक-टिकट

6337. **श्री इन्द्रजीद गुप्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर विश्व-भर में मनाये जा रहे "अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष" के उपलक्ष में एक विशेष स्मारक डाक-टिकट जारी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह टिकट संभवत: कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) : "अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष" के उपलक्ष्य में तारीख 16-2-75 को एक डाक-टिकट पहले ही जारी किया जा चुका है।

विद्यार्थी असंतोष में वृद्धि

6338. **श्री पी० गंगादेव**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव कानून और व्यवस्था पर पड़ेगा ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 1974 में देश के कुछ भागों में छात्रों के आन्दोलनों में वृद्धि हुई। इससे विधि व व्यवस्था की सामान्य स्थिति पर कुछ मामलों में प्रभाव पड़ा था। सरकार और शैक्षणिक प्राधिकारियों द्वारा छात्रों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है। विधि व व्यवस्था एजेंसियों द्वारा भी निगरानी रखी जाती है।

राष्ट्रीय क्षेत्र

6339. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब राष्ट्रीय क्षेत्र नामक एक नये क्षेत्र का विकास करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में इस समय शामिल किये गये एककों के नाम क्या हैं तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में सरकार के भाग संबंधी नीति औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अनुसार होती है। उपयुक्त मामलों में, केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने या तो सीधे ही अथवा अपने निगमों के माध्यम से गैर-सरकारी पार्टियों के साथ इक्विटी में हिस्सा लिया है। संयुक्त क्षेत्र में एकक की स्थापना करने के प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनके गुणाव-गुणों के आधार पर पता लगाकर निर्णय किया जायेगा। संयुक्त क्षेत्र के सभी विभिन्न किस्मों के एककों में, सरकार स्वयं नीति-निर्देशन, प्रबन्ध और संचालन में प्रभावी भूमिका का सुनिश्चय करेगी और वास्तविक रूप और प्रणाली का प्रत्येक मामले के अनुसार निर्णय किया जायेगा।

Increase in Pension to Freedom Fighters

6340. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether demands to enhance the pension of freedom fighters and provide them other facilities have been made by various freedom fighters' organisations, persons and parliamentarians;

(*b*) if so, the details of those demands; and

(*c*) the reaction of Government thereto ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) and (*c*) : The demand to enhance the pension of freedom fighters was considered time and again but could not be accepted. In regard to the demand for providing other facilities to freedom fighters, a statement showing the various suggestions made by such organisations, persons, parliamentarians etc. and our comments thereon is attached (Annexure).

Statement

Suggestions made by various Freedom Fighters' Organisations individuals and parliamentarians in regard to facilities to the Freedom Fighters and their dependent family members as on 10-4-1975

S. No.	Suggestions made	Action taken/comments
1.	Nomination of the freedom fighters in different policy framing committee.	Nominations of the members of policy making committees are made on the basis of individual merit and no consideration can be shown because the individual is a freedom fighter.
2.	Fixation of separate quota for freedom fighters in the matter of promotion.	While as a matter of policy, Government have not found it feasible to earmark any quota in favour of any particular group of employees, they had issued instructions to examine the cases of freedom fighters sympathetically for the purpose of promotion keeping in view the suffering undergone in the freedom movement.

S. No.	Suggestions made	Action taken/Comments
3.	Extension of Service beyond the age of superannuation.	This has been considered by the Department of Personnel. It has not been found feasible to accept the suggestions.
4.	Reservation for the children of FFs in the posts in various Government Departments, Banks etc.	
5.	Reservation for the children of FFs for higher technical studies e.g. in medical colleges, engineering colleges etc. on the anomaly of Schedule Caste.	This concerns the Ministries of Education and Health.
6.	Reservation of residential plots/flats at Govt. rates for the freedom fighters.	This concerns the State Governments.
7.	Free medical aid to freedom fighters and their families.	It has been suggested to the State Governments to formulate a comprehensive scheme for giving free medical aid to the Freedom Fighters and their families. Some of the States have already started giving these facilities. The Ministry of Health and Family Planning are also considering extending CHS facility to the freedom fighters in certain cities.
8.	Free children's education.	Concerns State Governments.
9.	Free Railway Passes for visiting pilgrimages.	Concerns Ministry of Railways.
10.	Setting up of 'Home' in the State and Centre for the old and infirm freedom fighters.	This Ministry have already advised the State Governments to set up at least one 'Home' for such freedom fighters. Only the Government of Punjab have decided to set up such 'Home' at Amritsar. The Government of India have also set up one such 'Home' in New Delhi.
11.	Award of Tamrapatras posthumously to freedom fighters who are no more alive.	This Ministry has decided to issue Tamrapatras posthumously only to freedom fighters who died after 15th August, 1972.

आपातकालीन स्थिति बनाये रखना

6341. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 और 16 मार्च, 1975 को देश में आपातकालीन स्थिति बनाये रखने के औचित्य के प्रश्नों के बारे में विज्ञान भवन में आयोजित गोष्ठी के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने आपातकालीन स्थिति समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने के लि देश की स्थिति का पुर्नविलोकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी पुर्नविलोकन के क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) : भारत की सुरक्षा के लिये लगातार धमकी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस स्थिति में आपात की स्थिति को हटाना उपयुक्त नहीं समझती ।

जलगांव जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

6342. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के जलगांव जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों से पेंशन के लिये अब तक कुल कितने आवेदन-पत्र मिले हैं;

(ख) कितने आवेदकों को अब तक पेंशन दे दी गई है; और

(ग) शेष आवेदन-पत्रों पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :)क) 763 ।

(ख) 351 ।

(ग) शेष 412 मामलों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

366 मामले अस्वीकृत कर दिये गये हैं । 360 मामलों में आवेदक योजना के अधीन पेंशन के लिए पात्र नहीं पाये गये थे । 6 मामलों में आवेदकों ने आवेदन-पत्र 31-3-1974 अर्थात् स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित की गई अन्तिम तारीख के बाद भेजे थे ।

आवेदकों द्वारा अपने आवेदन-पत्रों में राजनैतिक यातना के दावे के समर्थन में लिखित सबूत, आदि न प्राप्त होने के कारण 46 मामले फाइल कर दिये गये हैं । राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है । सम्बन्धित व्यक्तियों से भी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में राज्य जिला स्तर की समिति का सहयोग लेने का अनुरोध किया गया है । ये मामले तब ही तय किये जा सकते हैं जब राज्य सरकार की सिफारिशें अथवा स्वतंत्रता सेनानियों से मांगा गया सबूत प्राप्त हो जायेगा ।

बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गये मामले

6343. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य ने गत दो वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कितने मामले भेजे;

(ख) बिहार प्रदेश सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्टों सहित कितने मामले वापिस भेजे गए; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने मामले जांच किये बिना वापस भेजे ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : मांगी गई सूचना नीचे दी जाती है :—

	वर्ष	
	1973	1974
(क) . . .	4	3
(ख) . . .	शून्य*	शून्य
(ग) . . .	3	—

*वर्ष 1973 में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 4 मामलों में से, 3 मामले जांच किए बिना ही वापस भेज दिए गए थे। शेष एक मामले में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल किए जाने के बाद, एक आरोप-पत्र (चार्जशीट) दायर किया गया है और यह मामला विचारण (ट्रायल) के अधीन है।

Kayamganj Exchange

6344. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(*a*) whether Kayamganj Exchange is being linked with Agra with a view to providing faster communication service in Uttar Pradesh; and

(*b*) if so, the facts thereof ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (*a*) Yes, Sir.

(*q*) A direct trunk circuit between Kayamganj and Agra has been ordered and expected to be provided shortly. This will facilitate speeding up of long distance trunk traffic of Kayamganj.

कोयले के मूल्यों में वृद्धि

6345. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :
श्री इन्द्रजीत गुप्त } क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कोयला खान श्रमिकों की मजूरी में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कोयला खान प्राधिकरण का विचार कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कोयले के बढ़े हुए प्रस्तावित मूल्यों के आधार पर रेलवे, सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों और घरेलू उपभोक्ताओं पर कितना अतिरिक्त भार डाला जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) : अंतर-मंत्रालय समिति ने, जिसे 1 जनवरी, 1975 से कोयला खान मजदूरों की मजूरी में वृद्धि और बढ़ी हुई निवेश लाभाशों आदि के फलस्वरूप वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर विभिन्न किस्म के कोयले के खान-मुहाना मूल्यों में वृद्धि के सवाल पर विचार करने के लिए जनवरी, 1975 में गठित किया गया था, अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। रिपोर्ट इस समय विचाराधीन है।

Purchase of Cement against Foreign Currency on priority basis

6346. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(*a*) whether Government would give priority to those purchasing cement in foreign currency and considerable success is likely to be achieved therein; and

(*b*) if so, the progress achieved so far therein ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (*a*) The Government have already introduced a scheme with effect from 15th February, 1975, for priority allotment of cement against inward remittances of foreign exchange.

(*b*) 33 complete applications have been received so far and a quantity of 290 tonnes of cement has been released against foreign exchange remittances equivalent to Rs. 1·77 lakhs.

दिल्ली में कम्पयूटर-युक्त टेलीफोन एक्सचेंज

6347. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कम्प्यूटर-युक्त टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) : जी हां। कम्प्यूटर से नियंत्रित पहला इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज वाणिज्यिक परीक्षण के लिए राजौरी गार्डन, दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। आशा है यह एक्सचेंज 1977 के आरम्भ में तैयार हो जाएगा। इस एक्सचेंज की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) इसका नियंत्रण एक ऐसे डिजिटल कम्प्यूटर के जरिए किया जाएगा, जिसका डिजाइन देश में तैयार किया गया है जिससे कि आशानुकूल टेलीफोन कालें लगाई जा सकेंगी।

(2) इसके स्विचिंग उपस्कर को लगाने के लिए कम जगह की आवश्यकता होगी।

(3) इस प्रकार के इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों से काफी लाभों की आशा की जाती है, जैसे कि निर्माण और संस्थापन का कार्य शीघ्र हो सकेगा और रख-रखाव में कम प्रयास करने पड़ेंगे।

(4) देश में जो परम्परागत इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंज प्रयोग में लाए जा रहे हैं उनकी तुलना में इन एक्सचेंजों में संशोधन करने और नई सेवाएं देने की दृष्टि से अधिक लचीलापन है।

बर्न एण्ड कम्पनी का प्रबंध और उसमें रिफ्रैक्ट्री का उत्पादन

6348. **श्री रोबिन सेन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रिफ्रैक्टरी एण्ड सिरेमिक वर्कर्स यूनियन, रानीगंज, पश्चिम बंगाल से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बर्न एण्ड कंपनी के प्रबंध संचालन और रिफ्रैक्टरी का उत्पादन करने वाले यूनिटों में कोई सुधार हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इनमें सुधार करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) : सरकार को कामगरों की विभिन्न समस्याओं के बारे में रिफ्रैक्टरी एण्ड सिरेमिक वर्कर्स यूनियन, रानीगंज से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । कम्पनी के सीमित संसाधनों के अन्दर कामगरों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रबन्धक भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । रिफ्रैक्टरी एककों के उत्पादन में अच्छे प्रबन्ध से सुधार हुआ है । प्रबन्धक उत्पादन और विपणन के विकास की एक प्रावस्थाबद्ध योजना तैयार कर रहा है जिसमें काफी पूंजी लगानी पड़ेगी ।

Pay Scales of Packers and Helpers in Khadi Gramodyog Bhavan

6349. Shri Nageshwar Dwivedi: Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(*a*) whether some employees have been working as packers and helpers in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi but are given a pay scale of Class IV employees;

(*b*) if so, the number of such employees and for how long they have been doing such a work;

(*c*) whether any memorandum has been given to Government by Gromodyog Bhavan Karmachari Union in this regard in which a demand has been made for a fair remuneration; and

(*d*) if so, Government's reaction thereto and the time by which final decision would be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma) : (*a*) Packers and Helpers in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi are Class IV employees and are given pay scales admissible to those posts.

(*b*) Number of packers and helpers in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi is 17; they have been working for varying periods.

(*c*) and (*d*) *:* The Union of Khadi Gramodyog Bhavan employees submitted a demand notice in August, 1974 which has been considered by the Khadi and Village Industries Commission and rejected.

किसी भी सरकारी कर्मचारी के एक स्थान पर कार्यकरने की निर्धारित अवधि

6350. **श्री छत्रपति अम्बेश : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की नीति है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक स्थान पर कार्य करने की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई आदेश जारी किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : इस आशय को कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक स्थान पर कार्य करने की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, कोई सामान्य नीति निर्धारित नहीं की गयी

है और इस आशय के कोई सामान्य आदेश भी जारी नहीं किए गए हैं। फिर भी, मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्य की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, स्थानान्तरणीय वर्गों के अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाता है और कुछ विभागों में कतिपय वर्गों के अधिकारियों के आवधिक रूप में स्थानान्तरण किए जाने की भी प्रथा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1975-76 में त्रिपुरा के लिए वार्षिक योजना

6352. **श्री टुना उरांव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग द्वारा स्वीकृत रूप में त्रिपुरा के लिये वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : त्रिपुरा की वार्षिक योजना 1975-76 के लिए स्वीकृत परिव्यय के साथ-साथ उसके क्षेत्रीय वितरण को दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9448/75।]**

नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कृषि विपणन के विकास के बारे में तथ्यों का पता लगाने वाला अध्ययन

6353. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ने देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कृषि विपणन के विकास के बारे में तथ्यों का पता लगाने वाला कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कृषि सम्बन्धी विपणन के विकास के सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का प्रस्ताव इसके विचाराधीन है। यह परिसंघ इस क्षेत्र में एक फल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने की संभाव्यता की भी जांच कर रहा है।

वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान के लिए भारत-श्रीलंका समझौता

6354. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका ने दोनों देशों के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हां। भारत और श्रीलंका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 28 फरवरी, 1975 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) करार में तकनीकी प्रलेखीकरण और सूचना का आदान-प्रदान, आपसी हित की समस्याओं पर द्विपक्षीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी सेमिनारों का आयोजन, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगविज्ञों का आदान-प्रदान तथा विशिष्ट क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम को हाथ में लेना तथा उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रौद्योगिक प्रक्रमों को संयुक्त रूप में प्रारम्भ करने की व्यवस्था है।

उद्यमियों को राज सहायता दिये जाने में विलम्ब

6355. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन उद्यमियों ने चुने हुए पिछड़े जिलों में उद्योग चलाये हैं उन्हें केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ग्राम राज सहायता दिये जाने में विलम्ब के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) : उद्यमियों को योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राज-सहायता संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा दी जाती है और राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा दी गई धनराशि की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

उद्यमी को यथाशीघ्र राज-सहायता देने के लिए सभी कदम उठाये जा रहे हैं।

ब्रिटेनिया बिस्किट कम्पनी

6356. श्री शशि भूषण : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समझती है कि ब्रिटेनिया बिस्किट कम्पनी में अधिकांश विदेशी शेयर होने के बावजूद यह कम्पनी स्वदेशी क्षेत्र में है ;

(ख) यदि नहीं, तो तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत बिस्कुट उद्योग के स्वदेशी क्षेत्र के प्रत्येक यूनिट में कितना उत्पादन होता है और उसकी क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या बिस्कुट उद्योग के स्वदेशी क्षेत्र के अधिकांश यूनिटों में उनकी लाइसेंस क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है ; और

(घ) गत कुछ वर्षों से ब्रिटेनिया बिस्किट कम्पनी को इसकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने की अनुमति देते रहने का क्या औचित्य है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) मै० ब्रिटेनिया बिस्कुट कं० भारत के कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत है।

(ख) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9449/75]।

(ग) जी, हां।

(घ) मद्रास स्थित कम्पनी के एक के में लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक बिस्कुटों का उत्पादन करने के लिए कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है।

लाइसेंस देने संबंधी अधिकारों का विकेंद्रीकरण

6357. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाइसेंस देने सम्बन्धी अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने और राज्य सरकारों को इस प्राधिकार को सौंपने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस प्रकार के निर्णय लेने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई मांग से यह निर्णय किस प्रकार भिन्न है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) कुछ हद तक विकेन्द्रीकरण करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

पांचवीं योजना के दौरान केरल में विद्युत उत्पादन के लिये धनराशि का आवंटन

6358. **श्रीमति भार्गवी तनकप्पन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान विद्युत् का उत्पादन करने के लिए केरल सरकार की अनुमानित मांग क्या है ;

(ख) योजना आयोग ने इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पांचवीं योजना में विद्युत के उत्पादन हेतु धनराशि के लिए केरल सरकार की अनुमानित मांग 70.05 करोड़ रुपये है ।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना इस समय प्रारूप की अवस्था में है और सेक्टर-संबंधी आबंटनों के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) चालू वित्त-वर्ष के लिए आबंटन को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

राजस्थान परमाणु विद्युत् संयंत्र से पंजाब को विद्युत् की सप्लाई

6359. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान द्वारा राजस्थान परमाणु विद्युत् संयंत्र से अपने पड़ौसी राज्यों को विद्युत् न देने के निर्णय से पंजाब राज्य को उक्त संयंत्र से विद्युत् का अपना भाग नहीं मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि राजस्थान सरकार के इस रवैये से पंजाब में कृषि और उद्योग को हानि न उठानी पड़े ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में विद्युत् की उपलब्धता तथा आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद तथा राजस्थान सरकार द्वारा इस मामले पर व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने राजस्थान परमाणु विद्युत् संयंत्र से कुछ विद्युत् पंजाब और हरियाणा को आबंटित की थी। आबंटित की गई विद्युत् की मात्रा पर समय-समय पर विचार किया जाता रहेगा। इस निर्णय के अनुसार विद्युत् की सप्लाई के लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक प्रबंध कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

सिक्किम का आर्थिक विकास

6360. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान सिक्किम के आर्थिक विकास के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ;

(ख) क्या सिक्किम सरकार ने दोनों देशों के बीच निकट आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग के लिए नए समझौते के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सिक्किम की वार्षिक योजना 1975-76 को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इस पर प्रारंभिक विचार-विमर्श 11 से 15 मार्च तक पहले ही किया जा चुका है।

(ख) और (ग) सिक्किम सरकार के अधिनियम, 1974 तथा 20 जून, 1974 के सिक्किम विधान सभा द्वारा पारित संकल्प में जैसी व्यवस्था की गई है उसके अनुसार सिक्किम सरकार ने विभिन्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता का अनुरोध किया है। भारत सरकार अपने साधनों के अन्तर्गत सिक्किम के आर्थिक एवम् सामाजिक विकास में तीव्रता लाने तथा सिक्किम के लोगों के कल्याण के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाती रही है।

Small-Scale units in cooperative basis

6361. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(*a*) whether Government propose to set up small-scale industries on cooperative basis; and

(*b*) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma) :(*a*) and (*b*) Government encourage formation of cooperatives in small industries sector. Such cooperatives may be set upby entrepreneurs, workers and artisans in pursuance of the programmes formulated by the State Governments. Such societies are assisted by the State Governments, subject to the availability of funds in the State Plan/Budget, in the shape of share capital loans, interest, subsidy, managerial subsidy etc.

विभिन्न शहरों में क्रासवार टेलीफोन एक्सचेंज

6362. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन शहरों में और उन शहरों के किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों में बेल्जियम के "बैल टेलीफोन" की क्रासवार प्रणाली कार्य कर रही है ; और

(ख) विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंज किस किस तारीख से चालू हुए और 31 जनवरी, 1975 तक उन्हें वर्ष-वार कितनी हानि हुई ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) वे नगर और एक्सचेंज जिनमें बी० टी० एम० द्वारा निर्मित क्रासवार एक्सचेंज लगे हैं, और इन एक्सचेंजों के चालू होने की तारीखें इस प्रकार हैं:—

मद्रास	माम्बलम्	5000 लाइनें	4-2-67
	ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज	1000 लाइनें	29-12-67
बम्बई	सिटी	1000 लाइनें	11-11-67
	कालबा देवी	1000 लाइनें	11-11-67
	फोर्ट	1000 लाइनें	14-8-68
	ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज	2500 लाइनें	29-3-69
दिल्ली	करोलबाग	7000 लाइनें	23-2-68
	जोरबाग	6000 लाइनें	24-3-68
	ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज	2000 लाइनें	19-4-69
कानपुर	ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज	1000 लाइनें	7-3-70

अलग-अलग एक्सचेंजों के लिए लाभ हानि संबंधी लेखे नहीं रखे जाते।

क्रासबार उपकरणों का निर्माण

6363. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में या उसके बाद संचार विभाग के सचिव ने आई० टी० टी०/बी० टी० एम० कामन कंट्रोल क्रासबार सिस्टम उपकरण बनाने की पुन: सिफारिश की थी और जिसका दर्जा बढ़ाने के लिए एक कृतिक दल बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कृतिक दल में सम्मिलित अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं ; और

(ग) क्या उस दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) और (ख) उन्नत क्रासबार प्रणाली को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की दृष्टि से, 1973 में संचार मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव ने, रायबरेली के नए स्विचिंग कारखाने में स्विचिंग प्रणाली के उत्पादन पर विचार करते समय अन्यान्य प्रस्तावों में इस प्रणाली को और अधिक सुधारने और उन्नत बनाने की दृष्टि से

विभिन्न उपाय सुझाये थे और कहा था कि यदि इस प्रणाली को सन्तोषप्रद पाया जाए तो, इसे रायबरेली में उत्पादित भारतीय मानक रूप स्वीकारा जाये क्योंकि निर्माण और प्रचालन के लिहाज से इसके कई लाभ होंगे।

इस क्रासबार प्रणाली को अधिक उन्नत बनाने और इसके डिजाइन का भारतीयकरण करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों का एक कृतिक दल बनाया है :

1. श्री पी० के० राय चौधरी,
अपर निदेशक,
दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र,
डाक-तार बोर्ड, नई दिल्ली।

2. श्री पी० एस० एण्डला,
उप निदेशक,
दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र।
डाक-तार बोर्ड, नई दिल्ली।

3. श्री बी० आर० नायर,
उप निदेशक,
दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र,
डाक-तार बोर्ड, नई दिल्ली।

4. श्री आर० रंगाराजन,
उपनिदेशक,
दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र,
डाक-तार बोर्ड, नई दिल्ली।

5. श्री आर० पी० सुब्रह्मण्यन,
मुख्य इंजीनियर,
इण्डियन क्रासबार प्रोजेक्ट,
इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
बंगलौर।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृतियों के भुगतान में विलम्ब

6364. श्री सतपाल कपूर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशक (स्कालरशिप) दिल्ली के कार्यालय में कर्मचारियों की भारी कमी है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष समय पर छात्रवृत्तियां नहीं मिलती हैं;

(ख) विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्तियां देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस वर्ष किस तारीख तक सब छात्रवृत्तियों सम्बन्धी मामलों पर निर्णय ले लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) हां, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के छात्रवृति शाखा में कर्मचारियों की कमी है। सहायक निदेशक (सुधार) ने इस शाखा के कार्यभार तथा कर्मचारियों की संख्या का अध्ययन किया था और दो अतिरिक्त उच्च श्रेणी लिपिकों को वहां तैनात करने की सिफारिश की थी। मित्तव्ययता के कारण ये पद भरे नहीं गये थे। इससे कार्य में कोई रुकावट नहीं हुई है और प्रतिवर्ष सभी पात्र छात्रों को समय पर छात्रवृत्तियां दी गई थीं।

(ख) मामलों को समय पर निपटाने के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

(ग) 1974-75 के सभी पात्र मामलों में प्रक्रिया की गई है और उनको वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई थी। पिछले वर्ष के बचे हुए पात्र मामलों में भी प्रक्रिया की गई है और चालू वर्ष के बजट से भुगतान किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृतियां दिया जाना

6365. **श्री सतपाल कपूर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्तियां देने के बारे में शिक्षा निदेशक, दिल्ली (स्कालरशिप) को इस वर्ष के दौरान (एक) मिरांडा कालेज, (दो) इन्द्रप्रस्थ कालेज और (तीन) दौलतराम कालेज से प्राप्त आवेदनपत्रों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने आवेदन-पत्रों के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है ; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और सब मामलों में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) तीन कालेजों से वर्ष 1974-75 के दौरान प्राप्त आवेदनपत्रों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

(1) मिरांडा कालेज . .	10
(2) इन्द्रप्रस्थ कालेज	24
(3) दौलत राम कालेज . . .	23

(ख) अनिर्णित आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है:—

(1) मिरांडा कालेज . .	2
(2) इन्द्रप्रस्थ कालेज .	4
(3) दौलत राम कालेज . . .	शून्य

(ग) इन मामलों में अन्तिम निर्णय लिये जाने में देरी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के लिये छात्र अपने माता-पिता की आय बताने के इच्छुक नहीं हैं।

(2) एक मामले के पिता कर दाता हैं किन्तु कर अधिकारियों से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हैं।

(3) उन छात्रों के, जो पहले वर्ष से छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे थे छात्रवृत्तियों के नवीनीकरण के मामलों में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्रों में नहीं दी गई थी। उनसे विशेष रूप से निश्चित तारीख तक सूचना देने के लिये अनुरोध किया गया था किन्तु वे आगे नहीं आये हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे आवेदन पत्रों पर अनुग्रहपूर्वक विचार नहीं किया जा सकता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृति देने के लिये वेतन सीमा में वृद्वि

6366. **श्री सतपाल कपूर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के डिग्री पाठ्यक्रमों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए शिक्षा निदेशक (छात्रवृत्तियां) ने आवेदन-पत्र प्राप्त करने की क्या अन्तिम तिथि निर्धारित की है ;

(ख) छात्रवृत्तियां देने के लिए रुपये 750 तक मासिक वेतन सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में किस तारीख को आदेश जारी किये गये थे और क्या 750 रुपये प्रति मास तक वेतन सीमा बढ़ाने सम्बन्धी ये आदेश आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की तिथि समाप्त हो जाने के बाद जारी किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे छात्रों से पुनः आवेदनपत्र आमंत्रित किए गये थे जो वेतन सीमा बढ़ाये जाने के परिणाम-स्वरूप छात्रवृत्तियों के पात्र हो सकते थे ; और

(घ) यदि हां, तो आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के लिए पुनः क्या अन्तिम तिथि निर्धारित की गई थी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अनुसूचित जाति के छात्रों से निर्धारित फार्म में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31-8-1974 थी जो 15-9-74 तक बढ़ा दी गई थी।

(ख) आय सीमा में वृद्धि करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 17-9-74 को आदेश जारी किए गये थे, हां, आदेश अंतिम तिथि समाप्त होने पर जारी किए गए थे।

(ग) आय सीमा में संशोधन करने के परिणामस्वरूप पात्र छात्रों से 15-11-74 तक दिल्ली/नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा उर्दू के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर नये सिरे से आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किए गये थे।

(घ) आवेदन प्राप्त करने की निश्चित अंतिम तिथि 15-11-74 थी।

Alleged Conspiracy to Blow F.C.I. Godowns in Delhi

6367. **Shri Chandra Shailani :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Government have unearthed a conspiracy designed to blow up by a bomb the Delhi godown of the Food Corporation of India;

(*b*) whether some persons have been arrested in this connection;

(*c*) if so, the facts divulged by the arrested persons during the course of interrogations; and

(*d*) atcion taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) *to* (*d*) A conspiracy has been unearthed wherein some striking workers of the Food Corporation of India were

found preparing bombs to cause harm to the temporary workers of the Food Corporation of India and the vehicles which carry them. It is not known whether they had any intention to cause damage to the Food Corporation of India's godown in Delhi. Six persons have so far been arrested for illegally preparing the bombs while four others are still absconding. The arrested persons have been interrogated extensively. The case is still under investigation.

Cement Factory in Maihar, Satna (M.P.)

6368. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(*a*) whether Government have under consideration a scheme to set up a cement factory in Maihar Tehsil in Satna district (M.P.); and

(*b*) if so, the time by which it is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (*a*) and (*b*) : Government have no scheme under consideration for setting up a cement plant at Maihar. However, Century Cement, Bombay, have been granted a letter of intent to set up a cement plant at Maihar in Satna district of Madhya Pradesh for a capacity of 7·50 lakh tonnes per annum. The scheme is likely to be implemented by 1978-79.

Central Assistance to Madhya Pradesh for Fifth Plan

6369. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(*a*) the total amount of Central assistance allocated for the entire Fifth Plan for Madhya Pradesh; and

(*b*) the amount so far provided to Madhya Pradesh out of that assistance and the purposes for which it has been given ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) The criteria and principles which will govern the allocation of Central assistance to States during the Fifth Plan period for their respective Fifth Plans including that of Madhya Pradesh are under consideration of the Planning Commission, a decision regarding which will be taken by the National Development Council.

(*b*) An allocation of Rs. 53·32 crores as Central assistance has been made to Madhya Pradesh for each of their State Annual Plans 1974-75 and 1975-76. In 1974-75, advance Plan assistance of Rs. 6·50 crores was also provided to Madhya Pradesh for drought relief measures.

हिमाचल प्रदेश में पोस्टल डिवीजनों में कर्मचारियों की कमी

6370. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के पोस्टल डिवीजनों में कर्मचारियों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर्वतीय राज्य में अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या पोस्टल डिवीजनों ने मुख्य अधिकारियों ने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई मांग की है तथा प्रत्येक डिवीजन के लिए क्या मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मांग को किस तिथि तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश के डाक डिवीजनों में कर्मचारियों की कोई आम कमी नहीं है । सोलन डाक डिवीजन की खाली जगहों के लिए पांच टाइम-स्केल क्लर्क अलाट किए गए हैं । प्रशिक्षण के बाद वे शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण कर लेंगे ।

डी० एच० पी० सी० एस० कैडर

6371. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० एच० पी० सी० एस० कैडर बनाया गया था तथा वह हिमाचल प्रदेश की स्थापना के समय तक विद्यमान था ;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना के समय कितने ई० ए० सी० स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे ;

(ग) भारत सरकार द्वारा इस कैडर में जब पहली बार नियुक्तियां की गई थी तब कितने ई० ओ० सी० थे ;

(घ) क्या ज्वाइंट सिविल सर्विस की स्थापना के समय स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे सभी ई० ए० सी० अधिकारियों को नई सेवा में खपाया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ज्वाइंट सिविल सर्विस के बचे हुए ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल, 1948 को बनाया गया था जब कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संवर्ग का गठन 15 मार्च, 1961 को किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) 1961 में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा की स्थापना के समय 40 अधिकारी अतिरिक्त सहायक आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त दो और अधिकारी तदर्थ आधार पर ई० ए० सी० के रूप में काम कर रहे थे। इन दो अधिकारियों के सिवाय डी० एच० पी० सी० एस० नियमावली, 1961 के अधीन गठित एक प्रवर समिति द्वारा इसके प्रारम्भिक गठन पर संवर्ग में नियुक्ति के लिए शेष 40 अधिकारियों के संबंध में विचार किया गया था। उनमें से 26 अधिकारी जिनकी प्रवर समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, संवर्ग में नियुक्त किये गये। इससे पूर्व दो अधिकारी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में नियुक्त किये गये थे जबकि अन्य 3 अधिकारी सेवा निवृत्त हो गये थे।

(ङ) प्रवर समिति द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों का अनुमोदन नहीं किया गया था और इस लिए दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संवर्ग में नियुक्त नहीं किये गये :—

1. श्री हरी राम
2. श्री शेर सिंह
3. श्री सी० पी० मेहता
4. श्री सुरेन्द्र पाल
5. श्री चतर सिंह
6. श्री रतन सिंह
7. श्री सोहन लाल
8. श्री जीत राम
9. श्री एस० आर० शर्मा

निम्नलिखित दो अधिकारियों पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि वे केवल तदर्थ आधार पर ई० ए० सी० के रूप में काम कर रहे थे और इस लिए वे पात्र नहीं थे :—

1. श्री रमेश कुमार
2. श्री आर० सी० शर्मा।

प्रेस पंजीकरण अधिनियम का संशोधन

6372. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस पंजीकरण अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधन किये जाने का विचार है ; और

(ग) संशोधनों को किस तिथि तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) : अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव की जांच हो रही है।

डाक और दूर संचार से आय में वृद्धि

6373. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और दूरसंचार से आय में वृद्धि करने के लिए कोई नए उपाय किये जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय किये जाने का निर्णय किया गया है तथा वे किस तिथि तक लागू किये जायेंगे ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारी इंजीनियरी और खनन मशीनों के संबंध में प्रौद्योगिकी की कमी को सोवियत संघ की सहायता से पूरा किया जाना

6374. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी और खनन मशीनों के संबंध में प्रौद्योगिकी की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सोवियत संघ से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सहायता किस परियोजना के लिये मांगी जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) भारी इंजीनियरी निगम के हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट और माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की स्थापना सोवियत सहायता से की गई है। यद्यपि इन एककों ने काफी हद तक दक्षता और तकनीकी जानकारी विकसित कर ली है, फिर भी सोवियत सहयोगकर्ताओं के साथ प्रौद्योगिकी संबंधी नये विकास की जानकारी हेतु और आद्य-रूप आलेखन और डिजाइन प्राप्त करने तथा इनकी

उत्पादन रूपरेखा में नई वस्तुओं के विकास के लिये विशेषज्ञ प्राप्त करने हेतु निरन्तर विचार-विमर्श किया जाता है। सोवियत संघ की मदद से स्थापित किये गये इन संयंत्रों का पूरा उपयोग, उन तीसरे देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जिनसे सोवियत संघ निविदायें प्राप्त करेगा, उन वस्तुओं के निर्यात क्रयादेश प्राप्त करके जिनका निर्माण इन संयंत्रों में किया जा सकता है, एक और क्षेत्र है जिसमें रूसी सहयोग मांगा जा रहा है।

Neglect of Malwi and Nimari Languages by Radio Stations in Madhya Pradesh

6375. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) whether Malwi and Nimari languages are being neglected by the Radio Stations in Madhya Pradesh and these are not being propagated as much as they should be; and

(*b*) if so, the reasons the refor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting(Shri Dharam Bir Sinha): (*a*) No, Sir. All India Radio Indore broadcasts programmes in Malwi and Nimari daily to serve the areas where Malwi and Nimari speaking people live. All India Radio, Bhopal also broadcasts folk songs in these two dialects from time to time; All India Radio does not propagate any language as such but uses languages and dialects in its programmes for establishing communication with the people and for reflecting the culture of the area.

(*b*) Does not arise.

कोका कोला कन्सेन्ट्रेट की उपयोगिता

6376. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि कोका कोला कंसट्रेट के संयोजन के बारे में सरकार को मालूम नहीं है तो जनता के लिये इसकी उपयोगिता का निर्णय करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये थे; और

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में इस उद्योग को रखने के लिये जनहित को किस प्रकार ध्यान में रखा गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) कोका कोला कन्सन्ट्रेट (सान्द्रण) मिश्रण को निरपेक्ष रख उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 पहली अनुसूची की वस्तुओं के अन्तर्गत नहीं आता है।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में शामिल किए गए उद्योगों में वे उद्योग आते हैं जिनका नियंत्रण संघ द्वारा संसद द्वारा और कानून द्वारा जनहित में घाषित किया गया है ।

कोका कोला कंसेंट्रेट से संघटक तत्व

6377. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला निर्यात निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र की तारीख और अन्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या आवेदन पत्र/अनुमति पत्र तकनीकी विकास महानिदेशालय अथवा उनके मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था स्वीकृति की तारीख और संख्या क्या है, कितनी लाइसेंस क्षमता प्रदान की गई है, इस बारे में मुख्य शर्तें क्या हैं और इसे मंजूरी किस मंत्रालय ने दी है और यह मंजूरी किन-किन उपबन्धों के अधीन दी गई ;

(ग) क्या इस स्वीकृति को देते समय सरकार कोका कोला कन्सट्रेन्ट के संघटक तत्वों का ब्यौरा प्राप्त करने और कम्पनी द्वारा यह ब्यौरा न देने की स्थिति में उनके आवेदन-पत्र को नामंजूर करने में सक्षम थी ; और

(घ) यदि हां, तो कोका कोला कन्सट्रेन्ट के संघटक तत्वों के बारे में कोई ब्यौरा क्यों प्राप्त नहीं किया गया ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सान्द्रण (कन्सेन्ट्रेट) बनाना एक ऐसी वस्तु समझी गई है कि जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम सूची के अन्तर्गत नहीं आती है। मै० कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन का सान्द्रण बनाने के लिए 28 अक्तूबर, 1957 का आवेदन उस समय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। इस आवेदन के उत्तर में कारपोरेशन को निम्नलिखित शर्तों पर भारत में सांद्रण बनाने के लिए जनवरी, 1958 में स्वीकृति दी गई थी :

1. संयंत्र और उपकरण विदेशी कम्पनी द्वारा दिए जाएंगे और

2. उत्पादन की मात्रा इतनी होगी जिससे देश में बोतलें भरने के चार विद्यमान संयंत्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सके और इन संयंत्रों में पेय बनाने के लिए जिन अन्य कच्चे माल के आयात की आवश्यकता होगी उसके लिए समय समय पर विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखकर अनुमति दी जाएगी।

तदनुसार कोका कोला सान्द्रण बनाने के लिए साइट्स फल से पेय बनाने का निगम का प्रस्ताव जो उनके 13 नवम्बर, 1964 के पत्र द्वारा प्राप्त हुआ था तत्कालीन उद्योग और पूर्ति मंत्रालय के पत्र सं० 15 (10)/64-एल० आई० (1) दिनांक 26 नवम्बर, 1964 द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार किया गया था।

1. उन्हें मृद पेय आधार पर निर्माण करने के लिए संयंत्र और उपकरणों का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी।

2. मृत पेय आधार का निर्माण करने के लिए अपेक्षित किसी कच्चे माल का आयात करने के लिए आश्वयक विदेशी मुद्रा की पूर्ति कोका कोला सांन्द्रणों का निर्यात करने के लिए उन्हें स्वीकृत निर्यात उत्पादन हकदारी से की जाएगी।

इन स्वीकृति पत्रों में क्षमता का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) वर्ष 1958 और 1964 में स्वीकृति देने के प्रयोजन से कोका कोला और आन्य सान्द्रणों का निर्माण करने संबंधी ब्यौरे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझी गई थी।

उत्तर बंगाल का विकास

6378. **श्री रानेन सेन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास और नागरिक पूर्ति राज्य मंत्री को उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी में हाल में एक ज्ञापन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) पांचवीं योजना अवधि में उत्तर बंगाल के विकास के लिये सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उत्तर बंगाल के सभी जिले जिनमें कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाइगुड़ी माल्दा और पश्चिम दीनाजपुर सम्मिलित हैं उद्योगों के विकास के लिए रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने के पात्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र चुने गये हैं । पश्चिम बंगाल का पांचवीं योजना का अन्तिम परिव्यय 1077 करोड़ रु० निश्चित किया गया है जिसमें उत्तर बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की 16 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है । इसके अलावा बंगाल के दीनाजपुर जिले के पश्चिमी भाग में 2500 तकुओं की एक स्पिनिंग मिल स्थापित करने की एक योजना है ।

एच० ई० सी० रांची में "इंजीनियर्स प्रोवेशनर्स" का पद

6379. **श्री भोगेंद्र झा: क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० ई० सी० (रांची) के प्रबंधक "इंजीनियर प्रोवेशनर्स" के पद के लिये विज्ञापित मानदण्डों के अतिरिक्त मानदण्डों पर लिखित परीक्षा और इन्टरव्यू लेना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत रांची विश्वविद्यालय के आवेदकों को सम्मिलित नहीं कर रहे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं ;

(ग) क्या रांची विश्वविद्यालय के उम्मीदवारों ने अपना असन्तोष व्यक्त करते हुए प्रबंधकों को ज्ञापन प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं । सभी आवेदक जो विज्ञापित योग्यताएं पूरी करते हैं, परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए असंतोष का कोई कारण नहीं है ।

कैड्बरी को आयात संपूर्ति लाइसेंस

6380. **श्री सतपाल कपूर : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैड्बरी के आयात संपूर्ति लाइसेंस में कमी कर दी गई है ;

(ख) निर्यात में आयात की मात्रा का वास्तविक मूल्य क्या है ;

(ग) पूर्व आयात का हक किस आधार पर निर्धारित किया गया था ;

(घ) चूंकि आयात संपूर्ति लाइसेंसों में कमी कर दी गई है अतः क्या भारतीय मण्डी की आवश्यकता को पूरा करने के लिये उन्हें तदर्थ लाइसेंस दिये जायेंगे ; और

(ङ) यदि नहीं, तो स्थानीय आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : कोको बीन्स आदि जैसी आयातित वस्तुओं के मूल्य तथा निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए आयात प्रतिपूर्ति जो 60 प्रतिशत निर्धारित की गई थी कम करके 25 प्रतिशत कर दी गई है ।

(घ) और (ङ) निर्यात पर दिए जाने वाले प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के बजाय उन्हें नीति के मुताबिक वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस दिए जा रहे हैं ।

चुराई गई हिन्दु देवी-देवताओं की मूर्तियां तथा अन्य प्राचीन कलाकृतियां

6381. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत तीन वर्षों में भारत के विभिन्न स्थानों से हिन्दु देवी देवताओं की कितनी मूर्तियां तथा अन्य प्राचीन कलाकृतियां चुराई गई ;

(ख) चोरी की गई कुल कितनी मूर्तियां और अन्य प्राचीन कलाकृतियां अब तक बरामद की गई हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा दण्डित किया गया और इसमें कितने विदेशी व्यक्तियों का हाथ है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों में हिन्दु देवताओं तथा देवियों की 3145 मूर्तियां चुराई गई थी । 1103 मूर्तियां बरामद की गई थी । इस संबंध में 518 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और 148 को सजा दी गई । 16 विदेशी अन्तर्ग्रस्त थे ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

6382. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) 1973-74 के दौरान तथा दिसम्बर 1974 के अन्त तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कितने मामले सौंपे गये ;

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 31 जनवरी, 1975 के अन्त तक राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितने मामलों का निपटान किया ; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी मामले के निपटाने के लिए सामान्यतः कितना समय लिया जाता है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) पहली अप्रैल, 1973 से दिसम्बर, 1974 के अन्त तक की अवधि में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये 49 मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गए थे ।

(ख) 31 जनवरी, 1975 के अन्त तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 33 मामले निपटाए गए । राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार अलग अलग आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निपटाए गए मामलों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निपटाए गए मामलों की संख्या
1. असम . .	1	10. तमिल नाडू . .	1
2. बिहार . .	1	11. उत्तर प्रदेश . .	3
3. गुजरात . .	4	12. अरुणाचल प्रदेश .	5
4. जम्मू व कश्मीर .	2	13. चण्डीगढ़ . .	1
5. मध्य प्रदेश . .	1	14. दिल्ली . .	1
6. महाराष्ट्र . .	3	15. गोवा, दमन तथा दीव .	2
7. उड़ीसा . .	2	16. मिजोरम . .	1
8. पंजाब . .	3	17. पांडिचेरी . .	1
9. राजस्थान . .	1		

(ग) सामान्यतः किसी साधारण आर० सी० मामले की जांच उसके दर्ज करने के आठ महीने के भीतर पूरी कर ली जाती है । जटिल मामलों में, विशेषतः जहां पूछताछ विभिन्न स्थानों पर की जानी होती है अथवा जिन में भारी भरकम प्रलेखों की संवीक्षा करनी होती है अथवा जिनमें विशेषज्ञों की राय प्राप्त करनी आवश्यक होती है, या विशेष स्थानों पर बहुत बड़ी संख्या में साक्षियों की जांच करनी होती है अथवा जिनमें कुछ साक्षियों को कठिनाई के साथ ही हाजिर किया जा सकता है, तो किसी किसी जांच में आठ मास से भी अधिक लग जाते हैं, जो की जाने वाली जांचों के विशेष स्वरूप और उसकी अपेक्षाओं पर निर्भर करता है ।

केरल राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम द्वारा बिजली के ट्रांजिस्टरों और इंटोग्रेटिड सर्किटों के उत्पादन के लिए लाइलेंस की मांग

6383. **श्री वयालर रवि :** क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम ने बिजली के ट्रांजिस्टरों और इंटीग्रेटिड सर्किटों के उत्पादन के लिये लाइसेंस मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या यह रद्द कर दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) केरल राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम ने 10 लाख बिजली के ट्रांजिस्टरों और 10 लाख एकीकृत परिपथों की निर्माण-क्षमता के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के निमित्त एक आवेदन पत्र 26-10-74 को भेजा था। लाइसेंस प्रदायी समिति ने इस प्रस्ताव पर 3-2-1975 को विचार किया तथा निर्यात विपणन की व्यवस्था के संबंध में तथा केरल इलेक्ट्रानिकी विकास निगम को इस तथा अन्य परियोजनाओं के वित्त-पोषण की व्यवस्था के संबंध में अपेक्षित विशिष्ट सूचनाओं के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। निगम ने अब प्रस्ताव के इस प्रकार रद्द किए जाने के विरुद्ध 12 मार्च, 1975 को अभ्यावेदन पेश किया है। इस अभ्यावेदन पर विचार करने के प्रयोजन से इलेक्ट्रानिकी विभाग ने लाइसेंस प्रदायी समिति द्वारा विशिष्ट रूप से उठाये गये मद्दों पर निगम से और आगे सूचना मांगी है।

परमाणु नीति में परिवर्तन

6384. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी परमाणु नीति में परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और क्या परिवर्तन किये जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

विदेशीं फीचर फिल्मों के आयात का सरकारीकरण

6385. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी फीचर फिल्मों के आयात को अपने अधिकार में लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार फिल्मों के आयात, उनके विषय और उन देशों के बारे में जिनसे इनका आयात किया जाना है, मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) भारत में फीचर फिल्मों का आयात 3-8-1972 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से तथा 27 अक्तूबर, 1973 से फिल्म वित्त निगम के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था की गई थी।

(ग) फिल्मों की आयात नीति की मुख्य विशेषतायें हैं। गुण तथा व्यापारिक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए सार्वभौमिक आधार पर बिना भेदभाव के आयात।

Use of English in Departments under Ministry of Energy

***6386. Shri Sudhakar Pandey :** Will the **Minister of Energy** be pleased to state :

(*a*) the number of departments of his Ministry which still send their letters, circulars, memoranda to the offices under them in English;

(*b*) the number of officers and employees in these departments who write their notes on files in English;

(*c*) whether instructions have been given to these officers and employees by Government for use of Hindi in all their work; and

(*d*) if so, the reasons for non-compliance of those instructions and the action taken in this regard?

The Minister of Energy (Shri K. C. Pant) : (*a*) *to* (*d*) Under the provisions of Official Languages (Amendment) Act, 1967 and instructions issued thereunder, English, in addition to Hindi, continues to be used for all the official purposes. Accordingly, every employee can do official work in English or Hindi. Documents specified under section 3(3) of the Act are being issued bilingually. Officers and employees are encouraged to use Hindi in official work.

विभिन्न अधिनियमों में 'फेक्ट्री' और 'श्रमिक' की परिभाषा

6387. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में उल्लिखित फैक्ट्री की परिभाषा कहां से ली गई और फैक्ट्रीज अधिनियम, 1948 में फैक्ट्री की क्या परिभाषा है ;

(ख) नियुक्त श्रमिकों के संबंध में इन दोनों अधिनियमों में दी गई परिभाषाओं में विषमता के क्या कारण है तथा कौन-सी परिभाषा सही है; और

(ग) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के मामले में लागू होने वाले सिद्धांत के समर्थन में अधिनियम और नियमों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, की धारा 3(ग) में कारखाने की परिभाषा इस प्रकार की गई है जिसमें वह सीमा या उसका परकोटा शामिल है जिसके किसी भाग में (1) बिजली की सहायता से बशर्ते कि उसमें पिछले बारह महीनों के किसी एक दिन पचास या उससे अधिक मजदूर काम कर रहे हों अथवा उन्होंने काम किया हो ; या (2) बिजली की सहायता बिना, बशर्ते, फिर पिछले बारह महीनों के किसी एक दिन एक सौ अथवा उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हों अथवा पहले कर चुके हों। जबकि इस परिसर के किसी भाग में बिजली की सहायता से कोई निर्माण कार्य न किया जा रहा हो, निर्माण कार्य हो रहा हो अथवा सामान्य रूप से ऐसा कार्य किया जा रहा हो। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ङ) के अन्तर्गत, वह परिसर जिसमें उसका परकोटा शामिल है, में (1) जहां दस अथवा अधिक मजदूर काम कर रहे हों या पिछले बारह महीनों में किसी दिन कार्य किया हो, और उसके किसी भाग में बिजली की सहायता से निर्माण कार्य किया जा रहा हो अथवा सामान्य रूप से किया गया हो; अथवा (2) जहां बीस या अधिक मजदूर काम कर रहे हों अथवा पिछले बारह महीनों के किसी दिन काम किया गया हो और उसके किसी भाग में बिजली की सहायता

बिना निर्माण कार्य किया जा रहा हो अथवा सामान्य रूप से किया गया हो, 'कारखाना' कहा जाता है, परन्तु इसमें खानें और रेलवे रनिंग शेड शामिल नहीं हैं जबकि खान अधिनियम, 1952 शामिल है।

कारखाना अधिनियम और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में 'कारखाना' शब्द की परिभाषा में अन्तर होने का कारण इन दोनों अधिनियमों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले विभिन्न उद्देश्य भी भिन्न-भिन्न हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 कारखानों में श्रमिकों की स्थिति का विनियमन करने वाले कानून में संशोधन करने और समुचित करने के लिए बनाया गया था, जबकि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 कुछ उद्योगों का विकास और विनियमन करने के लिए बनाया गया था जिन पर केंन्द्र का नियंत्रण रखना लोकहित की दृष्टि से श्रेयस्कर समझा जाता है।

सी० ओ० बी० लाईसेंस के लिए पात्रता

6388. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 की अधिसूचना में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी कम्पनी पर विदेशी नियंत्रण है तो उसे कोई छूट नहीं मिलेगी तथा वह लघु क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकती;

(ख) क्या इस अधिसूचना में नियुक्त श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सी० ओ० बी० लाइसेंसों के लिये पात्रता की जांच के लिये श्रमिकों की संख्या अथवा संयंत्र और मशीनरी में वास्तविक पूंजी निवेश को कसौटी माना जायेगा।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) 16-2-1973 की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार विदेशी स्वामित्ववाली कम्पनियों, उनकी शाखाएं या सहायक कम्पनियां अथवा जिनमें चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी कम्पनियों, उनकी शाखाओं या सहायक कम्पनियों, अथवा विदेशी नागरिकों या विदेशों में रहने वाले भारतीयों का हो, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस उपबन्धों से छूट प्राप्त करने की पात्र नहीं हैं।

उक्त अधिनियम, की धारा (3 घ) में परिभाषित किया गया है कि औद्योगिक उपक्रम से आशय अनुसूचित उद्योग के उस उपक्रम से है जो एक अथवा अधिक कारखाने चलता हो और वे किसी व्यक्ति अथवा सरकार अथवा प्राधिकरण से संबंधित हों।

अधिनियम के धारा 3(ग) के अनुसार परकोटा सहित ऐसे परिसर को जिसके किसी भाग में निम्नलिखित निर्माण कार्य किया जा रहा हो अथवा सामान्य रूप से किया गया हो, कारखाना कहते हैं :––

(1) बिजली की सहायता से, पचास अथवा अधिक श्रमिक काम कर रहे हों अथवा पिछले बारह महीनों के किसी दिन काम किया हो ; अथवा

(2) बिजली की सहायता के बिना --एक से अथवा अधिक श्रमिक काम कर रहे हों अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन काम किया हो उपबंध यह है कि परिसर के किसी भाग में बिजली की सहायता से निर्माण कार्य न किया जाता हो।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाऐं अधिनियम में दी गई भाषा के अनुसार उपक्रम पर लागू होते हैं।

कार्य, जारी रहने के लाइसेंस देते समय, सरकार सभी सम्बंधित पहलुओं पर विचार करती है जिसमें उपक्रम के संयंत्र और मशीनरी पर किया गया निवेश और उसमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या भी शामिल हैं।

लाइसेंस समिति द्वारा सक्षमता का प्रश्न उठाना

6389. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंस समिति द्वारा गत दो वर्षों में सक्षमता का प्रश्न कितने मामलों में उठाया गया था और ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है, उनके प्रस्ताव, आवेदन पत्रों की संख्या और तारीख क्या है ;

(ख) क्या सक्षमता का प्रश्न आशयपत्र जारी करने के बाद अथवा इसके पूर्व आता है; यदि यह आशयपत्र जारी करने के पूर्व आता है तो क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय, प्रशासनिक मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तावों की जांच पर्याप्त नहीं है,

(ग) इन विभागों को प्रस्तावों की जांच करने के अधिकार देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह लाइसेंस समिति राज्य प्राधिकारियों, तकनीकी प्राधिकारियों, प्रशासनिक मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों की सिफारिशों के विरुद्ध व्यवस्था देती है और यदि हां, तो ऐसा किस प्राधिकार नियम और प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) लाइसेंसिंग समिति मांग स्वीकृत/अधिष्ठापित क्षमता कच्चे माल की उपलब्धता विदेशी मुद्रा की आवक और उसकी जावक प्रौद्योगिकी प्रस्ताव के तकनीकी आर्थिक मुद्दे प्रार्थी की पृष्ठभूमि और अनुभव विशेष-कर के जटिल प्रकार के क्षेत्रों की तथा बहुत अधिक किनियोजन वाले क्षेत्रों का जैसे तथ्यों पर विचार करती है। एक आवेदक की तकनीकी अथवा अन्य प्रकार की क्षमता उन अनेक तथ्यों में से एक हैं जिनको ध्यान में रखकर समिति सिफारिशें करती है। व्यावहारिक रूप में एक ही मामले में अनेकों विचाराधीन बातें लिखित होती हैं। ऐसे मामलों को अलग छांट पाना कठिन होता है। जिन मामलों को समिति सरकार ने केवल सक्षमता के आधार पर रद्द कर दिया है। मामलों को अलग छांट पाना संभव नहीं पाया गया है। फिर भी 1974 की अवधि में 281 आवेदन (कुल निर्णीत आवेदनों के 50 प्रतिशत के बराबर हैं) इस आधार पर रद्द किए गए थे कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत योजना उचित रूप से तैयार नहीं की गई थी तथा उन्हें तकनीकी दृष्टि से सम्भाव्य नहीं पाया गया था।

(ख) लाइसेंसिंग समिति के समक्ष किसी आवेदन के गुणावगुण आशय पत्र जारी करने से पूर्व ही विचारार्थ आते हैं। लाइसेंसिंग समिति प्रस्ताव अपनी सिफारिश तकनीकी विकास के महानिदेशालय तथा सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा की गई जांच के आधार पर तथा समिति की बैठकों के सदस्यों जिसमें तकनीकी विकास और प्रशासनिक मन्त्रालयों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर करती है :

(ग) उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा लाइसेंस आवेदनों को निपटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया में लाइसेंसिंग समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्रस्ताव की तकनीकी प्राधिकरणों और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जांच करने का प्रावधान किया गया है।

(घ) लाइसेंसिंग समिति विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा की गई सिफारिशों पर और समिति की बैठकों में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों पर विचार करती है। समिति की सिफारिशों में इसकी बैठकों में निश्चित किए गए दृष्टिकोण निहित होते हैं।

पंजाब में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या

6390. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में शिक्षित बेरोजगारों की अद्यतन संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें रोज़गार के अवसर उपलब्ध करने के लिए बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के अनुसार 30 जून, 1974 को पंजाब में शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या 106637 थी।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य योजनागत स्कीमों के अतिरिक्त शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के वास्ते रोज़गार अवसरों की व्यवस्था करने के लिए, विशेष रूप से उनके लिए स्व-रोज़गार अवसरों की व्यवस्था करने के लिए, वर्ष 1974-75 में रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब राज्य में 60.22 लाख रुपये के परिव्यय की 5 स्कीमें स्वीकार की गई है जिनकी रोज़गार क्षमता 1625 है। इन स्कीमों की मुख्य-मुख्य बातें अनुवन्ध 'क' में दी गई हैं। 1975-76 में राज्य सरकार को उन स्कीमों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनका कार्यान्वियन मार्च, 1975 के अन्त में प्रारम्भ किया गया था।

विवरण

क्रम सं० (1)	स्कीम का नाम (2)	परिव्यय (लाख रुपये) (3)	रोजगार क्षमता (4)
			(संख्या)
I. स्वरोजगार स्कीमें			
1.	मूल पूंजी/उपांतधन/शेंयर पूंजी सहायता के मामध्य से स्व-रोज़गार प्रोत्साहन . . .	30.94	820

1	2	3	4
	2. औद्योगिक/वाणिज्यिक बस्तियों के द्वारा स्व-रोजगार	18.00	200
	(क) जोड़ . . .	48.94	1020
	(ख) संगठन को सुदृढ़ करने का व्यय .	2.45	
	जोड़ (क+ख). .	51.39	1020
	II. प्रशिक्षण स्कीमें		
	3. गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण . . .	5.10	400
	4. स्व-रोज़गार के लिए प्रशिक्षण . . .	2.25	150
	5. जहां कहीं सुरक्षित पद रिक्त पड़े हैं, ऐसे सरकारी पदों के लिए अ० जा० /अ० ज० के लोगों को प्रशिक्षण . .	0.33	55
	(क) जोड़ :	7.68	605
	(ख) प्रासंगिक व्यय	1.15	
	जोड़ (क)+(ख) . .	8.83	605
	कुल जोड़ (I)+(II) . .	60.22	1625

महाराष्ट्र की बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति

6391. **श्री वसंत साठे :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की उन बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है ;

(ख) परियोजनाओं की स्वीकृति न दिए जाने के (परियोजनावार) कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने हाल में महाराष्ट्र की कुछ बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति दी है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) महाराष्ट्र में ऊर्जा के अकाल का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) विवरण एक विद्युत् परियोजनाओं के ब्यौरों तथा उनकी वर्तमान स्थिति को सूचित करता है ;

विवरण -दो हाल में स्वीकृत की गई विद्युत् परियोजनाओं तथा उन की क्षमताओं को सूचित करता है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1988 मैं० वा० अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, जिसमें 988 मै० वा० सतत स्कीमों तथा 1000 मैं० वा० नई स्कीमों की शामिल है, को चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया है, जिससे महाराष्ट्र राज्य में विद्युत् की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी ।

विवरण

विद्युत् परियोजनाओं के ब्यौरों तथा उनकी वर्तमान स्थिति को सूचित करने वाला विवरण ।

क्रम सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	गिरना जल विद्युत् परियोजना	2×3.5	इन प्रस्तावों के संबंध में संशोधित प्राक्कलन जून, 1973 में प्राप्त हुए थे और उनकी जांच की जा रही है । इन स्कीमों पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28-8-73 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था और इन्हें स्वीकार्य पाया गया ।
2.	पवाना जल-विद्युत् परियोजना	1×10	
3.	कास-जल-विद्युत् परियोजना	1×11.4	स्कीम संबंधी ब्यौरों पर परियोजना प्राधिकारियों के साथ 30-5-73 को विचार-विमर्श किया गया था और यह स्वीकार किया गया था कि परियोजना स्थल पर उपलब्ध उच्च शीर्ष का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम को एक पम्पित संचयन स्कीम के रूप में नया रूप दिया जाएगा । संशोधित स्कीम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

1	2	3	4
4.	वैतरना जल-विद्युत् चरण-दो	1×6	स्कीम संबंधी ब्यौरों पर परियोजना प्राधिकारियों के साथ 30-5-73 को विचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि इसे आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए पूंजी गत लागत को कम करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को नया रूप दिया जाएगा ।
5.	सहस्रकुंड बहुद्देश्यीय परियोजना	2×25+1×10	प्रारम्भ में महाराष्ट्र ने एक बहुद्देश्यीय परियोजना के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । बहरहाल, मंत्रालय में 30-5-1973 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस स्कीम को पूर्णतः एक जल-विद्युत् परियोजना के रूप में नया रूप दिया जाएगा । संशोधित स्कीम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।
6.	जलसिंधी जल-विद्युत् परियोजना	6×75	नर्मदा जल विवाद के अन्तर्गत नवगांव बांध के एफ० आर० एल० के संबंध में निर्णय लिए जाने तक स्कीम की जांच का कार्य स्थगित रखा गया है ।
			स्कीम के ब्यौरों के संबंध में तत्कालीन सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में 30-5-1973 को विचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्ताव की जांच का कार्य फिलहाल स्थगित रखा जाए ।

1	2	3	4
7.	परली तापीय विस्तार .	1×110	स्कीम तकनीक सलाहकार समिति की दिनांक 19-9-1974 को हुई बैठक में प्रस्तुत की गई थी परन्तु कोयले की उपलब्धता और विद्युत् केन्द्र के स्थल तक उसकी ढुलाई में कठिनाइयां होने के कारण इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया था।
8.	खापरखेड़ा विस्तार .	1×120	कोयले की उपलब्धता के संबंध में केन्द्रीय विजली प्राधिकरण द्वारा स्कीम की जांच की जा रही है।
9.	चन्दपुर ताप-विद्युत् केन्द्र .	4×200+1×500	कोयले के उत्खनन तथा शीतलन जल की उपलब्धता के संबंध में केन्द्रीय बिजली प्राधिकर द्वारा महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की सलाह से प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
10.	उमरेर ताप-विद्युत् केन्द्र .	2×200	जांच की जा रही है।
11.	नवा शेवा ताप-विद्युत् केन्द्र .	4×500	स्कीम रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

टिप्पणी : उपर्युक्त स्कीमों में से कोई भी स्कीम पांचवीं योजना के दौरान लाभ देने वाली स्कीमों में शामिल नहीं की गई है।

विवरण

महाराष्ट्र में हाल में स्वीकृत की गई परियोजनाओं को सूचित करने वाला विवरण

1	2	3	4
भंडारडारा जल-विद्युत् परियोजना .		1×35 मै० वा० +1×10	दिसम्बर, 1973 म स्वीकृत की गई।
कोराडी ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार .		3×200 मै० वा०	जून, 1973 में स्वीकृत की गई।
नासिक ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार .		1×200 मै० वा०	सिद्धांत रूप म मई, 1974 में स्वीकृत की गई।
भुसावल ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार .		1×200 मै० वा०	सिद्धांत रूप म मई, 1974 में स्वीकृत की गई।

"एक्स आन प्लानिंग पैनल स्टाफ सून" शीर्षक के अन्तर्गत छपा समाचार

6392. **श्री वसन्त साठे : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1975 के "इक्नोमिक टाइम्स" में "एक्स आन प्लानिंग पेनल स्टाफ सून" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसी क्या कार्यवाही की गई है जिससे कर्मचारियों का उपयोग आज की अपेक्षा अधिक सौद्देश्य हो।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समय-समय पर कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा की जाती है और जब आवश्यक होता है उसमें परिर्वतन किया जाता है।

नेयवेली लिग्नाइट परियोजना का विस्तार

6393. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में नेयवेली लिग्नाइट परियोजना के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार की रूपरेखा क्या है ;

(ग) विस्तार की कुल लागत क्या होगी और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा होगी ; और

(घ) क्या उर्वरक संयंत्र के (फोड स्टाक) कच्चे माल में परिवर्तन करने के लिए परियोजना के पूंजीगत आधार का भी पुनर्गठन करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : नेवेली लिग्नाइट खान की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर प्रति वर्ष 65 लाख टन लिग्नाइट अधिकतम क्षमता तक करने की योजना को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इस उत्पादन स्तर पर निगम की सभी औद्योगिक इकाइयों, अर्थात् ताप बिजली घर, उर्वरक संयंत्र तथा कोयला-ईट एवं कार्बनीकरण संयंत्र अपनी अधिकतम क्षमता पर काम करने लगेंगे। आशा है कि प्रावस्था क्रम से उपकरणों की प्राप्ति पर यह परियोजना 1980-81 तक पूरी हो जाएगी।

(ग) 1974-75 के मूल्यों के आधार पर कुल लागत 87 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें 40.25 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है।

(घ) नेवेली लिग्नाइट निगम के पूंजी-आधार को 1-4-74 से पहले ही पुनर्गठित कर दिया गया है। यह काम 39.18 करोड़ रुपये के बकाया योजनागत ऋणों को इक्विटी में बदलकर तथा 1974-75 के बीच देय गैर-योजना ऋणों को पुनर्अदायगी को 5 वर्ष के लिए स्थगित कर 1978-79 के बीच देय कर दिया गया है। किन्तु इस पूंजी आधार का पुनर्गठन का उस प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है जो नेवेली उर्वरक संयंत्र के फोड-स्टाक को लिग्नाइट से ईंधन तेल में बदलने से संबंधित है जिस पर अलग से विचार किया जा रहा है।

बड़े पैमाने पर उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई

6394. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े पैमाने पर उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किये जाने की योजना को लागू करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) सरकार ने इस उद्देश्य के लिए किन विशिष्ट वस्तुओं को ध्यान में रखा है; और

(ग) क्या योजना को चरणवार लागू किया जायेगा और यदि, हां, तो इसके कब तक चालू होने की संभावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में लगभग 2.13 लाख उचित मूल्य की दुकानें आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने तथा उसे मजबूत बनाने के बारे में राज्य सरकारों के खाद्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रियों के क्षेत्रिय सम्मेलनों में हाल में चर्चा की गई थी। सर्वसम्मत राय यह थी कि प्रारम्भ में महानगरों तथा बड़े शहरी क्षेत्रों, खानों औद्योगिक तथा बागानी क्षेत्रों के मजदूरों के रहने वाले इलाकों, पहाड़ी इलाकों और बार-बार अभाव अथवा कमी से ग्रसित होने वाले जिलों के ग्रामीण इलाकों जैसे जरूरतमंद क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं के वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

विदेशी गुप्तचर संगठनों के लिये काम करने वाली "कवर एजेंसियां"

6395. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन "कवर एजेंसियों" के नाम क्या हैं जो विदेशी गुप्तचर संगठनों के लिये काम कर रही हैं जैसा कि गत दो वर्षों में विभिन्न पत्रिकाओं और पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित होता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन एजेंसियों के संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) ऐसे संगठनों के नामों की एक सूची संलग्न है। इन संगठनों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी गुप्तचर एजेंसियों की गतिविधियों के संबंध में अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है।

विवरण

उन संगठनों के नाम जो विदेशी गुप्तचर संगठनों की कथित 'कवर एजेन्सियां' हैं।

1. डिवाइन लाइट मिशन।
2. आईओस्फेरिक रिसर्च सेन्टर, दिल्ली।
3. इन्डियन कैथलिक रिलीफ सर्विस आर्गेनाइजेशन।
4. अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफून तथा टेलीग्राफ क० (आई० टी० टी० आफ यू० एस० ए०)।
5. आनेस्टी इन्टरनेशनल।

यह सूचना 1973 के आरम्भ से प्रैस में प्रकाशित हो रही रिपोर्ट से ली गई है।

नयी दिल्ली में घरेलू उपभोग के लिये कोयले की गैस की सप्लाई

6396. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी दिल्ली में घरेलू उपयोग के लिए कोयले की गैस सप्लाई करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या इसे पहले ही व्यवहारिक रूप दिया जा रहा है और यदि हां, तो अब वह किस स्तर पर है ;

(ग) क्या पैट्रोलियम गैस की तुलना में कोयले की गैस बहुत सस्ती है; और

(घ) यदि हां, तो योजना को शीघ्रता से चालू न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) नई दिल्ली में कोयला गैस सप्लाई करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) कोयला गैस की लागत प्रत्येक संयंत्र पर भिन्न भिन्न होगी तथा कोयले की लागत, संयंत्र की पूंजीगत लागत और आकार, वितरण-व्यवस्था पर पूंजीगत व्यय, संयंत्र की परिचालन लागत आदि कई कारकों पर निर्भर होगी। अतः किसी संयंत्र से प्राप्त कोयला गैस के मूल्य की द्रव-पैट्रोलियम गैस के साथ तभी तुलना की जा सकती है जब ऐसे संयंत्र की परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाए।

(घ) किसी नगर में गैस संयंत्र लगाने के लिए विभिन्न कारणों, यथा-भारी पूंजीनिवेश की मात्रा, उत्पादन क्षेत्रों से दूरी, कोयले की उपलब्धि, ऐसे संयंत्र के दायरे के लोगों की आर्थिक स्थिति उपकरणों में पूंजी लगाने की उनकी तत्परता, पाईप लाइन आदि बिछाने में सम्बद्ध नगर को उपयुक्तता को ध्यान में रखना होता है।

Loss incurred due to Attack on Ghanoodih Colliery of Bharat Coking Coal Limited

6397. Shri Chandra Shailani : Will the **Minister of Energy** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4078 on the 19th March, 1975 regarding attack on Ghanoodih colliery of Bharat Coking Coal Ltd. and state the total amount of loss incurred on this account?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : The loss in coal production on this account is estimated to be about 1,000 tonnes.

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई सूती कपड़ा मिलों का प्रस्ताव

6398. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई अनेक सूती कपड़ा मिलें वित्तीय तथा प्रबंध संबंधी समस्याओं के कारण बंद होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रण में लेने के बाद प्रत्येक मिल का प्रबन्ध ढांचा क्या है ;

(ग) मिलों के प्रबन्ध में राज्य सरकार के कितने अधिकारी भाग ले रहें हैं, और

(घ) अन्य राज्यों में ऐसे मामले में प्रबंध का कौन सा तरीका काम में लाया जाता है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) विभिन्न बातों, जिनमें अलाभकारी क्षमता, मशीनों की खराब हालत, बिजली की कमी, समूचे उद्योग में उत्पादों की मांग में गिरावट, पर्याप्त संस्थागत वित्त की अनुपलब्धता सम्मिलित है, के कारण पश्चिम बंगाल में कुछ मिलों की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई है। उनके कार्यों में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख), (ग) तथा (घ) संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् मिलों को उनके आकार और स्थापना स्थल को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से समूहबद्ध किया गया है। और सारे देश में एक समान आधार पर प्रबन्ध के कार्यक्रम और सभान्वित ढ़ाचे का सुनिश्चय करने के लिए उन्हें नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, के क्षेत्रीय सहायक निगमों के अधीन रखा गया है इस नीति के अनुरूप, पश्चिम बंगाल में 14 राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों और पूर्व क्षेत्र में स्थित 4 अन्य मिलों को कलकत्ता स्थित एक सहायक निगम को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इनमें से कुछ मिलों के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार के चार अधिकारी इस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का कार्य कर रहे हैं।

वैज्ञानिक सहयोग के बारे में भारत-सोवियत समझौता

6399. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने 19 मार्च, 1975 को वैज्ञानिक सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या इस समझौते के अन्तर्गत दोनों देश 22 क्षेत्रों में सहयोग करने के लिये सहमत हो गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो समझौते की क्रियान्विति कब आरम्भ हो जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। किन्तु अक्तूबर, 1972 में हस्ताक्षरित अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-सोवियत समझौते के

अनुसरण में भारत और सोवियत संघ के बीच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी एक पंचवर्षीय (1975-80) कार्यकारी कार्यक्रम पर 19 मार्च, 1975 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।

(ख) इस कार्यक्रम में मुख्यत: सक्षारण अनुसंधान, मशीनरी उपकरण, मानकीकरण, ऊर्जा, मौसम विज्ञान, निर्माण प्रौद्योगिकी, यंत्रीकरण एवं नियंत्रण के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। कार्यक्रम में एमएचडी जनित्रों, मौसम विज्ञान और लाइट इन्डस्ट्री के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं की भी व्यवस्था की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) यह पहले ही आरम्भ हो चुकी है।

बम्बई में विदेशी मुद्रा भेजे जाने वाले गिरोह का पकड़ा जाना

6400. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च, 1975 के दूसरे सप्ताह में विदेशी मुद्रा के रूप में 20 लाख अमरीकी डालर भेजने वाले किसी गिरोह को पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्य क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय ने 12 मार्च, 1975 को बम्बई में एक व्यक्ति के आवासीय तथा व्यापारिक परिसर की तलाशी ली थी। और वहां से कुछ अभिशंसी प्रलेख पकड़े गये थे, जिनसे यह संकेत मिलता है कि इस व्यक्ति ने लगभग 1,40,140 अमेरीकन डालर की विदेशी मुद्रा कपटपूर्ण ढंग से विदेश भेजी थी। तदनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे चीफ मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट बम्बई के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 20 मार्च, 1975 तक पुलिस हिरासत में रखने का रिमान्ड दिया। 20 मार्च, 1975 को इस व्यक्ति को विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि निरोधक अधिनियम, 1974 के अधीन हिरासत में लिया गया था। वह अभी तक हिरासत में है।

गरीबी समाप्त करना

6401. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में गरीबी समाप्त करने में सरकार के असफल रहने के बारे में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) देश में गरीबी और बेरोजगारी के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति ने जो चिन्ता व्यक्त की है, सरकार उससे सहमत है। इन समस्याओं का समाधान विनियोजन की दर में वृद्धि करने, उत्पादन के समस्त विकास में तेजी लाने के साथ साथ कृषि और उद्योग के लिए रोजगार-उन्मुख उत्पादन कार्यानीति अपनाने और चुने हुए खाने-पीने के सामान के लिए पर्याप्त सार्वजनिक वसूली और वितरण प्रणाली स्थापित करने में है। बहरहाल, विगत तीन वर्षों में कतिपय अप्रत्याशित आन्तरिक और अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों के कारण अर्थव्यवस्था में विकास की समस्त दर में लक्ष्यों की तुलना में काफी गिरावट आ गई है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन के स्तर घट जाने के परिणामस्वरूप, वित्तीय संसाधन बड़ी मात्रा में घट गये जिससे वास्तविक विनियोजन निम्नस्तरों पर हुआ।

फिर भी, सरकार इन समस्याओं के प्रति पूर्णतः सजग है और जैसा कि पांचवीं योजना प्रारूप में बताया गया है इनके समाधान के लिए निरन्तर प्रयत्न करती रहेगी । बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि गरीबी का समाधान अल्पावधि में नहीं किया जा सकता और इसके लिए विनियोजन और उत्पादन के स्तरों में काफी वृद्धि करने के साथ साथ ऊपर उल्लिखित समुचित नीति उपाय अपनाकर काफी समय तक सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया-नगर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

6402. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रधान मंत्री** मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड डालमिया नगर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में 12 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2987 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध विशिष्ट आरोप क्या हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रसानिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) तथा (ख) मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड डालमिया नगर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत में बहुत से अरोप हैं । आरोपों के ब्यौरों को बताया जाना, चल रही जांचों के हित में नहीं होगा। जिन दो आरोपों का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की दृष्टि से प्रथम-दृष्टया सम्बन्ध है, उनकी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है। यदि इन दो आरोपों के संदर्भ में विदेशी मुद्रा विनियमों के किसी उल्लंघन का पता चलेगा तो इस मामले में जांच पड़तालों के परिणामों को देखते हुए, संबंधित कानूनों के संगत उपबन्धों के अनुसार आगे कार्रवाही की जाएगी। इस शिकायत के अधिकतर अन्य आरोपों का संबंध ऐसे मामलों से है, जिनका सम्बन्ध वाणिज्य मंत्रालय से है और उनकी जांच उसी मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

कचार तथा नवगांव स्थित कागज परियोजनाओं के लिए ईरान से सहायता

6403. **श्री राम हेडाऊ : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा कचार तथा नवगांव में आरम्भ की गई छपाई के सफेद कागज की दो परियोजनाओं के बारे में ईरान से सहायता मांगी गई थी, और

(ख) इन दो परियोजनाओं के लिये योजना आयोग द्वारा कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) मामले पर संबंधित प्राधिकारियों से विचार विमर्श चल रहा है।

Deficit Budgets of Union Territories

6404. Shri Shankerrao Savant : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Union Territories have shown deficit in their budgets this year;

(*b*) the extent of the deficit in each case; and

(*c*) what assistance, if any, is proposed to be given by the Centre to such Union Territories?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) *to* (*c*) Out of nine Union Territories, only three namely Goa, Daman and Diu, Mizoram and Pondicherry have got separate Consolidated Funds and Budgets of their own. Revenues of these U.Ts are credited to and their expenditure is met from their Consolidated Funds. Central assistance is given in the forms of Grants-in-aid and Loans to meet the expenditure in excess of their revenues. There is, therefore, no deficit in a technical sense as regards these Union Territories. Provisions for Grants-in-aid and Loans made in the Central Budget for these U.Ts in B.E. 1975-76 are as indicated below :

(Rs. in thousands)

	Grants-in-aid	Loans	Total
Goa, Daman & Diu	12,43,40	12,73,86	25,17,26
Mizoram	20,66,64	4,03,04	24,69,68
Pondicherry	5,38,65	2,54,70	7,93,35
Total :	38,48,69	19,31,60	57,80,29

The remaining six Union Territories do not have separate Consolidated Funds and Budgets of their own. The receipts and expenditure of these Union Territories form part of the receipts and expenditure of the Central Government. Hence even in the technical sense there is no question of these U.Ts. having any deficit.

टार्चों के लिए बैटरियां बनाने वाली कंपनियां

6405 श्री एन० आर० बेकारिया
श्री अरविंद एम० पटेल : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जो भारत में टार्चों के लिए बैटरियां बनाती हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितना उत्पादन हुआ, और

(ग) किन देशों को कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

टार्चों के लिए बैटरियों का उत्पादन करने वाली भारत में निम्नलिखित नौ कम्पनियां हैं :—

1. मै० यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०, कलकत्ता
   3 फैक्टरियां, (कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद)
2. मै० जीप फ्लैशलाइट एण्ड० लि०, इलाहाबाद
3. मै० एस्ट्रेला बैटरीज लि०, बम्बई
4. मै० हैवरो एण्ड लि०, बम्बई
5. मै० तोशीबा आनन्द बैटरिज, एरनाकुलम
6. मै० पंजाब आनन्द बैटरीज, चण्डीगढ़
7. मै० जैसन्स इलैक्ट्रानिक्स लि०, गाजियाबाद
8. म० इण्डो नेशनल लि०, मद्रास
9. मै० लखनपाल नेशनल लि०, बड़ौदा

उनका वर्ष 1972, 1973 और 1974 में उत्पादन क्रमश: 6370, 6310 और 6300 लाख नग वार्षिक रहा है।

निर्यात के प्रमुख देश और इन देशों को किए गए निर्यात का मूल्य निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	देश का नाम	निर्यात मूल्य (लाख रु० में)	
		1971-72	1972-73
1.	इण्डोनेशिया	3.15	—
2.	बंगलादेश	—	1.73
3.	मलेशिया	6.14	2.95
4.	थाईलैण्ड	4.80	5.00
5.	दक्षिण यमन	4.51	2.12
6.	मालावी	0.55	0.33
7.	जम्बिया	0.55	2.31
8.	सूडान	75.10	39.20
9.	यू० एस० एस० आर०	0.90	17.56
10.	जर्मन जनवादी गणराज्य	5.89	1.67
11.	साइप्रस	0.64	0.78

'आंसुका' के प्रयोग पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

6406. श्री प्रसन्नाभाई मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1975 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इन निर्णय की ओर दिलाया गया है यदि 'आंसुका' के अधीन नजरबन्द करने के अनेक कारणों में से किसी एक का सम्बन्ध नजज़रबन्दी उद्देश्य से हो तो सम्पूर्ण नज़रबन्दी आदेश दूषित हो जाता है और नज़रबन्द व्यक्ति को रिहा करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने निर्णय पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों अथवा प्राधिकारियों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : सम्भवत: यह सन्दर्भ 1974 की रिट याचिका स० 568-जतिन्द्र नाथ विस्वास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य–में 20-3-1975 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की ओर है। इस मामले में पश्चिम बंगाल में प्राधिकारियों ने लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल ढंग में काम करने से श्री जतिन्द्र नाथ विश्वास को रोकने के उद्देश्य से उसे आंसुका के अधीन नज़रबन्द किया था। न्यायालय ने कहा कि सारा आदेश विकृत कर दिया गया था क्योंकि नज़रबन्दी के बहुत से आधारों में से एक आधार का सम्बन्ध 'लोक व्यवस्था' में गड़बड़ी करने से नहीं था, बल्कि "विधि व व्यवस्था" से सम्बन्धित था और इसलिए नज़रबन्दी के उद्देश्य से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। तदनुसार न्यायालय ने नजरबन्द व्यक्ति की रिहाई के आदेश दिये।

(ग) से (ङ) : निर्णय की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके मार्गदर्शन और नज़रबन्द करने वाले प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए भेजी जा रही है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को प्रदान की गई सुरक्षा

6407. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायधीश और अन्य न्यायाधीशों को उचित सुरक्षा प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए सरकारें/प्रशासन उनकी सुरक्षा को विशिष्ट खतरों को ध्यान में रख कर आवश्यक प्रबन्ध करते हैं।

Memorandum by Members of Adivasi Meena Samaj, Delhi

6408. Shri Lalji Bhai : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether a memorandum was given to the President recently on behalf of the members of Adivasi Meena Samaj residing in Delhi requesting for providing similar facilities as are provided

to the tribal people in Rajasthan for schools, colleges, libraries, handicraft centres and other kinds of grants for them; and

(*b*) if so, the steps proposed to be taken by Government for the welfare of this Samaj ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

अवर सचिवों और इससे ऊंचे पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश किये गये अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रेणी एक के सेवा अधिकारी

6409. **श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों ने वर्ष 1974 म अवर सचिव,उप-सचिव, निदेशक, सयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव के पद पर नियुक्त करने के लिए केन्द्रीय सेवा श्रेणी एक के कितने अधिकारियों की सिफारिश की थी और कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों के पदों के लिये तालिका में वास्तव में कितने अधिकारी रखे गये ; और

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के केन्द्रीय सेवा के श्रेणी एक के कितने अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के मानदण्ड पर पूरे उतरते थे और उपरोक्त भाग (क) में कितने अधिकारी सम्मिलित किये गये और वे मंत्रालयवार/विभागवार कुल संख्या के कितने प्रतिशत हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा **(ख)** : सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

महाराष्ट्र में बुलडाना, चिखली और मेहकर स्थित टेलीफोन एक्सचेंजो का कार्यकरण

6410. **श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के बुलाडाना जिले में बुलडना, चिखली और मेहकर स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां । बुलडाना, चिखली और मेहकर स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) ट्रंक सेवाओं में सुधार लाने के लिए जो उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) चिखली और खामगांव तथा चिखली और अकोला के बीच अतिरिक्त सर्किटों की व्यवस्था करना ।

(ii) मेहकर और चिखली के बीच अतिरिक्त सर्किटों की व्यवस्था करना ।

(iii) बुलडाना और मल्कापुर तथा मल्कापुर और अकोला के बीच सर्किटों की संख्या में वृद्धि करके बुलडाना से अकोला के यातायात को चिखली के बजाय मल्कापुर के मार्ग से भेजना ।

फिल्मों के निर्माण के लिये सोवियत संघ से समझौता

6411. **श्री के० मालन्ना :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से फिल्मों के निर्माण सम्बन्धी कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ये फिल्में किस प्रकार की होंगी और किन क्षेत्रों से सम्बन्धित होंगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग): जी, नहीं। तथापि, पिछले वर्ष के दौरान, चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी, बम्बई और सोविन-फिल्म, मास्को के बीच मास्को में "रिक्की-टिक्की-टवी" नामक एक बाल फीचर फिल्म संयुक्त रूप से बनाने हेतु एक करार हुआ था। इसी फिल्म के वितरण के लिये सोसाइटी ने सोवेक्सपोर्ट फिल्म मास्को से भी एक करार किया था।

सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व

6412. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी सेवाओं में मुसलमान अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रखने की नीति पर विचार कर रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : संविधान के अनुच्छेद 16(1) में राज्य के अधीन रोजगार अथवा किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की व्यवस्था है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था केवल संविधान के अनुछेद 16 (4) के अधीन ही की गई है।

सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदाय, जिनमें मुसलमान भी सम्मिलित हैं, के बेहतर प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर मई, 1968 में हुए मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा यह बताया गया था कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिये सेवा में आरक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है। आवश्यकता यह देखने की है कि कुछ समुदायों के प्रति कोई भी पक्षपात न किया जाए और यह कि अल्पसंख्यक जातियों के सदस्यों को उचित अवसर दिये जाएं। केन्द्रीय सरकार इसी नीति का अनुसरण कर रही है।

वर्ष 1974-75 में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी :

6413. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **गृह** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भारी संख्या में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) वर्ष 1974-75 में कुल कितने पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये, किन क्षेत्रों में गिरफ्तार किये गये और प्रत्येक स्थान से कितने-कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ग) उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में ऐहतियाती तौर पर क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री श्री (एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-1974 से 31-3-1975 की अवधि में आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल राज्यों तथा अन्दमान व निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चन्डीगढ़, दादरा व नगर हवेली, गोवा, दमण व दीव, लक्षद्वीव तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में कोई पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार नहीं किया गया है। 1974 के दौरान एक पाकिस्तानी जासूस हरियाणा में तथा एक दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। दोनों को न्यायालयों द्वारा सजा दी गई थी। शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना आनी है। अत्यन्त सतर्कता बरती जा रही है।

मोटर गाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों के निर्माण के लिए लाइसेंस

6414. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री :** यह बतने की कृपा करेंग कि :

(क) गत तीन वर्षों में मोटरगाड़ियों के टायरों और ट्यूबों के निर्माण के लिए किन पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस दिए गए और उन लाइसेंसों की क्षमता क्या है ;

(ख) क्या उनमें से कोई पार्टी एकाधिकार निर्बिन्धा व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं और यदि हां, तो उससे संबंधित विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ पार्टियों को दिए गए लाइसेंसों में से कुछ अन्य पार्टियों को दे दिये गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाही की गई है अथवा की जानी है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) गत तीन वर्षों (1972 से 1974 तक) में मोटरगाड़ी के टायरों और ट्यूबों का निर्माण करने के लिए जिन पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं उनके नाम और उनकी क्षमता निम्न प्रकार है :—

पार्टी का नाम	वार्षिक क्षमता (संख्या) (मोटरगाड़ी के टायर और ट्यूब)	
1. मोदी रबर लिमिटेड, मोदी नगर . .	4,00,000	प्रत्येक
2. मै० मद्रास रबर फैक्ट्री लि०, गोवा	4,00,000	प्रत्येक
3. जयस्वी टायर्स लि०, हैदराबाद . .	1,80,000	स्कूटर टायर
	2,70,000	स्कूटर ट्यूब
4. मै० प्रीमियर टायर्स लि०, बंबई .	3,00,000	प्रत्येक
5. मै० विक्रांत टायर्स लि०, मैसूर.	4,00,000	प्रत्येक
6. मै० जे० के० एण्ड० प्रा० लि०, कलकत्ता	4,00,000	प्रत्येक
7. मै० तमिलनाडु रबर लि०, मद्रास . .	4,00,000	प्रत्येक

ये लाइसेंस उन्हें पहले जारी किए गये आशयपत्रों को परिवर्तित करके जारी किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त 7 पार्टियों में से मै० मोदी रबर लि० और मै० जे० के० इण्डस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड, एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। उन्हें दिए गये लाइसेंसों का ब्यौरा निम्नलिखित है: —

पार्टी का नाम	लाइसेंस जारी करने की तिथि	लाइसेंस का प्रकार	स्थापना स्थान
1. मै० मोदी रबर लि०	4-3-1972	नया उपक्रम	जिला मेरठ उ० प्र०
2. मै० जे०के० एण्ड० प्रा० लि० कलकत्ता	25-2-1974	नया उपक्रम	जिला उदयपुर राजस्थान।

टिप्पणी :—इनकी क्षमता भाग (क) के उत्तर में बताई जा चुकी है।

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड को दिये गये ऋण का चुकाया जाना

6415. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड को किस प्रयोजन के लिये ऋण दिया गया था ;

(ख) क्या उक्त समिति को अब ऋण चुकाने के लिये कहा गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या जिस प्रयोजन के लिये ऋण दिया गया था, वह सिद्ध हो गया है, यदि नहीं तो समिति को ऋण चुकाने के लिये कहने का क्या औचित्य है; और

(घ) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी और ऋण को सहायता के रूप में बदल देगी ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) समिति को ऋण इसलिए दिया गया था कि उसके पास अपना कारोबार चलाने के लिए आरम्भिक स्टेज पर पर्याप्त पूंजी हो सके।

(ख) तथा (ग) : समिति को वर्ष 1963-64 तथा वर्ष 1964-65 में 30 लाख रुपये का अग्रिमधन ऋण के रूप में किश्तों में दिया गया था। इन ऋणों की पूरी अदायगी इनके प्राप्त होने के पांच वर्ष के भीतर की जानी थी। पन्रतु इस अवधि में समिति केवल 6 लाख रुपये ही चुका सकी। समिति की वित्तीय हालत असंतोषजनक होने के कारण ऋणों

की अदायगी को समिति के अनुरोध पर वर्ष 1966 से वर्ष-प्रतिवर्ष किया जाना निश्चित किया गया है। सम्पूर्ण ऋणों को पूरी धनराशि वर्ष 1974-75 के दौरान अन्तिम रूप से चुकाई जानी थी।

जिस उद्देश्य के लिए समिति को ऋण दिया गया था वह पूरा हो गया है। समिति ने वर्ष 1971-72 के आगे के वर्षों से लाभ कमाना आरम्भ कर दिया है। वर्ष 1973-74 के दौरान समिति को 8.63 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। समिति की वित्तीय हालत में काफी सुधार हुआ है और सरकार ने समिति को वर्ष 1974-75 से ऋण की 2 लाख रुपये की वार्षिक किश्तों में चुकाने को कहा है।

(घ) सरकार का ऋण की सहायता के रूप में बदलने का कोई विचार नहीं है।

मध्य प्रदेश में जमूल सीमेंट फैक्ट्री पर प्रतिबंध

6416. **श्री गगां चरण दीक्षित :**
श्री राम सहाय पांडे : } क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट नियंत्रक ने वर्ष 1973 और 1974 मं जमूल सीमेंट फैक्टरी, मध्य प्रदेश, पर इस आशय के कोई प्रतिबन्ध लगाये थे कि मध्य प्रदेश में किसी भी 'पार्टी' को रेल द्वारा सीमेंट नहीं भेजा जाना चाहिए

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण थे, और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को सड़क मार्ग से सीमेंट मिलता है जो अन्य राज्यों की तुलना में लगभग 8 रु० प्रति बोरी मंहगा पड़ता है, जहां वह रेल से भेजा जाता है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : सीमेंट के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश अपनी खपत से अधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला राज्य है। राज्य में उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता 30.00 लाख मी० टन प्रतिवर्ष से भी अधिक है, जबकि "राज्य कोटा" के अन्तर्गत इसे वार्षिक आवंटन 5.00 लाख मी० टन से कम किया जाता है। जमूल कारखाने में ही 10.8 लाख मी० टन प्रतिवर्ष उत्पादन होता है, अतः राज्य में उत्पादित सीमेंट का पर्याप्त अंश अन्य राज्यों को भेजना पड़ता है। उपलब्ध रेल परिवहन सुविधायें सबसे पहले अधिक दूरी वाले राज्यों को सीमेंट भेजने में काम में लाई जाती हैं किन्तु जब माल डिब्बों की आपूर्ति सुलभ होती है जैसा कि पिछले दो महीनों में रहा है तो राज्य के अन्दर रेल से भी सीमेंट भेजा जाता है ;

(ग) सड़क सीमेंट भेजने का खुदरा मूल्य पर ठीक-ठीक क्या प्रभाव पड़ता है इसका राज्य सरकार से पता लगाया जा रहा है। फिर भी, इसे कम करने की दृष्टि से 100 किलोमीटर और तीन सौ किलोमीटर के बीच की दूरी में सड़क से सीमेंट भेजने के मामले में विद्यमान रेल भाड़े के अनुरूप 125 प्रतिशत के बराबर तथा 300 कीलोमिटर से अधिक की दूरी के लिए 150 प्रतिशत तक सीमेंट विनियमन लेखे से भाड़े में छूट दी जा रही है।

दिल्ली पुलिस में इन्सपेक्टरों की पदोन्नति

6417. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 12 इन्सपेक्टरों की तदर्थ आधार पर पुलिस डिप्टी सुपरिन्टैन्डेन्ट के रूप में पदोन्नति करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय विभागीय पदोन्नति समिति के निदेश के बिना किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(**ख**) **और** (**ग**) : प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी से प्रत्येक भाषा में प्रतिदिन कार्यक्रम प्रसारण के लिये निर्धारित समय

6418. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी से प्रत्येक भाषा में, विशेषकर अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दु, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलगु, उड़िया, आसामी, मलयालम और बंगाली में प्रति दिन कार्यक्रम प्रसारण के लिये कुल कितना समय निर्धारित है ;

(ख) संगीत कार्यक्रमों, समाचारों और अन्य कार्यक्रमों के प्रसारणों के लिये क्रमशः कितना-कितना समय दिया जाता है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक भाषा में कार्यक्रम के प्रसारण पर, वर्षवार, कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले आकाशवाणी के 42 केन्द्रों से उनकी प्राथमिकता सेवाओं के अन्तर्गत निर्दिष्ट भाषाओं में प्रसारित मूल कार्यक्रमों की औसतन कुल दैनिक अवधि परिशिष्ट-एक में दी गई है।

(ख) संगीत, समाचार और अन्य कार्यक्रमों को दिए जाते वाली क्रमशः अवधि परिशिष्ट-दो में दी गई है ।

(ग) चूंकि आकाशवाणी द्वारा किये जाने वाले व्यय का ब्यौरा भाषा-वार नहीं रखा जाता, अतः यह सूचना देना संभव नहीं होगा।

विवरण

क्रम सं०	भाषा	दैनिक अवधि घंटे	मिनट
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अंग्रेजी	24	29
2.	हिन्दी	116	15

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	उर्दू	19	09
4.	मराठी	12	02
5.	गुजराती	14	46
6.	तमिल	18	00
7.	तेलुगु	20	00
8.	उड़िया .	6	12
9.	असमिया . . .	9	08
10.	मलयालम	10	15
11.	बंगला	28	02

विवरण

	संगीत		समाचार		अन्य	
भाषा	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट
अंग्रेजी . .	9	00	2	13	13	16
हिन्दी . . .	62	22	3	00	50	53
उर्दू . . .	9.	17	1	45	8	07
मराठी . .	5	50	1	28	4	44
गुजराती . .	6	01	0	50	7	55
तमिल . . .	5	31	1	18	11	11
तेलुगु . . .	7	39	1	00	11	21
उड़िया . . .	1	45	1	10	3	17
असमिया . . .	4	51	0	45	3	32
मलयालम . . .	3	34	1	10	5	31
बंगला . . .	17	34	2	15	8	13

सोवियत संघ द्वारा अन्तरिक्ष से एक कृत्रिम सूर्य छोड़ने की योजना

6419. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मास्को सांइटिफिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ स्ट्रक्चरल फिज़िक्स की लेनिनग्राड में आदर्श जीवन व्यतीत करने की स्थिति बनाये रखने के लिए गत वर्ष के अन्त में अन्तरिक्ष से एक कृत्रिम सूर्य छोड़ने की योजना थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्रिया को देखने के लिए हमारे ऊर्जा वैज्ञानिकों में से कोई उपस्थित था ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

सूर्य की किरणों पर निर्भरता के परीक्षण के लिए चलती-फिरती प्रयोगशाला

6420. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी सरकार की एजेंसियों और एक औद्योगिक फर्म भवनों को गर्म तथा ठंडा करने के मामले में सूर्य की किरणों की शक्ति और निर्भरता के बारे में परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से चलती-फिरती एक प्रयोगशाला पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे परमाणु वैज्ञानिक एक वैकल्पिक खत्म न होने वाले ऊर्जा संसाधनों का पता लगाने में लगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ऊर्जा के प्रमुख नवीकरणीय स्रोत जल, सूर्य और भू-तापीय ऊर्जा, वायु तथा ज्वारीय शक्ति हैं। जबकि जलीय संसाधनों का जल-विद्युत् शक्ति के उत्पादन के लिए पहले ही समुपयोजन किया जा रहा है, अन्य नवीकरणीय स्रोतों का विकास करने के लिए भी अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयत्न किये जा रहे हैं। अभी तक इन स्रोतों का वाणिज्यिक समुपयोजन संभव नहीं हो सका है।

विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा निर्मित राकेट मोटर चेम्बर बनाने की मशीन

6421. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने एक मशीन बनाई है जो राकेट मोटर चेम्बर बना सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मशीन राकेटों के अतिरिक्त औद्योगिक प्रयोजनों के लिए ट्यूबें भी बना सकती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसका उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर करने पर विचार करेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

6422. **श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1975 के इंडियन एक्सप्रस में 'रीजनल टंग्स नाट पापुलर फार आई० ए० एस० एक्जामिनेशन्स' शीर्षक के अन्तर्गत छपे, समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणी के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) : यह समाचार वर्ष 1972-73 की संघ लोक सेवा आयोग की तेईसवीं रिपोर्ट में छपी सामग्री पर आधारित है। आयोग ने सामान्य ज्ञान तथा निबन्ध के प्रश्न पत्रों के लिए भारतीय भाषाओं के माध्यम का प्रयोग करने वाले और इन भाषाओं को ऐच्छिक विषयों के रूप में अपनाने वाले उम्मीदवारों को प्रतिशतता में कमी के कारण, भारतीय भाषाओं के विकास में प्रगति का अभाव और उनका स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने का अभाव बताये हैं। आयोग की तेईसवीं रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग में विकास का पता लगाने और कला तथा विज्ञान के विषयों में ऐच्छिक विषयों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का माध्यम के रूप में प्रयोग करने के सबंध में आरम्भिक कार्य हाथ लेने के लिए एक अनुसंधान एकक की स्थापना की गई है। आयोग यह भी पड़ताल कर रहा है कि क्या वर्तमान डिसिपिलिन ओरियेंटेड स्कीम में कोई परिवर्तन किये जाने से क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने में सहायता मिल सकती है। भर्ती की कार्यविधि तथा चयन पद्धति के सम्बन्ध में डाक्टर डी०एस० कोठारी की अध्यक्षता में हाल ही में गठित समिति को भेजे गए विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ "अंग्रेजी के साथ साथ संविधान को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं को भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग करने के बारे में सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव" देना भी सम्मलित है।

विदेशी मुद्रा पर रोक

6423. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री सरजू पाण्डे } : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों के माध्यम से देश के राष्ट्रीय जीवन में विदेशी **मुद्रा** के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार को पता है कि विदेशी सरकारें विज्ञापनों के माध्यम से अथवा दूतावास-पत्रिकाओं को छापने के लिए बढ़ी-चढ़ी दरों पर भुगतान करके भारत में समाचारपत्रों को संसाधन प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) हमारी संसदीय संस्थाओं, राजनैतिक संघों, शैक्षणिक तथा अन्य स्वयं-सेवी संगठनों साथ ही राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक सर्वसत्ता सम्पन्न गणतंत्रात्मक लोक तंत्र के मूल्यों के अनुरूप व्यक्तियों का कार्य करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से विदेशों से आने वाले धन का (विनियम) विधेयक 24 दिसम्बर, 1973 को राज्य सभा में प्रारम्भ किया गया था। अब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास है। इसमें विदेशों से धन प्राप्त करने तथा विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने तथा उसके प्रयोग को नियमित करने की व्यवस्था है।

केंद्र-राज्य सम्बन्ध

6424. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है;

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कौनसी सिफारिशें कीं तथा किस हद तक वे उसके विचारों से सहमत हैं;

(ग) क्या वर्तमान उपबन्ध केन्द्र तथा राज्य के बीच पैदा होने वाली किसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए अथवा किसी समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ङ) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध पर प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन 8-8-1969 को सदन के पटल पर रख दिया गया था। प्रतिवेदन की सिफारिश सं० 2 और 21 पर सरकार के निर्णय 20-12-1972 को सदन में रख दिये गए थे। सिफारिश सं० 1, 3-11, 13-15, 18-20 और 22 पर सरकार के निर्णयों का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9450/75] सिफारिश सं० 12, 16 और 17 सरकार के विचाराधीन है।

सी० आई० ए० द्वारा भारतीयों को आसूचना संबंधी प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में प्रेस समाचार

6425. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**
श्री राम सहाय पांडे } **: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1974 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "सी० आई० ए० ने भारतीयों को आसूचना सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया" (सी० आई० ए० कोच्ड इंडियन्स आन इनटेलीजेन्स) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे प्रशिक्षण पाने वाले हमारे आसूचना-व्यक्तियों में से सी० आई० ए० एजेन्ट बहुत अन्दर तक पैठे हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो सी० आई० ए० द्वारा हमारे लोगों को यह प्रशिक्षण कब दिया गया था; और

(घ) क्या प्रशिक्षण पाने के लिए हमारे व्यक्तियों को अमरीका भेजा गया था ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) सरकार ने सम्बद्ध समाचार देखा है। उसमें लगाए गए आरोप ठीक नहीं हैं।

भारत में दैनिक समाचारपत्रों की संख्या और उनकी बिक्री

6426. **श्री बालकृष्ण वेंनकन्ना नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में दैनिक समाचारपत्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनकी कुल कितनी बिक्री होती है; और

(ग) सबसे अधिक बिकने वाले पहले दस समाचारपत्रों की बिक्री कितनी होती है तथा उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1973 को भारत में दैनिक समाचारपत्रों की कुल संख्या 830 थी। इसमें से, फिलहाल केवल 610 समाचारपत्रों की खपत संख्या उपलब्ध है और 31-12-73 को उनकी खतप संख्या 94 लाख 36 हजार थी।

(ग) 31 दिसम्बर, 1973 को सबसे बड़े 10 दैनिक समाचारपत्रों की खतप संख्या इस प्रकार थी :—

1. आनन्द बाजार पत्रिका, बंगला, कलकत्ता . .	3,01,717
2. मलयालम मनोरमा, मलयालम दैनिक, कोट्टायम .	2,07,045
3. जुगांतर, बंगला दैनिक, कलकत्ता . .	1,90,110
4. नव भारत टाइम्स, हिन्दी दैनिक, दिल्ली . .	1,85,357
5. टाइम्स आफ इंडिया, अंग्रेजी, दैनिक, बम्बई . .	1,76,895
6. हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक, दिल्ली	1,56,829
7. हिन्दुस्तान टाइम्स, अंग्रेजी दैनिक, दिल्ली .	1,53,075
8. स्टेट्समैन, अंग्रेजी दैनिक, कलकत्ता . .	1,52,931
9. मातृभूमि, मलयालम दैनिक, एर्नाकुलम . .	1,50,201
10. लोकसत्ता, मराठी दैनिक, बम्बई . .	1,45,620

हरियाणा में डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र खोलना

6428. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा डाकघरों/टलीफोन एक्सचेंजों तथा सार्वजनिक टलीफोन केन्द्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 में राज्य के विभिन्न भागों में खोले जाने वाले नये डाकघरों/टलीफोन एक्सचेंजों/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) हरियाणा राज्य में अखिल भारतीय औसत की तुलना में एक डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन घर से सेवा पाने वाली औसत आबादी और क्षेत्र इस प्रकार हैं :—

	हरियाणा	अखिल भारतीय औसत
(i) सेवा पाने वाली आबादी		
(क) प्रति डाकघर . . .	4,696	4,687
(ख) प्रति टलीफोन एक्सचेंच .	107,665	115,716
(ग) प्रति सार्वजनिक टेलीफोन घर	83,093	106,927
(ii) सेवा पाने वाला क्षेत्र		
(क) प्रति डाकघर	20,80 वर्ग किलोमीटर	27,37 वर्ग किलोमीटर
(ख) प्रति लीटेफोन एक्सजेंच	467 वर्ग किलोमीटर	1789 वर्ग किलोमीटर
(ग) प्रति सार्वजनिक टेलीफोन घर	369 वर्ग कलोमीटर	1396 वर्ग किलोमीटर

(ख) (i) **डाकघर**

साधनों के उपलब्ध होने और डाकघरों को खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार औचित्य सिद्ध होने पर नये डाक घर खोले जाएंग –

(ii) **टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन घर**

साधनों के उपलब्ध होने पर हरियाणा राज्य में 1975 के दौरान करीब 10 टेलीफोन एक्सचेंज और करीब 20 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है।

मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड को रोड रोलरों के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिया जाना

6429. **श्री मधु लिमये : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड को रोड रोलरों को एसेम्बल करने/निर्माण करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रोड रोलरों का कोई परीक्षण किया गया था तथा क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा एजेन्सी ने सार्टिफिकेट जारी किया था;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मारुति फैक्ट्री में अब तक कितने रोड रोलरों को एसेम्बल/निर्माण किया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ङ) चूंकि भारत सरकार ने रोड रोलरों का निर्माण करने के लिए उपर्युक्त कम्पनी को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया है इसलिए पूछे गए प्रश्न के बारे में भारत सरकार को कोई भी जानकारी नहीं है ।

औद्योगिकरण के लिये तमिलनाडु को लाइसेंस अधिकार

6431. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू सरकार ने राज्य के तीव्र औद्योगीकरण के लिए लाइसेंस अधिकार मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था ।

पांचवीं योजना में दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड के छठे एकक का निर्माण

6432. **श्री रानेन सेन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड के छठे एकक का निर्माण कार्य पांचवी योजना में शामिल करने के बारे में योजना आयोग से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) दुर्गापुर परियोजना बिजलीघर में 110 मेगावाट सेट स्थापित करने के लिए योजना आयोग के अनुमोदन के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया है । परियोजना की अनुमति लागत 31,52 करोड़ रुपये की है । समान पूंजी (ईक्विटी कैपीटल) के रूप में राज्य की योजना प्रारूप में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और बाकी राशि की व्यवस्था राज्य सरकार की वित्तीय संस्थानों से करनी है । इस परियोजना के लिए ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता के अभाव में, योजना आयोग ने राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वियन के लिए इस स्कीम को अभी तक अनुमोदित नहीं किया है ।

Production and Exhibition of Films by Film Finance Corporation

6433. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) whether the Film Finance Corporation itself has started production as well as exhibition of good films, and if so, the names of the places; and

(*b*) the expenditure incurred thereon so far and the total turnover thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Vir Sinha) : (*a*) The Film Finance Corporation have not yet started production of films. They have, however, started exhibition of films on a regular basis at the Akashvani Cinema, Bombay. Exhibition of films was also arranged at Maharashtra Rangayan Auditoruim, Delhi, during February-May, 1974.

(*b*) The revenue and expenditure of account of exhibition of films at Bombay and New Delhi were as below :

	Revenue	Expenditure
	Rs.	Rs.
Bombay : (72-73 to 74-75)	14,26,650	14,40,686
Delhi	7,568	85,345

Investigations into Attack on Chief Justice of India

6434. **Shri M. C. Daga**
Shri Madhu Dandavate
Sardar Swaran Singh Sokhi
Shri Bishwanath Jhunjhunwala : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether the culprit who attempted on the life of the Chief Justice of India on the 20th March, 1975 in Delhi has since been traced and if so, who was he and why did he do so;

(*b*) whether any other person was also involved in it and if so, his particulars and the action taken against him;

(*c*) whether the case has been handed over to CBI; if so when; and

(*d*) wheber the grenades found in the case are of Indian or foreign origin ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) No, Sir.

(*b*) The investigation is in progress. The particulars of person/persons involved have not been found.

(*c*) No, Sir.

(*d*) The grenades found are of Indian origin.

छोटे पैमाने के उद्योगों का केन्द्रीयकरण

6435. **श्री विजयपाल सिंह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों का केन्द्रीयकरण अधिक है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : कुल पंजीकृत लघु एककों में से लगभग 79 प्रतिशत एकक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और दिल्ली में स्थित हैं । ब्यौरा निम्नप्रकार है :—

(प्रगामी योग 1973 के अन्त तक)

क्रम० सं०	राज्य	पंजीकृत एककों की संख्या	केन्द्रीयकरण की प्रतिशत
1.	पश्चिम बंगाल	42993	10.51
2.	उत्तर प्रदेश	41203	10.07
3.	तमिलनाडु	40218	9.83
4.	आंध्र प्रदेश	40114	9.80
5.	महाराष्ट्र	35762	8.74
6.	पंजाब	35658	8.71
7.	मध्य प्रदेश	29375	7.18
8.	बिहार	24919	6.09
9.	गुजरात	22789	5.56
10.	दिल्ली	12115	3.00
	कुल योग :— (अन्य राज्यों सहित)	409239	100.00

Retirement of I.C.S. Officers

6436. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the **Prime Minister** be pleased to state the names of I.C.S. officers at present and their dates of retirement ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personnel and A.R. and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : A statement is attahced.

Statement

S. No.	Name of the officer	Cadre to which the officer belongs	Date of retirement	Remarks
	S/Shri			
1.	N.K. Rustomji	Assam-Meghalaya	15-5-1977 (AN)	
2.	D.R. Kohli	Do.	6-6-1977 (AN)	
3.	K. Balachandran	Do.	17-12-1976 (AN)	
4.	R.B. Vaghaiwalla	Do.	23-1-1977 (AN)	
5.	S.K. Mallick	Do.	28-2-1977 (AN)	
6.	B.D. Pande	Bihar	16-3-1975 (AN)	Given extension of service up to the end of the Budget Session of Parliament.
7.	H.C. Sarin	Do.	31-3-1973 (AN)	Given extension of service till the President's rule in Gujarat is over.
8.	P. P. Aggarwal	Do.	29-11-1975 (AN)	
9.	T.P. Singh	Do.	20-1-1976 (AN)	
10.	J.C. Mathur	Do.	15-7-1975 (AN)	
11.	V.M.M. Nair	Do.	7-10-1977 (AN)	
12.	L.R. Dalal	Gujarat	16-2-1976 (AN)	
13.	Kewal Singh	Haryana	31-5-1973 (AN)	Given extension for two years.
14.	S. Vohra	Do.	14-6-1976 (AN)	
15.	N.K. Mukarji	Do.	8-1-1979 (AN)	
16.	M. Gopala Menon	Kerala	25-12-1977 (AN)	
17.	R.P. Naik	Madhya Pradesh	19-12-1978 (AN)	
18.	A.S. Naik	Maharashtra	18-5-1975 (AN)	
19.	D.D. Sathe	Do.	22-9-1976 (AN)	
20.	M.G. Pimputkar	Do.	1-1-1977 (AN)	
21.	Govind Narain	Uttar Pradesh	4-5-1975 (AN)	
22.	B.P. Bagchi	Do.	1-7-1975 (AN)	
23.	B.D. Sanwal	Do.	24-3-1975 (AN)	Given extension of service until further orders.
24.	B.B. Lal	Do.	29-1-1975 (AN)	Given extension of service for 2 years.
25.	M.A. Quaraishi	Do.	23-7-1975 (AN)	
26.	M.G. Kaul	Do.	15-1-1979 (AN)	
27.	Virendra Kumar	Do.	29-4-1978 (AN)	
28.	H.N. Ray	West Bengal	5-12-1976 (AN)	
29.	N.C. Sen Gupta	Do.	6-7-1976 (AN)	
30.	M.M. Sen	Do.	13-12-1977 (AN)	

तुलु भाषा को प्रोत्साहन

6437. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या तुलु भाषा कर्नाटक में दक्षिण कनारा जिले के दक्षिणी भागों और केरल में कासनगोडे के उत्तरी भागों में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है; और

(ख) सरकार ने तुलु भाषा को तथा तुलु भाषा भाषियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण पद्धति के संबंध में पंजाब द्वारा मांगी गई सहायता

6438. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण पद्धति को बेहतर बनाने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार को गम्भीर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी सहायता के लिए पंजाब सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने इस सम्बन्ध में कोई सहायता या कोई अनुदेश दिये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) आवश्यक वस्तुओं का वितरण बढ़ाने के बारे में नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग द्वारा 20 दिसम्बर, 1974 को नई दिल्ली में आयोजित उत्तरी क्षेत्र के खाद्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ने ग्रामीण इलाकों में वितरण प्रणाली लागू करने, चीनी की खुली बिक्री समाप्त करने, वनस्पति पर से मूल्य नियंत्रण हटाने, ग्रामीण इलाकों में डीजल की सप्लाई करने के लिए उपयोगी पम्प और खोलने, आवश्यक भेषजों पर वितरण नियंत्रण करने और कोयले के आवंटन में वृद्धि करने का सुझाव दिया था। उत्तरी और अन्य क्षेत्रों में हुए सम्मेलनों की सर्वसम्मत राय के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि जरूरतमंद इलाकों, जिनमें बार-बार अभाव अथवा कमी से प्रभावित होने वाले जिलों के पहाड़ी तथा ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं, में बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं के वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जनता के कमजोर वर्गों के हित में यह निर्णय किया गया है कि चीनी की लेवी प्रणाली, जिसके अनुसार चीनी उत्पादन का 65 प्रतिशत भाग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत मूल्य पर वितरण हेतु आवंटित किया जाता है, को जारी रखा जाए। वनस्पति पर से मूल्य नियंत्रण हटा दिया गया है और बाजार में वनस्पति की उपलब्धता बढ़ गई है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे उपयोगी पम्पों की अतिरिक्त संख्या सूचित करे जो उन इलाकों में खोले जाने हैं जहां ऐसे पम्प नहीं हैं। आवश्यक भेषजों के बारे में निर्णय पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। साफ्ट कोक के बारे में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह वर्ष भर की अपनी आवश्यकता सूचित करे, ताकि आवश्यकता के अनुसार आवंटन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

पंजाब के लिये 1975-76 की योजना के लिये निधि का उपबन्ध

6439. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान पंजाब को कितनी निधि देने का है; और

(ख) इन निधियों को किन विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्ष 1975-76 में 163.30 करोड़ रुपये के अनुमोदित योजना परिव्यय के लिए धन उपलब्ध करने के लिए पंजाब सरकार को 20.64 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है। राज्यों को योजना के लिए केन्द्रीय सहायता समेकित अनुदान/ऋण के रूप में पृथक्-पृथक् परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए न देकर समस्त वार्षिक योजना के लिए दी जाती है।

पंजाब में उद्योगों को बिजली की सप्लाई

6440. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब को विशेषकर गत तिमाही में उद्योगों को चलाने के लिए पूरी बिजली मिलती रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उन उद्योगों की संख्या कितनी है जिनको बिजली की कमी के कारण पूरी क्षमता से नहीं चलाया जा सका और राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पंजाब में उपलब्ध ऊर्जा की अपेक्षा उसकी मांग के बढ़ जाने के कारण उद्योगों सहित, उपभोक्ताओं पर कुछ विद्युत् कटौतियां लागू की गई हैं। बहरहाल, उन उद्योगों की सख्या का निर्धारण करना संभव नहीं है, जो केवल विद्युत् की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सके, क्योंकि इसमें कई अन्य कारण भी निहित हैं। पंजाब की मदद करने के उद्देश्य से बदरपुर ताप-विद्युत् केन्द्र से यथा-संभव सीमा तक राहत की व्यवस्था की जा रही है। गुरु नानक ताप-विद्युत् केन्द्र पर दूसरे यूनिट को शीघ्रतापूर्वक चालू करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना--चम्बल प्रणाली के भाखड़ा प्रणाली के साथ एकीकृत प्रचालन द्वारा राणाप्रताप परमाणु विद्युत् केन्द्र से विद्युत् की सप्लाई करने के भी उपाय किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय स्तर पर फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना

6441. **श्री शक्ति कुमार सरकार**
श्री शंकर नारायण सिंह देव } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म क्षेत्र के विख्यात व्यक्तियों को लेकर केन्द्रीय स्तर पर एक फिल्म सलाहकार बोर्ड स्थापित करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मूल रूप-रेखा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का फिल्म समारोह

6442. **श्री शक्ति कुमार सरकार**
श्री टुना उराव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य फिल्म समारोह हाल ही में हुआ था;

(ख) क्या इस समारोह के लिए कोई उचित प्रचार नहीं किया गया; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में इन फिल्मों को दिखाने के बारे में कोई प्रवन्ध नहीं किये गये, जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में फिल्म समारोहों का आयोजन किया गया; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में फिल्म समारोहों का आयोजन क्यों नहीं किया जाता?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। यह मार्च, 1975 में दिल्ली में हुआ था।

(ख) समाचारपत्रों, रेडियो तथा अन्य माध्यमों के माध्यम से उचित प्रचार किया गया था।

(ग) तथा (घ) फिल्म समारोहों का आयोजन सीमित संख्या में नगरों में ही किया जा सकता है। जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की फिल्मों के समारोह के लिए दिल्ली, अमृत-सर, कलकत्ता, नागपुर, बम्बई तथा हैदराबाद शहर चुने गये थे। यह कहना सही नहीं है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई समारोह आयोजित नहीं किया जाता। 1974 के दौरान कनाडा तथा बंगलादेश की फिल्मों के समारोह गोहाटी में आयोजित किए गए थे।

अगरतला में टेलीफोनों का काम करना

6443. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला में टेलीफोन उचित रूप से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या अद्यतन कार्यवाही की गई है;

(ग) इस समय टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस सर्किल में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और वर्ष के दौरान कितने सार्वजनिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है तथा वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) अगरतला में टेलीफोन ठीक ढंग से काम कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जंक्शनों सहित टेलीफोन कनेक्शनों की सख्या 1272 है।

(घ) (i) उत्तर पूर्वी सर्किल में मौजूदा सार्वजनिक टेलीफोन घरों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:—

असम	136
मेघालय	26
नागालैंड	2
मणिपुर	7
त्रिपुरा	20
मिजोरम	2
अरुणाचल	कुछ नहीं
योग	193

(ii) वित्तीय और साज-सामान संबंधी दोनों ही साधनों के उपलब्ध होने पर उत्तर पूर्वी सर्किल में, जिसमें असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा के राज्य और मिज़ोरम का संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं, वर्ष 1975–76 के दौरान 61 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है।

बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल परगना के जनजाति क्षेत्रों में विस्फोटक स्थिति

6444. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्**
श्री के० एम० मधुकर } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल परगना के जनजाति क्षेत्रों में स्थिति धीरे-धीरे विस्फोटक होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार से आदिवासियों की मांगों को पूरा करने हेतु कुछ कार्यवाही करने के लिए कहा है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह सच नहीं है कि बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगनों के आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति धीरे-धीरे विस्फोटक होती जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम के आवेदन को रद्द करके पश्चिम बंगाल विकास निगम का टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों के निर्माण के लिये दिया गया लाइसेंस

6445. **श्री वयालर रवि :** क्या **इलेक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों के निर्माण के लिए केरल राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम के आवेदन-पत्र को अस्वीकृत करने के बाद पश्चिम बंगाल विकास निगम को उसी उद्योग के लिए लाइसेंस दिया गया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और उसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से 20-6-73 को एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। इसी मद के निर्माण के लिए केरल राज्य इलैक्ट्रोनिकी विकास निगम से 24-8-73 को एक आवेदन प्राप्त हुआ, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का आवेदन-पत्र केरल राज्य इलैक्ट्रोनिकी विकास निगम के आवेदन-पत्र से पहले प्राप्त हुआ। लाइसेंस प्रदायी समिति ने दोनों आवेदन-पत्रों पर, दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के लिए अन्य रुके हुए आवेदन-पत्रों के साथ 22-2-1974 को विचार किया। इलैक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, समिति ने केरल राज्य इलैक्ट्रोनिकी विकास निगम के आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया तथा पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के आवेदन-पत्र को 40,000 दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ स्वीकृति दे दी। यह कार्यवाही प्रमुख रूप से कलकत्ता दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की उत्पादन सुविधाएं गठित करने की आवश्यकता के आधार पर की गई, जिससे पूर्वी क्षेत्रों की मांग पूरी हो सके। भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०, बंगलौर, जिसमें 1,00,00,000 पिक्चर ट्यूबों की प्रतिष्ठापित क्षमता का पहले से ही उत्पादन हो रहा है (तथा जिसमें एक लाख ट्यूबों की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता की स्वीकृति मिल जाने पर सुविधाएं जुटाई जा रही हैं), दक्षिणी-क्षेत्र की मांगों को पूरा करता है और इस प्रकार यह फैसला किया गया कि दक्षिण में इस मद के उत्पादन के लिए फिलहाल किसी अन्य कारखाने को लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है।

सलाल पन-बिजली परियोजना का चालू होना

6446. **श्री अनादि चरण दास**
श्री डी० डी० देसाई
श्री पी० गंगा देव } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाल पन-बिजली परियोजना को चालू करना स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थगित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है और इसकी विद्युत् प्रजनन क्षमता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 115-115 मेगावाट के तीन उत्पादन यूनिटों की प्रतिष्ठापना के लिए इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 112.9 करोड़ रुपये है।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया में कार्मिक निदेशक (डाइरेक्टर आफ पर्सोनल)

6447. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया में सरकारी उपक्रम ब्यूरो के सुझाव पर कार्मिक निदेशक का एक पद बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार वित्तीय संकट की अवधि के दौरान इस पद पर नियुक्ति को रोक रखने के बारे में विचार करेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम संबंधी कार्य समिति ने सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के बारे में अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के संगठनात्मक ढांचे को अन्य बातों के साथ-साथ पूर्णकालिक निदेशक (पर्सोनेल) के एक पद का सृजन करके उसे सुदढ़ बनाया जाना चाहिए।

(ग) पांचवीं योजना की अवधि में सीमेंट के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने में सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, निदेशक (पर्सोनेल) के पद को तत्काल भरना आवश्यक समझा गया है।

राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना

6449. **श्री नुरुल हुडा**
श्री हरी सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार शेख अब्दुल्ला के साथ किये गये समझौते के बाद देश में राज्यों के परस्पर सम्बन्धों के बदले हुए संदर्भ में, जिसका कि अधिकतर सभी राजनीतिक दलों तथा समूचे देश ने एक ऐतिहासिक कदम के रूप में स्वागत किया है, राज्यों को अपने मानक बनाने की अनुमति देने के विरुद्ध अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ख) क्या सरकार राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने पर विचार करेगी जैसी कि तमिलनाडु सरकार तथा कुछ अखिल भारतीय राजनीतिक दलों की मांग है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) राजामन्नार समिति प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों और प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार के विचारों की जांच करने के बाद सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग के इस आशय के आम प्रस्ताव पर सहमत हो गई है कि 'केन्द्र राज्य सम्बन्धों' को नियंत्रित करने वाले संविधान के उपबन्ध किसी स्थिति का मुकाबला करने अथवा किन्हीं समस्याओं को जो इस क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती हैं, हल करने के लिए पर्याप्त हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर

6450. **श्री मधु दंडवते :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संकट के कारण इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर न खोलने सम्बन्धी अपने निर्णय तथा कार्य क्षेत्र से पिछड़े क्षेत्रों को बाहर रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डाकघरों को जारी रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम डाक-राजस्व की शर्त पर गौर न देने वाली ऐसी ही रियायत पिछड़े क्षेत्रों को भी दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या रियायतें महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र को भी उपलब्ध होंगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अगर वार्षिक अनुमानित घाटा 2500 रु० से अधिक न हो तो पिछड़े इलाकों में डाकघर खोले जा सकते हैं। उन्हें इसी आधार पर 10 वर्ष की अवधि तक चलाया जाता है, जिसके बाद यह घाटा निकटतम डाकघर से दूरी के अनुसार 240 रु०, 360 रु० और 540 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) कोंकण क्षेत्र के जिन तालुकों को डाक सुविधाएं देने के लिए पिछड़े इलाके के रूप में वर्गीकृत किया गया है उन्हें वे रियायतें मिलती रहेंगी, जो देश के ऐसे दूसरे इलाकों पर लागू होती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के टिकटों की दरें

6451. **श्री मधु दंडवते :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 में दिल्ली में हुए पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में टिकटों की दरें बहुत बढ़ा-चढ़ा कर निर्धारित की गयी थीं ;

(ख) क्या समारोह के ऐसे कार्य संचालन से अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों तथा प्रतिमानों का उल्लंघन हुआ;

(ग) क्या फिल्म समारोह के टिकटों को बड़ी संख्या में काले बाजार में बेचा गया था; और

9—232LSS/75

(घ) भविष्य में ऐसे कदाचार पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) टिकटों की कालाबाजारी का कोई विशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है। पुलिस को कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद न्यायालय में पिस्तौल ले जाते हुए पकड़े गये एक वकील की राजनीतिक संबद्धता

6452. **श्री मधु दंडवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में उस न्यायालय-कक्ष की ओर, जिसमें प्रधान मंत्री उपस्थित थीं, पिस्तौल लेकर जाते हुए गिरफ्तार किये गये वकील की राजनीतिक सम्बद्धता का सत्यापन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

Reorganisation of C.B.I.

6453. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State :

(*a*) whether CBI has not yet been able to trace the culprits of Samastipur bomb explosion and of throwing hand grenade on Chief Justice of Supreme Court, Delhi.

(*b*) if so, whether there are no highly qualified persons in CBI; and

(*c*) if so, whether Government contemplate to give higher training by reorganising CBI Department at the top level ?

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahamananda Reddi) : (*a*) The Central Bureau of Investigation have arrested five persons suspected to be involved in the Smastipur bomb explosion case. One of them has also made a confessional statement before a Magistrate after arrest. The other case is being investigated by the Delhi Police.

(*b*) *and* (*c*) Do not arise.

Scheme for Integrating Prices of Agricultural Products and Articles Manufactured in Factories

6454. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(*a*) whether Planning Commission is formulating a scheme for integrating the prices of main agricultural products and the articles manufactured in factories; and

(*b*) if so the names of the articles included therein ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) and (*b*) : No specific scheme for integrating the prices of agricultural products and articles manufactured in factories is currently under formulation by the Planning Commission. However, in determining the minimum support/statutory prices of specific agricultural commodities *e.g.* sugarcane, jute, cotton their impact on the prices of manufactured articles is taken into account. Similarly, while fixing the prices of industrial products the prices of related agricultural raw materials are also taken into consideration by the Government.

सरकारी क्षेत्र में टायर का कारखाना

6455. श्री शरद यादव
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री रण बहादुर सिंह : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री सरकारी क्षेत्र में टायर के कारखाने के बारे में 12 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2942 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परियोजना स्थापित करने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : जी, नहीं।

अधिवर्षता प्राप्त व्यक्तियों की पुन: नियुक्ति अथवा उनकी सेवावधि बढ़ाना

6456. **श्री बसन्त साठे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के अधिवर्षता प्राप्त करने के बाद पुन: नियुक्ति अथवा उनकी सेवावधि बढ़ाने के बारे में सरकार ने नीति का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में अधिवर्षता प्राप्त करने के बाद पुन: नियुक्त किये गये वरिष्ठ अधिकारियों का मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय विदेश सेवा में ग्रेड-क के 18 में से आधे पदों पर अधिवर्षता-प्राप्त व्यक्ति नियुक्त हैं और अन्य मंत्रालयों में भी स्थिति ऐसी ही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वर्तमान प्रक्रिया को निरुत्साहित करने तथा महत्वाकांक्षी और उपयुक्त मेधावी युवकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ङ) अधिवर्षता की आयु के बाद सेवा में वृद्धि/पुनर्नियुक्ति की मंजूरी के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बहुत ही असाधारण और आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर साधारणतया विचार नहीं किया जाता। इस सम्बन्ध में अधिभावी विचार यह होता है कि ऐसी सेवा-वृद्धि/पुनर्नियुक्ति स्पष्टतया लोक हित में होनी चाहिए और उसके अलावा उससे निम्नलिखित दो शर्तों में से एक शर्त पूरी होती है :—

(i) इस कार्य का भार सम्भालने के लिए अन्य अधिकारियों को पर्याप्त अनुभव नहीं है; अथवा

(ii) सेवा निवृत्त होने वाला अधिकारी उत्कृष्ट योग्यता रखता है।

इसके अलावा, उपर्युक्त दो में से पहली शर्त को केवल तभी पूरा हुआ माना जा सकता है, जबकि किसी खास विशेषज्ञता के क्षेत्र में अधिकारियों की कमी हो, अथवा उसका उत्तराधिकारी मिलना सम्भव न हो, या वह अधिकारी किसी ऐसे विशेष महत्व के कार्य अथवा परियोजना में लगा हुआ हो, जिसके एक या दो वर्ष में पूरा होने की सम्भावना हो। इसके अलावा,

सेवा में वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति पर विचार केवल इस आधार पर ही नहीं किया जाता कि कोई उपयुक्त अधिकारी नहीं मिल रहा है, जब तक कि यह निश्चित न हो जाए कि उत्तराधिकारी के चयन करने की कार्यवाही काफी पहले ही की जा चुकी है, किन्तु न्यायोचित कारणों से चयन को समय पर अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्याप्त उच्च स्तर पर विस्तृत कार्यविधियां निर्धारित की गई हैं।

यद्यपि, इस सम्बन्ध में नीति की लगातार समीक्षा की जाती रहती है, लेकिन लोकहित के विशिष्ट मामले को छोड़कर सेवा में वृद्धियां तथा पुनर्नियुक्ति को प्रोत्साहित न किए जाने के सम्बन्ध में वर्तमान कार्यविधि को जिसकी रूपरेखा ऊपर दी गई है, पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) तथा (घ). मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्यों ही सूचना प्राप्त हो जाएगी उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के लिये तमिलनाडु राज्य द्वारा तैयार की गई योजना

6457. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के उद्देश्य से 1974–84 की अवधि के लिए 10,000 करोड़ की भावी योजना तमिलनाडु राज्य के योजना आयोग द्वारा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ योजना आयोग ने इस रिपोर्ट को देख लिया है और उनकी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य योजना आयोग को सहायता करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ग) क्या इस योजना के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता दी जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तमिलनाडु सरकार ने योजना आयोग को तमिलनाडु के लिए 1972–84 के लिए "भावी योजना ढांचे का प्रारूप" भेजा है, जिसमें कार्यनीति, विकास दर और वित्तीय परिव्ययों की अस्थायी रूपरेखा दी गई है। भावी योजना का एक मुख्य उद्देश्य 1984 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना है। भावी योजना ढांचे के प्रारूप में परिकल्पना की गई है कि 1970–71 के मूल्यों के आधार पर 1972–84 के दौरान 9300 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा।

(ख) तमिलनाडु सरकार की पांचवीं योजना के आकार और विषयवस्तु को अन्तिम रूप देते समय यथासमय 1972–84 के लिए तमिलनाडु की भावी योजना ढांचे के प्रारूप पर विचार किया जायेगा।

(ग) राज्यों को उनकी क्रमिक पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता किन मानदण्डों और सिद्धान्तों के आधार पर दी जाये इसका निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किया जायेगा और उसी के अनुसार तमिलनाडु की अन्तिम रूप दी गई पांचवीं योजना के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी।

पांचवीं योजना में कर्नाटक में ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं को ऋण

6458. **श्री के० लकप्पा :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक में केन्द्र द्वारा आयोजित लघु उद्योगों को ऋण के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव है;

(ख) केरल में इस समय केन्द्रीय क्षेत्र में स्थित ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के लिए कितनी धन राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जिलावार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ; और

(ग) विकास योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) : योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए 45 करोड़ रुपये के परिव्यय के लिए स्थायी रूप से सहमति दी है। परन्तु पांचवीं योजना के लिए अभी राज्य-वार आबंटन नहीं किये गये हैं। जहां तक असंगठित क्षेत्र में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के आंकड़े इकट्ठे करने का संबंध है, राज्यों को उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्षानुवर्ष के आधार पर अनुदान दिया जाता है। कर्नाटक सरकार की वर्ष 1974–75 और 1975–76 के लिए कोई मांग नहीं है।

ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत 1974–75 के लिए 27.30 लाख रुपये का ऋण शामिल था। आबंटित धनराशि के राज्य-वार ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं :—

(रुपये लाख में)

परियोजना का नाम	अनुदान	ऋण	योग
1. टुमकर . .	2.00	3.00	5.00
2. धरवाड़ . .	2.00	3.00	5.00
3. शिमोगा . .	1.85	3.00	4.85
4. बैलगांव . .	2.00	3.00	5.00
5. बिहार . .	1.25	1.10	2.35
6. बीजापुर . .	1.30	1.10	2.40
7. हसन . .	1.20	1.10	2.30
8. उद्योग निदेशालय के आर० आई० पी० प्रकोष्ठ के राज्य मुख्यालय पर व्यय .	0.40	—	0.40
योग .	12.00	15.30	27.30

विकास योजनाओं में ये शामिल हैं :--

(1) उद्यमियों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना;

(2) पैतृक कारीगरों को सुधरे औजारों, उपकरणों और मशीनों का प्रयोग करने के लिए उनके कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण का प्रबन्ध और ऐसे नये श्रमिकों को कुशल बनाना जो इन उद्योगों को अपने व्यवसाय के रूप में चलाना चाहते हैं।

(3) सामान्य सुविधा केन्द्रों की व्यवस्था करना;

(4) भूमि, कारखाने के शेडों का निर्माण और मशीनें आदि खरीदने के लिए उदार शर्तों पर ऋण देना; और

(5) तकनीकी मामलों और आर्थिक समस्याओं अर्थात् विपणन, कच्चे माल आदि उपलब्ध कराने से सम्बन्धित विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करना।

कर्नाटक में ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के लिये ऋण

6459. **श्री के० लकप्पा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम जो एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, के अन्तर्गत अलग-अलग जिलेवार कितने ऋण और अनुदान की मंजूरी दी गई;

(ख) ऋण और अनुदान की मंजूरी किन-किन उद्योगों को दी गई; और

(ग) अब तक जिलावार और परियोजनावार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अधीन इन परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय को ध्यान में रखकर राज्य सरकार को ऋण और अनुदान के रूप में इकट्ठी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। भुगतान जिलेवार नहीं किया जाता है अतः केन्द्रीय सहायता के जिलेवार आंकड़े दे सकना सम्भव नहीं है। फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में इस कार्यक्रम के अधीन कर्नाटक को अनुदान और ऋण के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता क्रमशः 21,30.48 लाख और 29.90 लाख रु० है।

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन सहायताप्राप्त उद्योगों में बढ़ईगीरी, सिले-सिलाए कपड़े, पालिथीलीन शीटें, साबुन, पेन्सिलें, सामान्य इंजीनियरी उद्योग, रेडियो बनाना, धातु कर्म, साइकिल के पुर्जे, कृषि उपकरण दीवाल घड़ियां बनाना, मुद्रण प्रेसों, चमड़े की वस्तुएं, इस्पात के फर्नीचर, कुम्हारी, बांस की टोकरी, चावल और आटा मिलें, डेयरी उत्पाद, फाउण्ड्री, भवन निर्माण का सामान आदि सम्मिलित है।

(ग) निम्नलिखित तालिका में राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक के लिए चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं पर ऋण और सहायता के केन्द्रीय ऋण में से किए गए व्यय के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है:—

(लाख रुपये में)

जिले का नाम	चौथी योजना			(पांचवीं योजना 1974-75 मात्र)		
	अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग
तुन्कूर	6.63	8.80	15.43	2.00	3.00	5.00
धारवाड़ .	5.85	8.80	14.65	2.00	3.00	5.00
शिमोगा .	5.77	8.80	14.57	1.85	3.00	4.85
बेलगांव .	2.03	3.50	5.53	2.00	3.00	5.00
बिदार	1.26	—	1.26	1.25	1.10	2.35
बीजापुर . . .	1.44	—	1.44	1.30	1.10	2.40
हसन . . .	1.30	—	1.30	1.20	1.10	2.30
राज्य के उद्योग निदेशालय के ग्रामीण उद्योग परियोजना प्रकोष्ठ राज्य के प्रधान कार्यालय में हुआ व्यय .	2.85	—	2.85	0.40	—	0.40

तरल इंधन राकेट और उपग्रह लान्च यान के बीच अन्तर

6460. **श्री के० लकप्पा** : क्या अंतरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरल ईंधन राकेटों की विकास सम्बन्धी परियोजना उपग्रह लान्च यान परियोजना से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उपग्रह लान्च यान (एल० एल० वी०-3) परियोजना कब शुरू हुई थी और वह कब पूरी होगी; और

(घ) इसका विकास इस समय किस चरण में है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा वि ान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) उपग्रह लांच यान (एस० एल० वी०-3) का डिजाइन, ऐसा बनाया गया है कि इसकी चारों अवस्थाओं में ठोस प्रणोदकों का प्रयोग किया जा सके। तरल राकेट प्रौद्योगिकी अभी तक विकास की अवस्था में है।

(ग) उपग्रह लांच यान (एस० एल० वी०-3) परियोजना के लिये नवम्बर, 1973 में मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना को 1978 के अन्त तक पूरा किया जाना है।

(घ) इस यान की प्रथम अवस्था में प्रयुक्त की जाने वाली खंडित मोटर प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया गया है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। द्वितीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था की प्रूफ मोटरों का सफलतापूर्वक भू-परीक्षण कर लिया गया है। विभिन्न उप-प्रणालियों के फ्लाइट-योग्यता सम्बन्धी कार्यक्रम चल रहे हैं। इस परियोजना के लिए आवश्यक विशिष्ट उपकरणों और उप-प्रणालियों के निर्माण में, लगभग 35 सरकारी और गैर सरकारी उद्योग लगे हुए हैं।

'थ्रस्ट लिक्विड फ्युअल राकेट इंजन'

6461. **श्री के० लकप्पा** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 3000 किलोग्राम के "थ्रस्ट लिक्विड फ्युअल राकेट इंजन" का परीक्षण कर चुका है;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां;

(ग) क्या इस समय 7000 किलोग्राम का एक 'थ्रस्ट राकेट' भी विकसित किया जा रहा है और यदि हां, तो इसका परीक्षण कब किया जायेगा; और

(घ) इस क्षेत्र में अन्तरिक्ष विभाग का भावी विकास कार्यक्रम क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) 3000 किलोग्राम के एक थ्रस्ट लिक्विड फ्युअल राकेट इन्जन का विकास किया गया है और दिसम्बर, 1974 में थुम्बा में इसका स्थैतिक परीक्षण किया गया है। आशा है कि इस इन्जन का फ्लाइट-परीक्षण शीघ्र ही किया जायेगा।

(ग) ऐसी कोई विशिष्ट परियोजना शुरू नहीं की गई है, यद्यपि उच्चतर थ्रस्ट तरल राकेट इन्जनों के विकास की योजना बनाई जा रही है।

(घ) वर्ष 1974-75 की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 18 पर अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी नामक अध्याय के भाग 8 में इस विषय के बारे में अधिक-ब्यौरा दे दिया गया है।

राजस्थान के गंगानगर जिले में अनुपगढ़ और घरसाना में विदेशी हथियारों और गोला बारूद का पकड़ा जाना

6462. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के गंगानगर जिले में अनुपगढ़ और घरसाना में पुलिस ने विदेशी हथियार और गोला-बारूद पकड़ा था;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जाएगी।

दिल्ली में तेल डीजल सम्बन्धी गिरोह

6463. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में एक डीजल तेल गिरोह का, जो प्रति वर्ष नगर राजकोष को 5 लाख रुपये की हानि पहुंचाता है, पता लगा था; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले कुछ ट्रक ड्राइवरों द्वारा अनधिकृत व्यक्तियों को डीजल तेल बेचा जा रहा है, इस सूचना के स्रोत मिलने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 29-1-75 को जांच के लिए निगम के कुछ अज्ञात ड्राइवरों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया। 13-3-75 को जांच की गई तो निगम का कूड़ा उठाने वाले ट्रक के एक ड्राइवर को अपने ट्रक के पेट्रोल टैंक से 5 लिटर डीजल तेल निकालते तथा उसे किसी अनधिकृत व्यक्ति को 4 रुपये में बेचते हुए पाया गया। घटनास्थल पर बेचने तथा खरीदने वाले दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

Fire in a Jhuggi in Rouse Avenue, New Delhi

6464. Shri Chandra Shailani : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether a couple, Shri Raje Singh and his wife Bipta Devi were burnt alive in the fire that broke out in a jhuggi in Rouse Avenue in New Delhi on the night of 17th-18th March, 1975;

(*b*) whether Government have ascertained the causes of fire in the jhuggi; and

(*c*) if so, the main facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) *to* (*c*) Yes, Sir. Deceased Raje Singh and his wife were sleeping under the wooden structure in quarter No. 13/3, Rouse Avenue when the fire broke out. Some 'Biri Ends' were found under the structure and the fire seems to have started from under the structure itself. The fire appears to be accidental and no foul play is suspected. However, the final opinion of the experts of the Central Forensic Science Laboratory is still awaited.

उत्पादन क्षमताओं का उपयोग

6467. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री पी० गंगादेब
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना में उत्पादन क्षमताओं के उपयोग पर बल दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमित वित्तीय संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग पर भी बल दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1975-76 की वार्षिक योजना बताते हुए इस बात की सावधानी बरती गई है कि पूर्व-स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग हो। इस उद्देश्यार्थ कठिनाइयों का पता लगाया गया है और उन्हें दूर करने के उपाय प्रारम्भ किए गए हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों का कुशलता-पूर्वक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं के लागत-लाभ विश्लेषण प्रारम्भ किए गए हैं तथा वित्तीय परिव्ययों तथा भौतिक उपलब्धियों को क्रमबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त 1975-76 की वार्षिक योजना को बनाते समय उपकरण-परिवर्तन तथा "इंवेंट्री" पर निवेश सम्बन्धी जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है।

गुजराती वृत्त चित्र और फीचर फिल्में

6468. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने गुजराती वृत्त चित्रों और फीचर फिल्मों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त फिल्मों के तथा उनके मुख्य अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और निर्माताओं के नाम क्या है;

(ग) क्या इनमें से किसी फिल्म को भारत और/अथवा विदेशों में कोई पुरस्कार मिला है; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 'गुणसुन्दरी नो घर संसार' नामक फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह, 1972 में गुजराती में सर्वोत्तम प्रादेशिक फिल्म का पुरस्कार मिला। गुजराती फिल्मों को मिले अन्य पुरस्कारों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान निर्मित गुजराती फिल्मों की संख्या

फिल्म का नाम	निर्माता का नाम
1972	
1. कुम कुम पगलान	जनखाना देसाई
2. परिवार	केवल पी० कश्यप
3. गुणसुन्दरी नो घर संसार	जी० एच० सैरया प्रोड्यूसर्स
4. झेर तो पीड़न जानि जानि	उपेन्द्र त्रिवेदी
1973	
1. जन्मतीप	सुमुगंल फिल्म्स प्रा० लि०
2. राजा भरथरी	टी० जे० पटेल
3. रानक देवी	हरीश एम० पटेल
4. वलो नमोरी उर्फ वला तारो देशमा डंको	हरिप्रसाद जानी
5. काडु मकारानी	रामकुमार बोहरा

1974

1. जय श्री राम याने हनुमान विजय	बसंत पिक्चर्स
2. होत्तल पद्मिनी	टी० जे० पटेल
3. वनूजा ना राजा रामदेव	नारनभाई वी० पटेल बाबूभाई ग्रार० पटेल
4. घूंघट	जाणभाई त्रिवेदी
5. ग्रगर प्रेमक शिनी विजानन्द	मावजी लखमी माबू
6. हरिश्चन्द्र तारामती	चित्र कला मंदिर
7. कुवरबाई नु मामफू	टी० जे० पटेल, फिलिमस्तान स्टूडियो

केन्द्रीय फिल्म संसद बोर्ड द्वारा प्रत्येक भाषा में प्रमाणीकृत की जाने वाली डाकुमेंट्रियों, लघु फिल्मों, शैक्षणिक फिल्मों ग्रादि की संख्या ग्रौर फीचर फिल्मों के मुख्य स्टारों के नामों के बारे में ग्रांकड़े नहीं रखे जाते। तथापि फिल्म प्रभाग द्वारा वर्ष 1972 से 1974 तक के दौरान गुजराती में डब की गई डाकुमेंट्री फिल्मों की संख्या नीचे दी गई है:—

(1) 1972	63
(2) 1973	71
(3) 1974	61

गुजरात में टेलीफोनों का कार्यकरण

6470. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण गुजरात के सूरत, भड़ौच ग्रौर ग्रन्य क्षेत्रों में ग्रत्यधिक ग्रसंतोषजनक टेलीफोन सेवा के बारे में लोगों ग्रौर संसद सदस्यों से कोई शिकायत ग्रौर विरोध-पत्र मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ग्रौर यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ; ग्रौर

(ग) क्या सूरत के लिए एक ग्रलग टेलीफोन सलाहकार समिति बनी हुई है ; यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ग्रौर उनका ग्रब तक का काम क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इस इलाके के टेलीफोन जाल को ठीक करने ग्रौर उसमें सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस इलाके में कई नई कैरियर प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं ग्रौर इनसे ज्यादा ट्रंक सर्किट उपलब्ध हो जाएंगे। ट्रंक कालों के शीघ्र पारेषण के लिए ग्रौर ग्रधिक ट्रंक एक्सचेंज भी खोले जा रहे हैं। इस इलाके में कुछ एक्सचेंज खोले गए हैं। सेवा के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रचालन कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण कड़ाई से किया जा रहा है।

(ग) सूरत की नई टेलीफोन सलाहकार समिति के पुनर्गठन के मामले पर विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में विद्युत जनन परियोजनाओं का निर्माण

6471. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में निर्मित ऐसी विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका निर्माण या तो अन्य राज्यों ने स्वयं किया है अथवा मध्य प्रदेश राज्य से मिलकर किया गया है ; और

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र आता है और विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/बिजली बोर्डों से सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गोआ, दमन, और पांडिचेरी में विभिन्न कानूनों का लागू किया जाना

6472. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्त भारत में लागू होने वाले सब कानून कब से गोआ, दमन, दीव और पाण्डीचेरी में लागू होंगे, जबकि संविधान में सब भारतीय नागरिकों के लिए समान कानून अपेक्षित हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : गोवा, दमन व दीव और पाण्डिचेरी क्रमश : 20 दिसम्बर, 1961 और 16 अगस्त, 1962 को भारत का भाग हुए थे। उक्त तारीखों को अथवा उनके बाद संसद द्वारा अधिनियमित कानून दोनों क्षेत्रों में स्वत : लागू हो जाते हैं। उन तारीखों से पहले बनाए गए अनेक केन्द्रीय अधिनियम इन संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू किए गए हैं; जबकि शेष अधिनियमों को लागू करने के प्रश्न पर दोनों सरकारें विचार कर रही है। इस अवस्था में इस प्रक्रिया के पूरा होने के लिए कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

विशिष्ट व्यक्तियों पर हमले और सुरक्षा व्यवस्था

6473. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विशिष्ट व्यक्तियों पर हमला करने की घटनाएं हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सुरक्षा प्रबन्धों का पुनरीक्षण किया गया है और उचित उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/प्रशासनों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

फिल्मों का निर्यात और विदेशी मुद्रा की आय

6474. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से किन-किन देशों को हमारी फिल्मों का निर्यात किया गया था ; और

(ख) इससे वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1972-73 से 1973-74 और 1974-75 (अक्तूबर, 1974 तक) के दौरान जिन देशों को भारतीय फिल्में निर्यात की गई, उनके नाम।

आबू धाबी, अफगानिस्तान, अलबानिया, अल्जीरिया, अर्जेन्टाइना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बहराइन द्वीपसमूह, बर्बाडोस, बंगलादेश, बेल्जियम, बुल्गारिया, बर्मा, कम्बोदिया, कनाडा, चिली, कोलम्बिया, कांगो, क्यूबा, साइप्रेस, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, डुबाई, इक्वाडोर, इथोपिया, फिजी द्वीप समूह, फिनलैंड, फ्रांस, वेस्ट इंडीज, जर्मन संघीय गणराज्य, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, धाना, यूनान, गियाना, गुनिया, हांगकांग, हंगरी, इन्डोनेशिया, ईरान, ईराक, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, जोर्डन, केनिया, कोरिया गणराज्य, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक आफ कोरिया, कुवैत, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, मन्दगास्कर, मलावी, मलेशिया, मौरिशियस, मैक्सिको, मंगोलिया, मुस्काट, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया नार्वे, पनामा, पैरु, फिलिपाइन्स, पौलेंड, कातार, रुमानिया, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ येमन, साऊदी अरब सिनेगल, सैचिलीज, साइरीलिओने, सिंगापुर, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, सुरिनाम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, त्रिनिडाड, ट्यूनिशिया, तुर्की, युगान्डा, अरब रिपब्लिक आफ इजिप्ट, ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत संघ, विन्जुला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ वियतनाम, रिपब्लिक आफ वियतनाम, विन्डवर्ड द्वीपसमूह, यैमन अरब रिपब्लिक, युगोस्लाविया, जाम्बिया।

1972-73, 1973-74 और 1974-75 (अक्तूबर 1974 तक) के दौरान निर्यातित भारतीय फिल्मों का मूल्य :†

वर्ष	मूल्य
1972-73	5,40,14,266 रुपये
1973-74	5,58,14,685 रुपये
1974-75 (अक्तूबर, 1974 तक)	3,56,77,918 रुपये

†उपर्युक्त सूचना डिपार्टमैंट आफ कार्मशियल इन्टैलिजेन्स एंड स्टेटिस्टिक्स, कलकत्ता द्वारा भारत के विदेशी व्यापार पर प्रकाशित मासिक आंकड़ों के संकलन पर आधारित है। अब तक उस डिपार्टमेंट द्वारा केवल अक्तूबर, 1974 तक ही मासिक संक्लन जारी किए गए हैं।

Pay Scales of Clerk-cum-Salesman in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

6475. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(*a*) whether some employees of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi, who have been performing the duties of clerks and salesman continuously for about last ten years are given the pay scales of helpers;

(*b*) whether the Union of these employees has submitted a memorandum to Government in this regard; and

(*c*) if so, when and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma) : (*a*) No, Sir.

(*b*) *and* (*c*) The Union of Khadi Gramodyog Bhavan employees submitted a demand notice in August, 1974 which has been considered by the Khadi and Village Industries Commission and rejected.

नये पेटेंट बेचने के लिये सिगरेट निर्माताओं को औद्योगिक विस्तार लाइसेंस

6476. **श्री सोम चंद्र सोलंकी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (3)(2) (घ०घ०) (क) और (ख) में उल्लिखित एक 'नए अनुच्छेद' का अर्थ यह है कि ट्रेड मार्क अथवा नए पेटेंट के विपणन में परिवर्तन करने के लिए उद्योगकर्ता को एक नया औद्योगिक विस्तार लाइसेंस प्राप्त करना होता है, यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में (26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली विदेशी फर्मों द्वारा) हमारे देश में सिगरेट निर्माताओं द्वारा कितने नए ब्रांड के सिगरेट बेचे गए,

(ख) क्या इन सिगरेट निर्माताओं ने विस्तार लाइसेंस प्राप्त किए हैं यदि हां, तो विस्तार लाइसेंसों की संख्या और तारीख क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए इन सिगरेट निर्माताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11-क के अन्तर्गत नई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत एक नई वस्तु की परिभाषा निम्न प्रकार की गई है :

(क) औद्योगिक उपक्रम में पंजीयन की तिथि अथवा लाइसेंस या अनुमति जारी होने की तिथि से जैसी दशा हो आमतौर पर उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के अलावा वस्तुओं की पहली अनुसूची में आने वाले कोई भी वस्तु;

(ख) व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1940 में परिभाषित चिन्हवाली कोई भी वस्तु या जिस पर पेटेन्ट लागू होता है, यदि पंजीयन के समय या लाइसेन्स अथवा अनुमति जारी करते समय जैसी भी दशा हो, औद्योगिक उपक्रम में इस प्रकार का व्यापार चिन्ह वाली ऐसी वस्तु का अथवा जिस पर वह पेटेन्ट लागू होता था, का उत्पादन नहीं किया जा रहा था। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 13(1) (घ) के अन्तर्गत पर्याप्त

विस्तार करने के लिये एक अलग लाइसेन्स लेने की आवश्यकता होती है। नई वस्तु का निर्माण करना पर्याप्त विस्तार नहीं माना जाता जिसके लिये लाइसेन्स लेने की आवश्यकता पड़ती हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पनडुब्बियों का पता लगाने के लिये भाभा परमाणु केंद्र द्वारा तैयार किया गया इलेक्ट्रोनिक 'सोनार' उपकरण

6477. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने नये प्रकार के कुछ इलैक्ट्रोनिक 'सोनार' उपकरण तैयार किये हैं जो काफी दूर से पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं;

(ख) क्या इस उपकरण ने 1971 में विशाखापतनम के निकट पाकिस्तानी पनडुब्बी "गाजी" का पता लगाने और उसे नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में ही विकसित इस उपकरण को अब भारतीय नौसेना के सभी सम्बन्धित जहाजों और विमानों में लगा रखा है; और

(घ) इसे विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को मान्यता देने के तौर पर उचित रूप से पुरस्कृत किया गया है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इलैक्ट्रानिकी से सम्बन्धित कुछ पहलुओं पर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों से परामर्श किया गया था।

(ख) तथा (ग) इस सम्बन्ध में सूचना देना जन-हित में नहीं है।

(घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Mr. Speaker, we have given a notice of privilege motion. Please listen to me.

अध्यक्ष महोदय: श्री जनेश्वर मिश्र का विशेषाधिकार प्रस्ताव यह है कि गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है जबकि इलाहाबाद मामले में अभियुक्त ने एक भिन्न बयान दिया है। मैं उनके इस पत्र को निदेश 115 के अधीन माननीय मंत्री के पास भेज सकता हूं। यह विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है।

Shri Janeshwar Mishra: It is a question of privilege. The Home Minister has misguided the House. Govind Mishra has written that the Police Officer took his portfolio and after half an hour told that it had a pistol (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री पर विश्वास न करके अभियुक्त पर विश्वास करते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह मामला न्यायालय में निर्णयाधीन है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, the Minister of Parliamentary Affairs moved a motion. Now it is clear that Govind Mishra is a friend of Shri Bahuguna as well as congress (*interruptions*). . . . . .

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : विशेषाधिकार प्रस्ताव पर न्यायालय में निर्णाधीन का मामला लागू नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : खेद है कि यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा कि यह मामला न्यायालय में निर्णायाधीन है और इसलिये यह सभा में नहीं उठाया जा सकता । मैं आपका ध्यान न्यायालय में निर्णयाधीन मामले के मुकाबले में विशेषाधिकार प्रस्ताव पर दिये गये एक पूर्व निर्णय की ओर दिलाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो एक सदस्य के आचरण पर चर्चा के बारे में था । वह विनिर्णय यहां लागू नहीं होता है ।

श्री समर गुह : मैं तो गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के आचरण पर आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं । उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी दी जिस पर हमने सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकार किया ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रमैया) : मैंने कोई जानकारी नहीं दी है । **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे मामले ला रहे हैं जिनकी जांच हो रही है और जो न्यायालय में हैं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा 3 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।
(ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-9440/75)

नेशनल न्यूजप्रिंट एन्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-9441/75]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (संयुक्त सवर्ग) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 25 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 161 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 185 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 186(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1975 जो 5 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 431 में प्रकाशित हुए थे।

(2) सा० सां० नि० 432 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनमें दिनांक 16 नवम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1201 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(3) सा० सां० नि० 433 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनमें दिनांक 29 जून, 1974 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 663 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-9442/75]

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या एफ 16 (12)/75-जुडल (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 26 मार्च, 1975 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (मतदाताओं का पंजीकरण) नियम, 1973 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ 18/19/73-जुडल (एक) जो दिनांक 28 मार्च, 1975 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 9 जनवरी, 1974 की अधिसूचना संख्या एफ 18 (19)/73-जुडल का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(तीन) अधिसूचना संख्या एफ 18/19/73-जुडल (दो) जो दिनांक 28 मार्च, 1975 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक, समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1974 सम्बन्धी दिनांक 15 मई 1974 की अधिसूचना संख्या एफ० 18/19/73-जुडल, का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-9443/75]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भिलाई इस्पात संयंत्र का काम रोकने के लिये बार बार किये जा रहे कथित-प्रयास

श्री इन्द्र जीत गुप्त (अलीपुर) : श्रीमन्, मैं इस्पात और खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"मजदूरों को धमन भट्ठी के द्वारों को बन्द करने से इन्कार करने के लिये उकसा कर भिलाई इस्पात संयंत्र का काम रोकने के लिये बार-बार किये जा रहे कथित प्रयास"

इस्पात और खान मंत्री (श्री चंद्रजीत यादव) : भिलाई इस्पात कारखानों में यह सामान्य प्रथा है कि धमन भट्ठियों में भट्टी पर काम करने वाले कर्मचारी (हर्ष-मन) धमन भट्टियों के ट्वीयर और मोनकीज बदलते हैं। यह काम उनकी सामान्य ड्यूटी के अन्तर्गत आता है। 25 मार्च, 1975 को एक धमन भट्टी पर काम करने वाले कर्मचारियों ने यह काम करने से इन्कार कर दिया। बाद में इन्कार करने की बात दूसरी धमन भट्टियों पर काम करने वाले कर्मचारियों में भी फैल गई। भट्टी पर काम करने वाले कर्मचारियों ने यह काम करने से इन्कार करने की बात को काम पर अधिक कर्मचारी लगाने और पदों का ग्रेड बढ़ाने की मांगों से जोड़ दिया। भट्टी कर्मचारियों द्वारा लगातार यह काम करने से इन्कार करने पर कारखाने के प्रबन्धकों ने इस काम को आंशिक रूप से बन्द करने को गैर कानूनी हड़ताल करार देने तथा अन्त: कालीन प्रतिषेधात्मक आदेश जारी करने के लिए

मध्यप्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के अधीन श्रम न्यायालय दुर्ग में चार आवेदन दायर कर दिये। न्यायालय ने 5 अप्रैल, 1975 को ये आवेदन मंजूर कर लिये। फिर भी भट्टी कर्मचारी अपने काम पर नहीं लौटे और जिन कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिषेधात्मक आदेश जारी किये गये थे उनमें से अधिकतर कर्मचारी 7 अप्रैल, 1975 से काम से गैर-हाजिर रहे जिससे इस आदेश की तामील न हो सके। 9 अप्रैल 1975 को 'ए' पारी से जाने वाले कर्मचारियों ने टाईम आफिस नहीं छोड़ा और 'बी' पारी के आने वाले कर्मचारी अपने काम पर नहीं आये। परिणामस्वरूप धमन-भट्टियों के काम पर प्रभाव पड़ा और दो भट्टियों का काम बन्द करना पड़ा। इस का परिणाम यह हुआ कि कोक ओवन बैटरियों में पुशिंग की संख्या में कमी हो गई। इस बाधा से गैस की कमी के कारण कुछ फिनिशिंग मिलों को भी बन्द करना पड़ा। भट्टी कर्मचारियों को इस बात के लिए राजी किया गया कि वे 9 अप्रैल, 1975 को रात 8-30 बजे तक काम पर वापिस आ जाए और प्रबन्धक इस बात पर राजी हो गए कि वे न्यायालय के मामले वापिस ले लेंगे यदि सामान्य काम फिर से आरम्भ कर दिया जाए और पहले की तरह सारा काम होने लगे। 10 अप्रैल, 1975 को 'ए' पारी के भट्टी कर्मचारी और 'बी' पारी के ड्यूटी पर आने वाले भट्टी कर्मचारी टाईम आफिस में इकट्ठे हो गये और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काम तभी शुरू किया जाएगा यदि मामले वापिस ले लिए जाएं और भट्टी कर्मचारियों से ट्वीयर और मोनकीज बदलने के लिए न कहा जाए चूंकि प्रबन्धकों को यह स्वीकार न था इस लिए भट्टी कर्मचारी काम से गैर-हाजिर रहे। चूंकि कुछ भट्टी कर्मचारी अन्य कर्मचारियों को काम पर न आने के लिए उकसा रहे थे इस लिए 'बी' पारी के दो कर्मचारी और 'सी' पारी के एक कर्मचारी को 10 अप्रैल, 1975 को निलम्बित कर दिया गया। भट्टी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 10 और 11 अप्रैल, 1975 को भी काम पर प्रभाव पड़ा परन्तु दूसरे सभी विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति सामान्य थी 12 और 13 अप्रैल को स्थिति में मामूली सुधार हुआ। 14 अप्रैल की सुबह स्थानीय प्राधिकारियों ने हड़ताली भट्टी कर्मचारियों के 3 नेताओं को पकड़ लिया और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश लागू कर दिए। 14 अप्रैल अपराह्न तक उपस्थिति में सुधार हुआ। प्रबन्धकों ने सूचित किया कि जो हड़-ताली भट्टी कर्मचारी 15 अप्रैल को 'ए' पारी से पहले काम पर वापिस आ जाएंगे उनके मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा परन्तु जो कर्मचारी काम पर वापिस नहीं आएगें उनकी सेवा भंग कर दी जाएगी।

पता चला है कि आज सुबह तक 220 हड़ताली भट्टी कर्मचारियों में से 170 कर्म-चारी अपने काम पर वापिस आ गये थे। आशा है कि बाकी कर्मचारी की जल्दी ही काम पर लौट आएंगें। अब कोई भी धमन भट्टी बन्द नहीं है और मर्चेन्ट मिल ने काम करना शुरू कर दिया है। आशा है कोक ओवन पुशिंग में भी वृद्धि हो जाएगी।

मुझे विश्वास है कि अब जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं वे भी जल्दी ही अपने साथी कर्मचारियों का अनुसरण करेंगे और शीघ्र ही अपने काम पर लौट आएंगें।

यह बड़े खेद की बात है कि भिलाई इस्पात कारखाना जो लगातार अच्छा कार्य करता रहा है के काम पर इस प्रकार की हड़ताल से बुरा प्रभाव पड़ा है।

मेरा कामगारों और मजदूर संघों के नेताओं से अनुरोध है कि वे अब ऐसा कोई काम न करें जिससे उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा आए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वास्तव में यह चिन्ता का विषय है कि इतने बड़े कारखाने में इस तरह उत्पादन में रुकावट ग्रा जाये। मैं मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के ग्रतिरिक्त मेरे पास ग्रौर कोई जानकारी नहीं है। मुझे ग्राशा है कि वह कुछ ग्रौर जानकारी देंगे ।

मैं समझता हूं कि वह इस बात से भी सहमत होंगे कि हो सकता है कि मजदूरों को इस तरह की कार्यवाही करने के लिये उकसाया गया हो, किन्तु ऐसा भी हो सकता है कि मजदूरों की सही शिकायतें हों जिससे उनमें ग्रसंतोष व्याप्त हो।

ग्रब मैं जानना चाहता हूं कि मजदूरों की इस मांग पर कि पदों पर नियुक्तियां ग्रधिक की जायें ग्रौर पदोन्नति में वृद्धि की जाये, पहले कभी विचार किया गया है। यह पद-मूल्यांकन का प्रश्न है। ग्रतः मैं जानना चाहता हूं कि लगातार पद-मूल्यांकन के लिये क्या कोई व्यवस्था है।

दूसरे, यदि इस कारखाने में एक समुचित शिकायत तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा होता तो निस्सन्देह इस धमनभट्टी में उपद्रव की संभावना का पता लगाया जा सकता था ग्रौर इसका उपचार शिकायत तंत्र द्वारा किया जा सकता था। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि यह एकाएक ही हुग्रा ग्रौर प्रबन्धकों को भी इसकी जानकारी नहीं मिली। इस तरह उपद्रव शुरु हो गया ग्रौर उत्पादन में रुकावट ग्रा गयी। ग्रतः मैं जानना चाहता हूं कि पद-मूल्यांकन तंत्र ग्रौर शिकायत-तंत्र की इस कारखाने में क्या स्थिति है। यह ग्रसंतोषजनक प्रतीत नहीं होती है।

न्यायालय के मामले, जो दुर्ग के श्रम न्यायालय में दायर किये गये थे, वापस ले लिये गये हैं ग्रथवा ग्रभी भी ग्रनिश्चित पड़े हैं ?

दो या तीन लोग नजरबन्द किये गये थे। क्या वे ग्रभी भी नजर बंद हैं? क्या सभी 220 मजदूरों को सेवा में भंग किया गया है ?

मैं हिन्द मजदूर सभा के सचिव ग्रौर भिलाई इस्पात संयंत्र के एक ग्रधिकारी के सार्वजनिक वक्तव्यों के बारे में भी ग्रापसे स्पष्टीकरण चाहता हूं।

ग्रौर ग्रन्त में मुझे ग्राशा है कि वह बतायेंगे इन 5 या 6 दिनों तक काम बन्द रहने के परिणाम-स्वरूप ग्रनुमानित कुल उत्पादन घाटा कितना है ?

श्री चन्द्रजीत यादवे : मैंने ग्रपने वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया है कि हड़ताल एक विशेष क्षेत्र (धमन भट्टी क्षेत्र तक ही सीमित है।

कर्मकारों की मांग यह कि जो कार्य वे शुरु से कर रहे थे वह कार्य उनका नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी कि राउरकेला इस्पात संयंत्र में यह कार्य भिन्न-भिन्न लोगों, ग्रर्थात् यांत्रिक लोगों द्वारा किया जाता है। प्रक्रिया प्रत्येक संयंत्र में भिन्न है। पद-मूल्यांकन, पद नियुक्तियां, पदोन्नति इन सभी बातों पर चर्चा की जाती है। सामान्य प्रक्रिया यह है कि चर्चा मान्यता प्राप्त संघ ग्रौर प्रबंधकों के बीच होती है। चर्चा करने के बाद ही वे कुछ सहमत होते हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र के मामले में व्यावहारिक दृष्टि से मध्य प्रदेश ग्रौद्योगिक संबंध ग्रधिनियम के ग्रनुसार प्रबंधकों ग्रौर मान्यताप्राप्त संघ के प्रतिनिधि के बीच समझौता होना ग्रनिवार्य है। मान्यताप्राप्त संघ इन सभी बातों—पद मूल्यांकन, पद नियुक्तियों, तथा कार्य के स्वरूप से पहले

ही सहमत थे। मान्यताप्राप्त संघ ने यह प्रश्न नहीं उठाया है। एच० एस० एस० कर्मकारों के एक समूह ने ही उपद्रव शुरु करके हड़ताल का आह्वान किया। इस मांग पर भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत किसी अन्य संघ का समर्थन प्राप्त नहीं है। अतः प्रबन्धकों के लिये यह मांग स्वीकार करना कठिन है।

जहां तक अन्य शिकायतों का सम्बन्ध है, यह सही है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में काफी लम्बे समय तक कोई बड़ी श्रमिक अशांति नहीं रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्य सुचारूपेण चलता रहा है।

वहां पर समुचित तंत्र भी है। प्रबन्धक कर्मकारों की मांगों पर विचार करते रहे हैं। वहां पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा होती है और कुछ बातों पर समझौता भी होता है। मान्यता रहित संघों के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं होती है।

जहां तक मामलों का सम्बन्ध है, मामले अभी भी न्यायालयों में विचारधीन हैं। प्रबन्धकों ने कहा है कि यदि कर्मकार हड़ताल वापस लेने को तैयार हों और यदि वे पहले जैसी कार्यों की शर्तों पर ड्यूटी पर वापस आ जाते हैं तो मामले वापस ले लिये जायेंगे। चूंकि वे इस पर सहमत नहीं हुए इस लिये मामले अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। (व्यवधान) मेरी हाल की जानकारी के अनुसार हड़ताल अभी समाप्त नहीं हुई है। 220 कर्मकारों में से 170 कर्मकार काम पर वापस आ गये हैं। हमें आशा है कि अन्य कर्मकार भी काम पर वापस आ जायेंगे।

जहां तक इस हड़ताल के कारण हुये घाटे का सम्बन्ध है, कुल उत्पादन घाटा लगभग 83 लाख रुपये है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने दो सार्वजनिक वक्तव्यों के बारे प्रश्न उठाया था। पहले में यह कह गया था कि प्रबन्धक कुछ ठेकेदारों की मदद करने के प्रयोजन से समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरे में यह कहा गया है कि जनसंघर्ष समिति के कुछ असंतुष्ट तत्वों ने मनमाने ढंग से तोड़फोड़ करने की कोशिश की। क्या आप छानबीन करके यह बतायेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है और आपके पास इस बारे में क्या जानकारी है ?

श्री इन्द्रजीत यादव : जहां तक जनसंघर्ष समिति का सम्बन्ध है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। जैसा कि मैंने कहा है कि एच० एम० एस० के लोगों ने इस हड़ताल के लिये उकसाया।

प्रबन्धकों ने किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। जहां तक ठेकेदारों की बात है, हमारे पास ऐसी जानकारी है कि कुछ ठेकेदारों ने हड़ताल के लिये उकसाया है। हम मामले की छानबीन कर रहे हैं और जिन्होंने इस हड़ताल के लिये उकसाया है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर) : मैंने अनेक बार सम्बन्धित मंत्री का ध्यान दिलाया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में निहित स्वार्थों का एक वर्ग है। वहां के महाप्रबन्धक पहले वहां पर्यवेक्षक थे और उन्होंने अनेक दल बनाये हैं जिन्होंने वहां हड़ताल की और असंतोष पैदा किया। ऐसे लोगों को वहां इतने लम्बे समय तक नहीं रहने दिया जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने यह बताया है कि केवल कुछेक कर्मकारों ने हड़ताल की। मैं कहता हूं कि यदि एक इस्पात मिल के किसी भाग में हड़ताल होती है तो समूची मिल में उत्पादन को क्षति पहुंचती है।

मैं जानना चाहता हूं कि जो कर्मकार हड़ताल पर गये थे क्या उन्होंने इसकी पूर्व सूचना प्रबन्धकों को दी थी अथवा वे जब कभी भी चाहें हड़ताल कर सकते हैं अथवा क्या ऐसे नियम और प्रक्रियायें हैं जिनका हड़ताल करने से पूर्व पालन करना पड़ता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यदि इस्पात मिल में कहीं हड़ताल होती है तो समूचे संयंत्र का कार्यकरण प्रभावित होता है।

माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये हैं कि जो लोग वहां काफी समय से काम कर रहे हैं उन्हें निहित स्वार्थ माना जाना चाहिये। इन इस्पात संयंत्रों में तो लोग आजीवन कार्य करते हैं और कुछ पर्यवेक्षक महाप्रबन्धक भी बन गये हैं। यह बुरी परंपरा नहीं है।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या उन्होंने पहले नोटिस दिया। उन्होंने इसका कोई नोटिस नहीं दिया। यह अवैध हड़ताल थी। इसे अवैध घोषित किया गया था।

माननीय सदस्य द्वारा बतायी गयी अन्य बातों की भी छानबीन की जा रही है।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Sir, the perfomance of Bhilai Steel plant has been very good. Resorting to strike in such a plant without any notice resulting loss of Rs. 1 crore is not a good thing. I am happy to learn that 170 out of 210 workers resumed their duties.

I want to know whether it cannot be investigated as to who are behind this strike. What is the conspiracy against it If you will not check it it will not be in the interest of the plant. This is a sophisticated plant and when trade union leaders indulge on such irresponsible activities, you should not recognise that union and they are sent to jails.

So far as I understand there is no fault of the management. Union are very cooperative. INTUC is also good. Now I would like to know who is behind it.

I would like to know one more thing. How this loss is suffered. It is stated that Bhilai Steel plant is losing Rs. 15 lakhs per day and accordingly it comes to Rs. 85 lakhs or more.

Shri Chandrajit Yadav : I agree with the spirit and concern expressed by the honourable Member. I assure him that full investigation will be made into all the matters and action will be taken against the persons involved therein.

There leaders of H.M.S. are detained who instigated for strike.

Shri R. S. Pandey : I would like to know whether Shri Chandrakant Desai has not been detained.

Shri Chandrajit Yadav : Shri Chandrakant Desai is detained. Three persons have been suspended and I hope that other workers also resume duty and the persons indulging in such activities will be isolated.

There is another recognised union. This union is not recognised which incited for strike but this union has no influence there.

So far as the loss is concerned, the production has not been made in terms of value and it comes to about Rs. 83 lakhs. If work had gone on normally and iron and steel had been produced its value would be Rs. 83 lakhs. I assure the honourable Member that effective steps will be taken to avert this illegal strike and situation will be handled.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The management in the public sector undertaking has been adopting antilabour attitude and is in league with the contractors and encourages corruption and the workers are incited for strikes which result in the loss of production. I would like to know whether any contractor has been arrested or you are going to arrest them.

I would also like to know whether any officer has also incited the workers for strike. Whether the workers resuming duty will be assured that no repressive action will be taken against them.

I would also like to know whether Government intend to take the elected representatives of the workers in the management. Which is the sole representative union there.

Shri Chandrajit Yadav : Any officer has not incited for strike. I have already told who are behind the strike. Investigations are being made.

So far as the participation of workers in the mangement is concerned, Bhilai steel plant is a unit of H.S.L.. The question of having a separate management committee in each factory is under consideration of the Government. It will be considered as soon as a decision is taken in this regard.

The contractor does not come in the perview of the Act under which we could take action. He does not take part in any union. He does not work in the plant. The information in this that they have helped in inciting the workers. What action is to be taken against them is being considered and action will be taken.

सभा की बैठको से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा कीं बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 20वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दी गई अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये ।

(1) डा० जी० एस० मेलकोटे

(2) श्री एम० कल्याण सुन्दरम

क्या सभा यह चाहती है कि समिति द्वारा सिफारिश की गई अनुमति प्रदान की जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जायेगा ।

कोलार-स्थित सोने की खानों में हड़ताल के बारे में

RE. STRIKE IN KOLAR GOLD MINES

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरामपुर) : कोलार की सोने की खान में इस मास की पहली तारीख से आज तक हड़ताल चली आ रही है। इसमें 10,000 कर्मकार काम करते हैं। एक सदस्यीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी । इस हड़ताल को समाप्त करने हेतु निश्चित कदम उठाये जाने चाहिए तथा कर्मकारों को न्याय मिलना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, may I know when a discussion in the question of Sikkim will be allowed in this House ? I have given notice under Rule 377, and calling attention notice and several other notices in this regard.

Mr. Speaker : Let the position be crystalized. As you are aware, this question is being discussed by the Government with the opposition.

राजस्थान और गुजरात में आदिवासियों की कथित मृत्यु के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*. REPORTED DEATH OF ADIVASIS IN RAJASTHAN AND GUJARAT

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : बांसवाड़ा और पंचमहल जिलों में आदिवासियों की कथित मृत्यु के बारे में 26 मार्च, 1975 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। वास्तव में यह बहुत ही दुःख की बात है। राज्य सरकारों से पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए तुरन्त सम्पर्क स्थापित किया गया था। जहां तक गुजरात का संबंध है, सितम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 के बीच 111 गांवों में यकृत-शोथ के 284 मामले बताए गये थे जिनमें 85 आदिवासियों की मृत्यु हो गई। जहां तक राजस्थान का संबंध है, बताया जाता है कि दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 के बीच बांसवाड़ा के स्थानीय अस्पताल में पीलिया और बुखार से पीड़ित 172 व्यक्तियों का इलाज किया गया था जिनमें से 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। राजस्थान सरकार की अद्यतन रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि बांसवाड़ा जिले में कुल मिलाकर पीलिया से 55 मौतें हुई हैं।

2. स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के अनुरोध पर, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 1974--जनवरी, 1975 के दौरान जांच की गई थी। अध्ययनों के परिणामों से यह पता लगता है कि तब तक इन बीमारियों का प्रकोप सम्भवतः बहुत कुछ हद तक फंफूद से अत्यधिक ग्रस्त मक्का का प्रयोग करने का कारण हुआ था जिससे उसमें तीव्र विषाक्त पैदा हो गई थी। यह दुखद घटना कई कारणों से हो सकती है अर्थात् असामान्य वर्षा जिससे मक्का की फसल प्रभावित हुई थी, ग्रामीणों द्वारा सही ढंग से मक्का का भण्डारण न करना जिससे फंफूद सदूषण हो गया था और प्रभावित परिवारों द्वारा संदूषित मक्का का प्रयोग करना।

3. यहां यह उल्लेखनीय है कि दोनों राज्य सरकारों ने यह सूचित किया है कि संबंधित परिवारों ने प्रयोग में लाए गये खाद्यान्नों को सरकारी स्टाक से नहीं लिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय खाद्य निगम संभावित खराबी को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतता है और केवल ऐसे स्टाक, जोकि मानव उपभोग के योग्य हों और पी० एफ० ए० निर्दिष्टियों के अनुरूप हों, को वितरित करने की अनुमति दी जाती है।

4. गुजरात सरकार से संबंधित गांवों में चिकित्सा-सहायता की व्यवस्था की है और ग्रामवासियों को क्लोरिनयुक्त अथवा उबाले हुए पानी का इस्तेमाल करने और खराब खाद्यान्नों का प्रयोग न करने के बारे में समझाने के भी उपाय किये हैं।

5. राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे विशेषकर ग्रामीण जनता को भण्डारण के उपयुक्त तरीकों और संदूषित खाद्यान्नों का प्रयोग करने से पैदा होने वाले खतरों के बारे में समझाने के लिए आवश्यक उपाय करें।

Shri Madhu Limaye (Banka): May I know whether an enquiry has been made into the question of supply of rotted seed through ration shops ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कृपया खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में इस सभा की सहानुभूति अभिव्यक्त करें।

Mr. Speaker : Undoubtedly Khan Abdul Gaffar Khan was a prominent freedom fighter. He is not only connected with Pakistan, but has played an important part in moulding the history of India. This House expresses its concern at his arrest.

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार): डाक-तार विभाग ने डाक के तुरन्त वितरण हेतु दिल्ली मद्रास और बम्बई में एक नई वितरण प्रणाली आरम्भ की है। क्या यह प्रणाली कलकत्ता में भी शुरु की गई है ?

Mr. Speaker : This point can be raised at any other time.

अनुदानों की मांगे 1975-76—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे। श्री सेकैरा।

श्री इराज्मु द० सेकैरा (मारमागोआ) : सभा के समक्ष विदेश मंत्रालय का जो प्रतिवेदन रखा गया है वह सभा के साथ धोखा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध आपसी सम्मान, लाभ और एक दूसरे के मामलों में दखलअन्दाजी न करने के सिद्धान्त पर आधारित हैं। पर रूबल का मूल्य रुपये के मूल्य के सम्बन्ध में 38 प्रतिशत अधिक किये जाने का क्या कारण था ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है।

श्री इराज्मु द० सेकैरा : हम अक्षरतर अपने हित की अनदेखी कर दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध कायम करने में अपने को धोखा देते हैं। सोवियत संघ हमारा अच्छा मित्र है पर जिन जिन्सों से हम विदेशी मुद्रा कमा सकते थे उन्हें रूस को क्यों भेजा गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डा० हेनरी किसिंजर की यात्रा के परिणाम स्वरूप अमरीका और भारत के सम्बन्धों में एक नया मोड़ आया है। पर वर्ष के अन्त में अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने आरम्भ कर दिये हैं। हिन्द महासागर में डियगो गार्शिया द्वीप में अमरीका द्वारा नौसैनिक अड्डा बनाये जाने के विरोध में हम बहुत शोर मचा रहे हैं, पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा निकाले गये मानचित्र के अनुसार उसके निकट ही सोवियत रूस के अनेक सैनिक अड्डे हैं। हम एक तटीयवर्ती राष्ट्र हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि यह महासागर विदेशी नौसैनिक अड्डों से मुक्त रहे। यही सरकार की नीति है। पर हम रूसी जंगी जहाज को नाव और अमरीकी नाव को भी जंगी जहाज समझने लगते हैं। यह भेद ठीक नहीं है। हमें अपने हित को ध्यान में रखना चाहिए।

क्या सरकार यह बतायेगी कि हनोई में भारतीय राजदूत क्यों नहीं नियुक्त किया गया है ? क्या केवल वाशिंगटन और मास्को में राजदूत नियुक्त करके ही सरकार संतुष्ट है ! हमें एशियायी विकास संस्थान की स्थापना करनी चाहिए क्योंकि हमारा देश विशाल है और भौगोलिक दृष्टि से भी हम इस स्थिति में हैं।

मुझे बहुत खुशी है कि हमने पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के दृष्टिकोण का समर्थन किया है, हालांकि इससे हमें आर्थिक कठिनाई हुई है। हमें भी अपने कच्चे माल के सम्बन्ध में अपने हितों को दृष्टि में रखकर ऐसा ही रुख अपनाना चाहिए। हम चाय के प्रमुख निर्यातक हैं, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

पश्चिम एशिया के देशों में आज पूंजी बाहुल्य है। हम चाहते हैं कि ये देश हमारे देश में पूंजी लगायें। हमारे पास अत्यधिक जनशक्ति है, उद्यमी हैं, इसका उपयोग वहां किया जा सकता है। एशिया में एक बहु-राष्ट्रीय संस्था बनाने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पुर्तगाल में जो परिवर्तन आया है उसका हम स्वागत करते हैं। गोवा, दमन और दीव में हमारे बहुत से तकनीशियन-शिक्षकों से लेकर इंजीनियरों, डाक्टरों तक—पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। उनमें से अनेकों को अफरीका के मामलों का अनुभव है। इन लोगों की प्रतिभा का अफरीकी देशों में उपयोग किया जा सकता है। इससे इन देशों में हमारे हितों की रक्षा होगी।

गोटेमाला में हुए लैटिन अमरीकी संसद के अधिवेशन में पारित एक संकल्प में हमें कहा गया था कि हम अफरीका, एशिया और लैटिन अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि मनोनीत करें। पर इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मुझे भय है कि इससे उन देशों में हमारी प्रतिष्ठा प्रभावित होगी।

डा० हेनरी आस्टिन (एर्णाकुलम): मुझे लगता है कि इतिहास अपने को दोहरा रहा है। इतिहास के छात्र के नाते में यह जानता हूं कि पश्चिमी देश राजनीतिक तथा अन्य मामलों में ग्रीक-रोमन अनुभव से प्रेरणा लेते हैं। आज हमें सिकन्दर के आक्रमण की याद ताजा हो रही है ; यद्यपि उसकी विजय तकनीकी विजय थी तथापि यह तथ्य है कि मकदूनियां के सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया था हालांकि विश्वविजेता सिकन्दर सारे विश्व पर विजय पाना चाहता था। यह इसलिये हुआ कि पोरस के नेतृत्व में भारत की जनता ने यह दिखा दिया कि वह किसी भी विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति के मनसूबों को विफल करने में सक्षम है। सिकन्दर के लिए यह एक महान अनुभव था। इसी प्रकार पुर्तगालियों ने पूर्व पर आक्रमण करना आरम्भ किया और आशा अन्तरीप को पार कर भारत में आ गये। हमारे पास इस तथ्य के चित्र हैं कि उन्होंने किस प्रकार पहले थोड़ी सी जगह मांगी और बाद में भारत के उस भाग पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। इतिहास के चक्र को देखते हुए, ये सारी बातें आज फिर उभर रही हैं। शिमला समझौते के बाद भी युद्ध के बादल मण्डरा रहे हैं। पश्चिमी शक्तियों के सैनिक अड्डे न केवल दियगो गार्शिया में ही हैं अपितु आशाअन्तरीप से लेकर आस्ट्रेलिया तक 19 अन्य सैनिक अड्डे हैं। ये मुख्य रूप से एंग्लो-अमरीकन शक्तियों द्वारा स्थापित किये गये हैं। दियगो गार्शिया की स्थिति सोवियत रूस के जहाजों के ठहरने के स्थानों की अपेक्षा भिन्न हैं। यह अड्डा विशिष्टतः सैनिक प्रयोजनों के लिए है। यह भी समाचार है कि यहां परमाणु अस्त्र इकट्ठे किये जा रहे हैं। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। सोलहवीं शताब्दी में ये लोग स्थल से आये थे अब जलमार्ग से आ रहे हैं। ये लोग एशिया के लिए भय और अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में इसी प्रकार के अन्य अड्डे हैं जिनसे हमें खतरा है। इसी स्थिति का आज सुबह प्रधान मंत्री ने जिक्र किया था। और इसे देखते हुए आपात-स्थिति को कायम रखने की बात कही थी।

एशिया और विशेष रूप से हमारे पड़ोस में जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। सभी जानते हैं कि एशिया में क्रान्ति आ रही है। हिन्द-चीन में जो कुछ हो रहा है वह एशिया के लोगों की आकांक्षाओं और मांगों का प्रतीक है।

जर्मन के लोग काफी प्रतिभावान और परिश्रमी हैं। उन्होंने सैनिक दृष्टि से भी काफी सफलता प्राप्त की है। फिर भी वह अपनी सारी शक्ति और अमरीका के समर्थन से पुनःएकीकरण प्राप्त न कर सका। पर यही काम एक छोटे से देश कम्बोडिया ने करके दिखा दिया है।

रुपये और रूबल की विनिमय दर के सम्बन्ध में हमारे वित्त मंत्री ने सोवियत वित्त मंत्री से बात-चीत शुरू कर दी है।

मैं विदेश मंत्री को सिक्किम की हाल की घटना पर बधाई देता हूं। सिक्किम में कल जो घटना घटी उससे यह पता चलता है कि वहां के लोग हमारे तंत्र में विश्वास रखते हैं, हमारे राजनीतिक दर्शन में विश्वास रखते हैं। चीन जनता के इस निर्णय को दूषित करना चाहता है। पाकिस्तान ने जब हुन्जा हथियाया तो चीन चुप रहा है।

सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। बांगलादेश संकट के समय जब अमरीका ने सातवां बेड़ा भेज दिया था और चीन पाकिस्तान का खुला समर्थन कर रहा था तब सोवियत संघ के साथ हुई हमारी संधि ही इन दो बड़ी शक्तियों के मशीनीकरण की शक्ति को रोधक सिद्ध हुई।

हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। हम प्रत्येक देश या ब्लौक के संदर्भ में अपनी विदेश नीति हर मामले के गुण-दोषों के आधार पर निश्चित करते हैं। हमारी नीति सुरक्षा की नीति है। चीन और पाकिस्तान के साथ हुए तीन निर्णायक युद्धों के बावजूद हमारा देश कायम है। अन्तर्राष्ट्रीय संकट के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार हो रहा है, हालांकि कुछ थोड़े समय के लिये हमें कुछ कठिनाइयों और संकटों का सामना करना पड़ा। विरोधी दलों द्वारा हर रोज अव्यवस्था पैदा की जा रही है, फास्स्टिवादी आन्दोलन किये जा रहे हैं। फिर भी हमारी विदेश नीति सफल हुई है और उसके आशानुकूल परिणाम निकले हैं।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : हमारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम में एक ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया था जिसे हम फ्रन्टियर गांधी कहते हैं शायद विदेश मंत्री ने आज के समाचार पत्रों को देखा होगा उनमें उनके सम्बन्ध में समाचार छपा है। हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्त्तव्य है। हमारे राष्ट्र-पिता ने उन्हें कुछ वचन दिया था। मैं चह्वान साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन देश का विभाजन हुआ था उस दिन खान अब्दुल गफ्फार खान तथा डा० खान साहेब दोनों भाई कार्यकारिणी समिति से चुपचाप बिना कुछ बोले आंखों में आंसू लिये चले गये थे और उसी दिन प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने समूचे राष्ट्र की ओर से यह प्रतिज्ञा की थी कि अगर पखतूनिस्तान और बलूचिस्तान की जनता की सुरक्षा, सम्मान, गौरव, अधिकार और विशेषाधिकार कभी खतरे में पड़ते हैं तो भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का अधिकार होगा। किन्तु हम चुप हैं शिमला समझौते के नाम पर हम कोई शब्द नहीं कह रहे हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी इस तथ्य को नकार नहीं सके हैं कि भारी संख्या में पाकिस्तान की बलोची और पखतूनी जनता अफगानिस्तान में प्रवेश कर रही है। वहा इतना अत्याचार हो रहा है और हम राजनयिक सिद्धान्तों को इतना महत्व दे रहे हैं कि इन अत्याचारों के विरोध में हम एक शब्द का भी उच्चारण नहीं करना चाहते। क्या हमारी आत्माओं का इतना पतन

हो चुका है ? शिमला समझौते को बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। केवल मैंने यह बात कही थी कि यह समझौता ताशकन्द समझौते से भी बदतर है। मेरा उपहास उड़ाया गया। किन्तु इससे क्या ठोस उपलब्धि हुई है। ठोस उपलब्धि यही है कि हमारी प्रधान मंत्री कहती हैं कि आज हमारे देश पर आक्रमण का खतरा है।

युद्ध एक त्रासदी है किन्तु अधूरा युद्ध तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है और हम पर तीन युद्ध थोपे गये हैं। और यह तीनों युद्ध अधूरे युद्ध थे और प्रत्येक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध हुआ। पाकिस्तान के साथ अगले युद्ध को टाला नहीं जा सकता। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम पाकिस्तान पर अधिकार कर लें किन्तु यह चाहता हूँ कि जब तक दुश्मन की कमर न तोड़ दी जाये तब तक युद्ध से बचा नहीं जा सकता। अधूरा युद्ध एक महान त्रासदी होता है। विदेश नीति कमजोर हो तो उससे युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें बड़े पैमाने पर मानव विनाश होता है। शिमला समझौते से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, इससे कोई आशा नहीं है।

हमें इस सम्बन्ध में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। पाकिस्तान में वर्तमान वातावरण के संदर्भ में पाकिस्तान के उद्भव के आधार का कोई नैतिक कारण नहीं रहा है। राष्ट्रवाद में सिद्धान्त समाप्त हो चुका है और अब ऐसा समय आ गया है कि जब तक भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश को मिलाकर महासंघ नहीं बनाया जाता तब तक इस महाद्वीप का कोई भविष्य नहीं है।

पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय आय का 60% और भारत 20 से 30 प्रतिशत सुरक्षा पर व्यय कर रहा है अगर हम एक संयुक्त विदेश नीति के लिये थोड़ी प्रभुसत्ता का त्याग करें तो उससे इस उपमहाद्वीप का भला हो सकता है। हमारे देश का सामाजिक-आर्थिक विकास तभी सम्भव है जब सुरक्षा पर दिया जा रहा विपुल व्यय कम किया जाये। अतः इसका यही उपाय है कि एक महासंघ बनाया जाये और एक संयुक्त विदेश नीति का निर्माण किया जाये जिससे युद्धों से बचा जा सके। महासंघ के सुझाव पर मुझे प्रतिक्रियावादी, विस्तारवादी, साम्राज्यवादी आदि कहा जा सकता है। किन्तु मेरा यह सुझाव उपमहाद्वीप के भविष्य के हित में है।

हम अपनी स्वतन्त्र गुट-निरपेक्ष विदेश नीति के बारे में कहते रहते हैं किन्तु मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। हमें सब देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिएं। इसमें सन्देह नहीं है कि रूस की मित्रता हमारे लिये महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने भारत-पाक युद्ध के समय हमारी सहायता की थी किन्तु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि हम रूस के प्रभाव से बाहर नहीं निकले। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी अधिकांश कठिनाइयां और जटिलताएं इसलिये हैं कि हम रूस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं आना चाहते।

विदेश मंत्री जी को इस पक्ष पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। वह हमें विश्वास दिला सकते हैं कि हम सोवियत संघ पर अधिक निर्भर नहीं हैं किन्तु वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस विश्वास को कैसे दिला सकते हैं आप यह कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि हमारी नीति वास्तव में गुट-निरपेक्ष नीति है ? विश्व की कूटनीतिज्ञ नीतियों में अत्यधिक परिवर्तन आ गया है। साम्यवादी देश अपने सिद्धांतों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते हैं। आज विश्व के धरातल में लगभग सभी देश यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्रहित में है किन्तु हम इस सिद्धान्त को न अपना कर कूटनीतिज्ञ सिद्धान्तों को अपना रहे हैं, यह हमारी विदेशनीति में एक दूसरी बाधा है।

अरब देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे होने चाहिएं किन्तु इसराईल के बारे में हमारी नीति क्या है । क्या इसराईल के सम्बन्ध में हम वास्तव में धर्म निरपेक्ष नीति का पालन कर रहे हैं ? इसराईल के बारे में हमारी विचारधारा सिद्धान्तों पर आधारित है । यह सही है कि इसराईल को अरब क्षेत्र अपने अधिकार में रखने का कोई अधिकार नहीं है । हमें किसी न किसी प्रकार अरब-इसराईल समस्या का समाधान करना चाहिये । हमारा मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिये ।

दूर पूर्व के लिये कोई विदेश नीति नहीं रही है । जो हमारी विदेश नीति थी एक बहुत बड़ी त्रुटि रही है। अतः हमें उन देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहिये तथा उनसे सम्बन्ध बढ़ाने चाहिएं। दूर पूर्व एशिया के प्रति सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण की झलक हमारी विदेश नीति में मिलनी चाहिये । दूर पूर्व के देशों में स्थित हमारे दूतावासों पर किये जाने वाला व्यय बहुत कम है। भारत तथा दूर पूर्व देशों के बीच कोई सांस्कृतिक आदान-प्रदान नहीं है।

सिंगापुर स्थित नेताजी के आवास और आजाद हिन्द सरकार के मुख्यालय को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना चाहिये ।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : The foreign policy of the country is based on the concept of non-alignment. India has been extending her support to the democratic countries. It may be that this gesture on the part of India may have caused irritation to the imperialist or capitalist countries but India has been supporting the cause of humanity in the world. The foreign policy of the country has proved successful from this point of view. We might not have made much dent in the sphere of economic development and may be lagging behind militarily but our political influence has been increasing. Our concept of non-alignment policy is sometimes questioned but the emergence of Bangla Desh and our friendship with the country will prove the success of our non-alignment policy. The confidence of other countries have increased in us. The people of Sikkim have voted to become an integral part of India. We also wanted friendship with Nepal but there has been some set back recently due to an assault on Indian students in Kathmandu. However, it was necessary to look into the whole matter and clear the misunderstanding. Cultural centres should be opened almost on all the important places on the border of India and Nepal. It was also necessary to streamline the working of our embassies abroad. Our policy in regard to Arab countries has been very effective and successful.

Our relations with Afghanistan are also cordial. People and leaders from that country have come to visit India and they have carried back sweet memories with them. We have good relations with South and East Asian countries including Iraq. Our policy in regard to Arab countries has again proved successful. U.S.A. is trying to establish its influence in the Indian Ocean. Military bases are being built there by U.S.A. The presence of U.S.A. in the Indian Ocean is posing a threat not only to India but to all the littoral states. Even there is a threat to Russia also. It is natural that Russia will oppose it and this in turn will endanger the peace of the area. So the policy of our country that the presence of big powers should not be in the Indian Ocean and it should be a zone of peace, bears testimony to the fact that India is pursuing a pragmatic foreign policy.

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दल हमेशा से भारत सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता रहा है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर कुछ तथ्य सदन और मन्त्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

बेरोजगारी के इन दिनों में हमारा शिक्षित युवावर्ग भारत से बाहर नौकरियों की खोज में जाना चाहता है किन्तु इसके लिये जब वह पासपोर्ट के लिये आवेदन पत्र देते हैं तो उनके सामने कई बाधायें आती हैं । नियम बहुत ही कड़े हैं। आम आदमी के लिये संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर करवाना बड़ा कठिन है। वे लोग बिना

जांच के हस्ताक्षर नहीं करते। जांच करने में बड़ा समय लगता है। अतः जब तक पासपोर्ट बनता है बहुत विलम्ब हो जाता है नौकरी देने वाला देश अन्य देशों से व्यक्ति ले लेता है। पासपोर्ट जारी करने में भी भ्रष्टाचार का सहारा लिया जाता है। सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि स्थिति में सुधार हो सके। अगर सरकार अपने युवावर्ग को नौकरियां नहीं दे सकती तो कम से कम पासपोर्ट दिलवाने में तो सहायता करनी चाहिये। खाड़ी के देशों से संसद सदस्यों को अनेक पत्र आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि उन देशों में भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को रोजगार दिलवाने में कोई सहायता नहीं करते। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देकर उपचारात्मक कदम उठाने चाहिएं।

सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के कार्य को सही ढंग से चलाने के लिये नये सिरे से उसका प्रबन्ध करना आवश्यक है। तेल संकट के बाद से इस दूतावास का महत्व बढ़ गया है और हमें उनके साथ मित्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दूतावास में वरिष्ठ राजदूत भेजा जाना चाहिये।

हज यात्रियों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है क्योंकि वहां पर अब ठहरने के लिये स्थान का अधिक मूल्य देना पड़ता है।

हरेम शैरिफ के विस्तार हेतु गिराये गये केवी रूब्त में बनाने के लिये सरकार को कदम उठाने चाहिएं। यदि सरकार सऊदी अरब सरकार के साथ मामला उठाकर रूब्त को बनाती है तो केरल के हाजियों को इससे बहुत सहायता मिलेगी।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में भी सुधार होना चाहिये। अगर दोनों देशों में सम्बन्ध अच्छे हो जायें तो यह दोनो देशों के हित में ही होगा। किन्तु दुर्भाग्य से पाकिस्तान शिमला समझौते का पालन नहीं कर रहा है किन्तु दोनों देश सर्वदा शत्रु नहीं बने रह सकते। हमें पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से मुक्त कराने के लिये कदम उठाने चाहिएं।

फिलस्तीनी मुक्ति मोर्चे सम्बन्धी सरकारी नीति का मैं समर्थन करता हूं। उन्हें सहायता तथा मान्यता देकर सरकार ने ठीक ही काम किया है। इस नीति का अरब के मित्र देशों पर भी प्रभाव पड़ा है और पाकिस्तान के विरोधी प्रचार के बावजूद भी उन देशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है।

हमें इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये जिससे हमारे दूतावासों के व्यय में कमी की जा सके। हमारे कुछ दूतावास अंधाधुंध व्यय कर रहे हैं। भारत इतना व्यय करने की स्थिति में नहीं है। हमें अरब देशों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The foreign policy of India has always been to extend a helping hand to all those countries who have waged a war against Imperialism. India has always helped those who are fighting the battle of liberation against imperialist regimes. We were proud of such a foreign policy and it has the backing of the people and it is being supported by our domestic policies.

Our Government deserve thanks for recognition accorded to the P.L.O. and Sihanouk Government of Cambodia. It is hoped that they will also accord recognition to P. R. G. very soon. India is the first country in Asia to recognise P. L. O. The issues of Arab unity, oil policy and palestine were inter-related and they could not be resolved in isolation. The great leader of P.L. O. Mr. Yasir Arafat has expressed a desire to visit India and the Minister should express his views about his arrival here. It would have been better if we withdraw the recognition to Israel. There is no significance of recognition of countries like Israel or Chile who are aggressors and stooges of imperialism.

The resumption of arms supply by USA to Pakistan has posed a danger to our country and also to Afghanistan in particular. However, Pakistan should adopt such ways as did not create tention in this region. On the other side, China has set up a nuclear base in Tibet. They have drawn up a scheme to grab entire Tibet and it is our responsibility to help the Tibetan people who should be given full right for self-determination.

It is also our desire that Indian Ocean be declared an area of peace and in that context, the steps taken by the Government of India for entering into negotiations with the littoral countries in Indian Ocean were quite justified. It is hoped that even the United Nations will declare this area as a peace zone with a view to provide for the security of South-East Asia.

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon): The basis of India's foreign policy has been peace and friendship with neighbouring countries. It is for the purpose of achieving permanent peace that we made Simla Pact with Pakistan. Similarly, our relations has been very friendly and cordial with other neighbouring countries like Burma, Afghanistan or Thailand or Sri Lanka. Now the U.S.A. has resumed arms supplies to Pakistan which smacked of their unholy intentions. Repeated assurances are given by USA that the arms supplied by them would not be used against India, but our experience is that they have always been used against India. Dr. Kissenger has said during his visit to India that they were not interested in resuming arms supplies to Pakistan but but now they have changed their stand. It is well known that we always stood for peace. But if it was imposed on us, we would not run away. It is not known why USA's policy which was land-based earlier is now going to be water-based and they proposed to extend the net work of nuclear sub-marines in the Indian Ocean.

We want that the entire Indo-China should get united under one flag and for that matter, we should extend our support to P.R.G. We also want that Arab countries should unite and foil the conspiracy of USA in the Middle East.

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड़) : विश्व में मुद्रा स्थिति में अस्थिरता के कारण विकासशील देशों के लिये 1974 का वर्ष आर्थिक संकट का वर्ष रहा है। विश्व पुन: एक प्रकार की औद्योगिक क्रान्ति में से गुजर रहा है। इस प्रकार तेल संकट का भी महत्व बढ़ गया है इस सन्दर्भ में हमारे विदेश मंत्रालय के भी अनेक उत्तरदायित्व बढ़ गये हैं अब इसे देश की आर्थिक स्थिति को भी देखना पड़ता है। इस मंत्रालय को विदेश नीति बनाते समय विभिन्न देशों में आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा तकनीकी सम्बन्धों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है।

विदेशों में हमारे लगभग 117 दूतावास हैं जिनमें 3000 व्यक्ति काम कर रहे हैं। हमारे दूतावासों पर हो रहे फिजूल खर्च में कमी लाई जानी चाहिये। इन दूतावासों में वहां के व्यक्तियों के स्थान पर भारत से व्यक्ति भेजे जाने चाहियें।

हमने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के देशों में अपने दूतावासों की अपेक्षा पश्चिमी देशों में अपने दूतावासों पर अधिक ध्यान दिया है। तेल संकट के सन्दर्भ में हमें खाड़ी देशों के साथ अपने सम्बन्धों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

हमारा देश एशिया के केन्द्र में बसा हुआ है अत: पारस्परिक विकास के लिये हमें किसी एशियाई संगठन की स्थापना करनी चाहिए। पश्चिम एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में कुछ होता है तो हमें उस पर चिन्ता होती है। एक समय था जब इन देशों में कुछ होता था तो भारत उसमें सक्रिय होता था किन्तु अब किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं है किन्तु इन क्षेत्रों में घटने वाली घटनाओं पर हम चिन्तित अवश्य होते हैं।

भारत के अमरीका और रूस के साथ सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे की बातों में दखल न देने पर आधारित हैं। सोवियत रूस ने भारत की आणविक प्रौद्योगिकी को उचित परिपेक्ष्य में देखा है जिसने यह स्वीकार किया है कि यह आर्थिक तथा तकनीकी आत्म-निर्भरता की दिशा में एक कदम है ।

बुल्गारिया, हंगरी, जर्मन जनवादी गणतंत्र, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों के प्रधान मन्त्रियों के दौरों से पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हमारी मित्रता तथा सहयोग में वृद्धि हुई है ।

अमरीका के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिये प्रयास करना जरूरी है। गत नवम्बर में डा० हेनरी किसिंजर भारत आये थे और उन्होंने विचार विमर्श भी किया था । यह वार्ता पहली गलत-फहमियों को दूर करने तथा दोनों देशों के बीच सद्भावना पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी । संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिये भी सहमति हो गई थी लेकिन भारत-अमरीका के सम्बन्ध, पाकिस्तान को पुनः हथियार देने के निर्णय से धूमिल पड़ गये हैं। भारत ने इस बारे में अपनी चिंता अमरीकी सरकार तक पहुंचायी है ।

अमरीका ने हिन्द महासागर में अपने नौसैनिक अड्डे बनाने आरम्भ कर दिये हैं जिससे इस क्षेत्र में खतरा उत्पन्न हो गया है । क्या कथित बड़ी शक्तियां आपसी तनाव कम करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बना रही हैं अथवा युद्ध खतरे में वृद्धि कर रही हैं ? इस सन्दर्भ में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और मुझे आशा है कि हमारी विदेश नीति और हमारे प्रयासों से विश्व शान्ति स्थापित करने में सहायता मिलेगी ।

दुर्भाग्यवश पाकिस्तान और चीन विश्व के विभिन्न भागों में भारत विरोधी प्रचार में लगे हैं। उनका प्रचार हमारी अपेक्षा अधिक सबल है। हमारी सूचना सेवा मजबूत होनी चाहिये अन्यथा हम चीन तथा पाकिस्तान की चुनौती का सामना नहीं कर सकेंगे ।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला): दक्षिण वियतनाम और कम्बोडिया में हार के बावजूद भी अमरीका ने कोई सबक नहीं सीखा है। यह अब भी एक बड़े पैमाने पर वापस आना चाहता है। अमरीका ने पाकिस्तान सहित अनेक देशों में अपनी कठपुतलियां खड़ी की हैं। यह कठपुतलियां अब भाग रही हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिये कि मांगे गये हथियारों से उनका काम नहीं चल सकता । दक्षिण अमरीका परमाणु शक्ति बन गया है । यह अब उस परमाणु क्लब में शामिल हो गया है, जो हिन्दमहासागर क्षेत्र के लिये खतरा है ।

दिएगो गार्शिया के साथ मसेरा अड्डे को अमरीका ने ओमान को हथियार देने के बदले में ओमान के सुल्तान से ले लिया है अब मसेरा, गोजर तथा आकारन आदि अड्डों से होते हुए तेल हम तक पहुंचता है। यदि अमरीका चाहे तो वह इस मार्ग में आपातकाल के समय कभी भी बाधा डाल सकता है ।

गत वर्ष किसिंजर यहां आये थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि अब पाकिस्तान को हथियार नहीं दिये जायेंगे तथा भारत और पाकिस्तान के बीच समानता का कोई प्रश्न ही नहीं है । अब वह पाकिस्तान को इस तर्क पर हथियार दे रहे हैं कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाये रखना है । वास्तव में उनका इरादा उपमहाद्वीप की सामान्य स्थिति को असामान्य बनाना है।

हमारी नीति न केवल दृढ़ होनी चाहिये बल्कि एक एशियाई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिये। हमारी नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि जिससे इस क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी रहे।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर): यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार लेटिन अमरीकी देशों की ओर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना देना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र में समिति के चुनाव में भारत 21 वोटों से हार गया था जिसमें से 17 वोट लेटिन अमरीकी देशों के थे। तब से हमें इन देशों के महत्व का पता चला है और तभी से हमने कुछ प्रगति की है। इस समय 24 या 25 लेटिन अमरीकी देशों में से 20 या 21 देशों के साथ हमारे प्रजातांत्रिक सम्बन्ध हैं जो कि उत्साहवर्धक संकेत हैं। लेकिन प्रजातांत्रिक सम्बन्धों के साथ-साथ इन देशों के साथ आर्थिक सहयोग भी होना चाहिए। हम भारत से अनेक वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं किन्तु इन देशों में हम निर्यात नहीं करते हैं। इन देशों में हमारी वस्तुओं की खपत की बड़ी सम्भावनाएं हैं किन्तु यह कहा जाता है कि वहां वस्तुओं को भेजने के लिये साधनों का अभाव है। यह महज एक बहाना है। इस सम्बन्ध में नौवहन निगम ने कुछ प्रस्ताव रखा है कि वह प्रयोगात्मक सेवा चालू करने के लिये तैयार है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: उन्होंने एक सेवा चालू कर दी है।

श्री डी० पी० जदेजा: यह केवल अर्जेनटाइना के लिये है। हम चाहें तो युगोस्लाविया के माध्यम से लतीनी अमरीका के देशों के साथ नौवहन सेवा चालू कर सकते हैं। लतीनी अमरीकी जनता में हमारे प्रति बड़ी अच्छी भावनाएं हैं। मैं मन्त्रालय को इस बात पर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हाल में ही सल्वाडर को मान्यता दी है। यह सेन्ट्रल अमरीका के छोटे छोटे देश हैं हमें इनके साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लतीनी अमरीका के देश के साथ हमें व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित करने चाहिएं वहां के एक-आधे देश के साथ ऐसे सम्बन्धों के होने का यह अभिप्राय नहीं है कि उससे समूचे लतीनी अमरीका के देशों के साथ हमारे सम्बन्ध हैं। वहां हमें किसी वरिष्ठ राजनयिक दूत की नियुक्ति करनी चाहिये।

1971 में लतीनी अमरीकी संसद ने भारत से एक प्रेक्षक को निमन्त्रित किया था। 1972 में भी उन्होंने निमन्त्रित किया और भारत सरकार ने दोनों बार अपना प्रेक्षक भेजा था। 1974 में उन्होंने एक प्रेक्षक के लिये निमन्त्रण दिया किन्तु भारत सरकार ने कोई प्रेक्षक नहीं भेजा।

1972 से भारत सरकार लतीनी अमरीका, अफ्रीका तथा एशिया के लोकतान्त्रिक देशों का एक सयुक्त सम्मेलन बुलाने का प्रयास कर रही है। इसका कार्य हमें सौंपा गया था। किन्तु अब इस सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैंने मंत्रालय से पूछा तो उन्होंने कहा है कि यह कार्य लोकसभा सचिवालय करेगा और सचिवालय वाले कहते हैं कि हम किसी न किसी स्तर पर इस पर कार्यवाही करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में हुए विलम्ब से हमारी बदनामी हुई है। इसमें कौन दोषी है मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हम लतीनी अमरीका के देशों का विश्वास

पुनः प्राप्त करने के लिये कौन-सी कार्यवाही कर रहे हैं। इन देशों का लोकतन्त्र में बड़ा विश्वास है और भारत उनके लिये एक लोकतन्त्र राष्ट्र है जिसका वह अनुसरण करना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री शिवाजी राव एस०. देशमुख (परभणी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि पहली बार किसी विशिष्ट राजनीतिज्ञ तथा मंत्रिमण्डल के एक वरिष्ठ मंत्री को विदेश मंत्रालय का भार सौंपा गया है यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपनी क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि समाजवादी विचार धारा तथा एक नये रवैये से अफ्रीकी-एशियाई एकता के लिये नये सिर से नई आशाओं को जन्म दिया है। अभी हाल में ही जिस सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया है (जिसमें उन्होंने तीन प्रमुख सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है) उससे न केवल अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है बल्कि प्रथम बार भारतीय योगदान का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। शायद उन्हें अतीत के सिद्धान्तों को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त हुई है।

विदेश नीति को सफल बनाने के लिये उसके प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता होती है विदेश मन्त्री ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है और हमें आशा है कि अफ्रीकी एशियाई एकता स्थापित करने के सम्बन्ध में एक अच्छी नीति बनाने का प्रयास किया जायगा। हमारा सम्बन्ध अफ्रीका और एशिया के साथ है। हमारा न केवल उपनिवेशवादी अतीत एक जैसा है वर्तमान साम्राज्यवादी शोषण एक-सा है बल्कि संघर्षरत इन देशों के प्रति हमारी सहानुभूति है। उनका यह संघर्ष लम्बा होगा और इस संघर्ष में भारत का उदाहरण उनके लिये अनुकरणीय होगा।

जवाहर लाल जी के युग से ही भारत की विदेश नीति का विश्व में पिछड़े देशों में बहुत सम्मान है। जहां कहीं भी अन्याय हुआ है भारत ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई है भारत की राय का सम्मान किया गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में उसकी राय से लाभ उठाया गया है।

हम विदेश मंत्री से किसी करिश्मे की आशा नहीं करते किन्तु इतनी आशा अवश्य करते हैं कि वह अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे विशेषकर अफ्रीकी-एशियाई देशों में भाईचारे की भावनाओं का सुदृढ़ आधार बना दें।

नेहरुजी चाहते थे कि वह एशियाई एकता के लिये एशियन कामनवैल्थ की स्थापना करना चाहते थे किन्तु उनकी मृत्यु से उनकी इस इच्छा को आकार नहीं मिल सका। एशियन बैंक के रूप में एक सीमित सहयोग से समस्या का जरा भी समाधान नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में हमें कुछ कार्यावाही करनी चाहिये ताकि ऐशियाई देशों में सामाजिक-राजनीतिक आधार पर कुछ सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें।

भारत को अब अपने आप को स्टर्लिंग ब्लाक से निकाल लेना चाहिये क्योंकि अब हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत व्यापक पैमाने पर हो गया है जिसमें ब्रिटेन के साथ 15–20 प्रतिशत से भी कम है अतः अब भारत को स्टर्लिंग ब्लाक में रहने की आवश्यकता नहीं है और अब भारत को अपनी मुद्रा का विकास करना चाहिये जिसमें भारत, बंगला देश, नेपाल और श्रीलंका शामिल हों जिससे व्यापार में और सहायता मिलेगी।

विकासशील देश भारत को न केवल भारतीय प्रौद्योगिकी तथा भारतीय राजनीतिक ज्ञान के लिये बल्कि पिछड़े राष्ट्रों के नेता के रूप में भी देखते हैं मैं आशा करता हूं कि हमारी विदेश नीति का निर्माण इस बात को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर विचार-विमर्श करने का बहुत ही कम अवसर प्राप्त हो रहा है। जब विदेश मंत्रालय की सदन में मांगे प्रस्तुत की जाती हैं तभी इस पर चर्चा की जाती है। जब जवाहर लाल नेहरू जिन्दा थे तो वह घन्टों इस विषय पर चर्चा कराते थे। श्री कृष्णा मेनन भी अब नहीं रहे। मैंने यह बात उनसे पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि संसद को अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विश्वास में नहीं लिया जाता और सरकार इस प्रश्न पर सदन में उचित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करती। अतः इस सदन में अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिये।

वियतनाम में हुये परिवर्तनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साम्राज्यवादी शक्तियों की हार हुई है और मनुष्य की आधारभूत मूल्यों की खोज की अदम्य लालसा की विजय हुई है। इस संघर्ष के समापन में अमरीकी साम्राज्यवाद की हार हुई है। यह संघर्ष विश्व इतिहास में स्वर्णिम शब्दों में अंकित होगा। हमारे विदेश मंत्री हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के नेता थे और उन्होंने इतिहास के निर्माण को केवल देखा ही नहीं बल्कि उन्होंने इतिहास का निर्माण भी किया है वह अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने से भला कैसे चूक सकते हैं। सरकार ने कम्बोडिया सरकार को मान्यता देकर अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया है और इस प्रकार यह बता दिया है कि हम साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध और प्रगति की शक्तियों के साथ हैं। इस वर्ष हमारे उप-महाद्वीप में एक बड़ी ही अच्छी घटना घटी है। सिक्किम में जो हो रहा है उस पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय टिप्पणीयां की जा रही हैं किन्तु सच तो यह है कि यह लोकतन्त्र और सामन्तवादी शक्तियों में संघर्ष है। इसे भारत ने नहीं भड़काया है। अगर सिक्किम में लोकतन्त्रीय शक्तियों का विकास हो गया है तो इसके लिये भारत को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है अगर सिक्किम में लोकतन्त्र भारत में विलय चाहती है तो भारत सरकार तथा यह सभा उन्हें अपना समर्थन देगी और उन्हें भारत परिवार में मिलने दिया जायेगा। अगर सिक्किम भारत में मिलता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि हमने किसी के क्षेत्र पर हमला किया है अथवा हम आक्रमण की नीति में विश्वास करते हैं। किन्तु विश्व में कुछ देश हमारी कटु आलोचना कर रहे हैं। किन्तु सिक्किम में लोकतंत्र शक्तियां भारत में विलय चाहती हैं।

पुर्तगाल जैसे अन्य देशों म कुछ अच्छी बातें हुई हैं। हमें आशा है हमारे इन देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध होंगे। भारत-अमरीका सम्बन्धों की भी इस सदन में चर्चा हुई है। हम सब देशों से मित्रता चाहते हैं और भारत और अमरीका के बीच मित्रता चाहते हैं।

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने 6 घन्टों की इस चर्चा में भाग लिया है। मैंने इन भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है। कुछ सदस्यों ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं मैं उनके प्रति आभारी हूं। मैं भी सुझाव चाहता था क्योंकि विदेश मन्त्रालय का कार्यभार संभालने के पश्चात् मुझे भी कुछ निर्देश चाहिए थे। दुर्भाग्य से सदन में इस पर चर्चा करने का अधिक समय नहीं मिल सका है। किन्तु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह भी विदेश कार्यों सम्बन्धी समस्याओं पर इस सदन में चर्चा की इच्छुक है क्योंकि इससे सरकार को अपनी नीतियों पर पुनः विचार करने का अवसर प्राप्त होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बड़े महत्वपूर्ण स्थिति में है। दो वर्ष पूर्व से आज की स्थिति कुछ भिन्न है। यह युग तनाव शैथिल्य का युग है अब सहयोग का युग आरम्भ हो गया है, किन्तु इसकी परिणति अभी वास्तविकता में नहीं हुई है। रूस और अमरीका सहयोग की नीति अपना रहे हैं और इस दिशा में वह धीमी किन्तु ठोस प्रगति कर रहे हैं। उनके रास्ते में अनेक कठिनाइयां आईं किन्तु उन्होंने संघर्ष को बचा लिया और हम उनके इस सहयोग की भावना का स्वागत करते हैं।

इस सम्बन्ध में इन दोनों बड़ी शक्तियों के साथ चीन के सम्बन्ध भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चीन और अमरीका में भी आपसी सम्बन्ध कुछ सीमा तक सुधर रहे हैं। किन्तु रूस और चीन में सन्देह और कटुता बनी हुई है। मैं मात्र उन तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं जो अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करते हैं। एशिया में जनता की जीत हो रही है यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पंडित नेहरू ने भी कुछ इस प्रकार की बात कही थी कि एशिया में एक नये प्रकार का वातावरण उत्पन्न होगा। आज एशिया की स्थिति में आया परिवर्तन इस ओर ही संकेत कर रहा है।

कम्बोडिया, दक्षिण वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल में जो कुछ हुआ है उसे हम देख चुके हैं। निस्सन्देह अफ्रीका और एशिया में जनशक्तियों ने आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफी प्रभाव डाला है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात तीसरे विश्व की है। इसकी एक विशेषता गुट-निरपेक्ष आन्दोलन है। यह एक ऐसा आन्दोलन है जिसे विश्व को मानना होगा और इसे महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में स्वीकार करना होगा। हमने देखा है कि अधिकांश गुट-निरपेक्ष देश विकासशील देश हैं और उनमें से अधिकांश तीसरे विश्व से सम्बन्धित हैं। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष सत्र एवं महासभा अधिवेशन से इस बात का पता चला कि तीसरा विश्व और उसके लोग अपने अस्तित्व के लिए ही संघर्ष नहीं कर रहे बल्कि अपने अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं। वे न्याय और समता के लिए मार्ग और उपाय ढूंढ रहे हैं।

तेल उपभोक्ताओं और तेल-उत्पादकों के बीच मतभेद का प्रश्न है। मतभेद का रवैया अपनाने के बजाय हम सहयोग का रवैया अपना सकते हैं। अब भी पेरिस में हमारे प्रतिनिधि तेल उपभोक्ताओं और तेल उत्पादकों तथा अन्य देशों के बीच सम्मेलन के लिए एक प्रारंभिक बैठक में भाग ले रहे हैं। मुझे आशा है कि इस सहयोग के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ सकेंगे।

मैं आर्थिक मामलों का सविस्तार उल्लेख करता हूं, क्योंकि वर्तमान आर्थिक एवं मुद्रा सम्बन्धी समस्यायें और आर्थिक संकट, जो विदेशी मामलों के बारे में नीति-निर्धारण पर प्रभाव डाल सकते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का एक पहलू है। आप आर्थिक मामलों को राजनीतिक मामलों से अलग नहीं कर सकते।

मैं गुट निरपेक्षता के बारे में बात कर रहा था। गुट निरपेक्षता के आन्दोलन में भी, गुटनिरपेक्ष देशों की एकता बनाये रखने के प्रयोजन से हमें सहयोग का क्षेत्र ढूंढ़ना होगा तभी हम गुटनिरपेक्ष देशों, विकासशील देशों, तीसरे विश्व के देशों के साथ सहयोग कर सकेंगे और तभी एकता बनी रह सकेगी। गुट निरपेक्ष देशों की यह एकता विश्व में प्रगतिशील शक्तियों की एक बड़ी गारंटी है।

जैसा कि हमने कहा है कि गुटनिरपेक्षता एक तरह का आन्दोलन है, गुट-निरपेक्षता के उद्देश्य और सिद्धान्त विश्व की अधिकांश जनता के लिए स्वतंत्रता, शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बहुत मान्यता रखते हैं और भारत इन सिद्धान्तों को बनाये रखने के लिए अपनी भूमिका निभाता रहेगा। साइप्रस में जो कुछ हुआ, वह गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के बीच एकता के महत्व को प्रदर्शित करता है। हम साइप्रस की सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता, स्वतंत्रता और गुट-निरपेक्ष दर्जे का पूरा समर्थन करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी मूल स्थिति यह है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ दृढ़ आधारों पर मित्रता स्थापित करना चाहते हैं। यह हमारी विदेश नीति का मुख्य अंग है। अतः आप हमें देशवार स्थिति बताने की अनुमति दें, क्योंकि यह अधिक महत्वपूर्ण है (व्यवधान)

पहले हम पाकिस्तान को लेते हैं क्योंकि यह सबसे निकट है। भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति की आलोचना की गई। हमें यह महसूस करना होगा कि वर्ष 1971 में महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वर्ष 1971 की सफलता का परिणाम यह रहा कि सार्वभौमिक बंगला देश का उदय हुआ और भारत ने संघर्षरत व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हमें स्थिति को समझना होगा। पाकिस्तान और उसके अन्य मित्र देशों ने बंगलादेश को मान्यता प्रदान की है। इसके बाद हमें कतिपय मानवीय समस्याओं को हल करना पड़ा। हमें पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों की समस्या हल करनी पड़ी। इसके साथ ही शिमला समझौते ने उप-महाद्वीप में एक संधि का रूप दिया है। इसके बाद निस्संदेह पाकिस्तान ने टेढ़ा-मेढ़ा रवैया अपनाया है। पाकिस्तान को यह स्थिति स्वीकार करनी होगी कि इसे भारत के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करने होंगे और इस सम्बन्ध में प्रयास किये गये हैं। परन्तु पाकिस्तान का ऐसा रवैया रहा, जिसे उसे अपने खुद के प्रयासों से सुधारना होगा। सम्भव है कि इसमें सुधार के लिए हमें उसकी सहायता करनी पड़े और यह भी संभव है कि इतिहास इसमें सुधार करे।

अणु विस्फोट और शेख अब्दुल्ला के साथ कश्मीर समझौता, जो हमने शांतिप्रिय उद्देश्यों के लिए किया था, पर पाकिस्तान का रवैया ऐसा था कि कुछ कठिनाइयां पैदा हो गईं। फिर उसके बाद कुछ प्रगति हुई तो अमरीका ने उसे हथियार देने की घोषणा कर दी। इससे दोनों देशों में सामान्यीकरण का कार्य रुक गया। इससे अमरीका और भारत के सम्बन्धों में भी कुछ तनाव पैदा हुआ। फिर भी हमारी नीति यह है कि यह सब होते हुए भी हमें पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने का प्रयास करते रहना है क्योंकि हमारा विश्वास पाकिस्तान के साथ मित्रता में है और हमारे प्रयास इसी दिशा में होंगे।

दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्र में भी हमारी नीति यह है कि इस क्षेत्र के देशों में परस्पर लाभदायक सहयोग की संभावना का पता लगाने के लिए हमने सतत प्रयास किया है और इसमें हमें कुछ सफलता भी मिली है।

दक्षिण प्रशान्त महासागर में हमने आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये हैं। इसका उदाहरण यह है कि हिन्द महासागर के एक शांति क्षेत्र के प्रश्न पर आस्ट्रेलिया के रवैये में बहुमूल्य परिवर्तन आया है।

एशिया के लगभग सभी देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय सम्बन्ध काफी सन्तोषजनक हैं। परन्तु एशिया के देशों में एकता के विकास के लिए कोई एक मंच बनाने की बात काफी महत्वपूर्ण है। ऐसी बात नहीं है कि एशिया का कोई ऐसा मंच ही नहीं, जहां पर किसी बात की चर्चा हो सके। आर्थिक क्षेत्र में कतिपय ऐसी संस्थायें हैं जो ई० ए० सी० ए०, एशियाई विकास बैंक आदि के रूप में कार्य कर रही हैं जहां निसंदेह कुछ ऐसे मंच हैं, जहां हम एक साथ बैठकर कार्य कर सकते हैं। फिर भी हम यह महसूस करते हैं कि कोई ऐसा मंच होना चाहिए जहां हम एशियायी देशों के बारे में परस्पर कोई परामर्श कर सकें। परन्तु इस प्रकार की क्षेत्रीय परामर्शदात्री संस्था के बनाने में राजनीतिक और कुछ अन्य कारण बाधक हैं। फिर भी हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे एशियाई एकता का विकास हो सके।

हाल ही में हमने कई पड़ोसी देशों से बड़े पुराने विवादों का निपटारा किया है। श्रीलंका के साथ कच्चार्टीवू के बारे में समझौता हो गया है। बंगलादेश के साथ भी हमने धरती की सीमा का निपटारा किया है।

सभा को बंगलादेश में हाल में हुए राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों की जानकारी है। परन्तु उससे दोनों देशों की मित्रता और सहयोग में कोई अन्तर नहीं आया है। गुट-निरपेक्षता की नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम तो इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि उस देश से हमारी मित्रता बनी रहे; दोनों देशों के बीच कुछ सुलझाने वाली समस्यायें हैं। हमें विश्वास है कि उन्हें मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जायेगा। जिससे दोनों देशों के हितों को संरक्षण मिलेगा।

नेपाल के साथ हमारी पुरानी मैत्री है। हमें आशा है कि परस्पर सम्मान के आधार पर हम मधुर सम्बन्ध बनाये रख सकते हैं। हमने अनेक मामलों में नेपाली हितों और आकांक्षाओं का ध्यान रखा है। एक दूसरे के प्रति सद्भावना, परस्पर लाभ और सम्मान तथा एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति से दोनों देशों के बीच सुखद सम्बन्ध स्थापित रह सकते हैं।

अरब-इस्राइली समस्या पर हमारा दृष्टिकोण सर्वविदित है। हमारा निरन्तर यह विचार रहा है कि आक्रमणकारी को आक्रमण का लाभ नहीं मिलना चाहिये। हम फिलिस्तीनी लोगों के उचित अधिकारों को भी मानते हैं। इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। अरब राज्य इस बात को मानते हैं कि उनको दिया गया हमारा समर्थन ऐसे ही नहीं है, वह किसी सिद्धान्त पर आधारित है। इससे परस्पर लाभ के क्षेत्रों में भारत-अरब सहयोग बढ़ा है। हमने फिलिस्तीनी मुक्ति संघ को भी मान्यता दी है। उसे फिलिस्तीनी लोगों का वैध प्रतिनिधि स्वीकार किया है। जब इसने हाल ही में दिल्ली में अपना कार्यालय खोलने की अनुमति मांगी तो हमने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। कार्यालय ने काम करना भी आरम्भ कर दिया है।

हमने फारस खाड़ी के देशों से अपने सम्बन्ध अच्छे बनाने में सफलता प्राप्त की है। गत कुछेक महीनों में हम उस देश के साथ सहयोग का क्षेत्र बढ़ा सके हैं। सऊदी अरब से भी सहयोग बढ़ा है।

गत कुछ वर्षों से ईरान के साथ हमारा निकट का संपर्क बढ़ा है और आर्थिक क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा है । पाकिस्तान के साथ उसकी मित्रता का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और हम इस द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ायेंगे ।

ईरान के साथ हमारे संबंध पारंपरिक दृष्टि से निकट के और मैत्रीपूर्ण हैं । हमारी प्रधान मंत्री इस वर्ष जब वहां गईं तो उनका वहां भव्य स्वागत किया गया । ईरान ही ऐसा देश है जिसने आवश्यकता के समय हमें आसान शर्तों पर तेल देना स्वीकार किया ।

अफगानिस्तान के साथ भी हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हैं । अफगानिस्तान के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है । खान अब्दुल गफ्फार खां पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनकी गिरफ्तारी से हमें चिन्ता हुई है ।

चीन के साथ संबंध सुधारने की दिशा में भी हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है । इस बात की घोषणा हम कई बार कर चुके हैं । परन्तु उसकी ओर से संबंध सुधारने के कोई संकेत हमें नहीं मिले हैं । वह कश्मीर, सिक्किम, पाकिस्तान और नेपाल को लेकर भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहा है ।

पश्चिमी यूरोप के देशों से भी हमारे संबंध काफी अच्छे हैं । आशा है कि आने वाले समय में ये संबंध और मधुर होंगे । पुर्तगाल में हुए परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण हैं । लगभग चार दशाब्दियों के फासिस्टवादी शासन के बाद वहां लोकतंत्रीय सरकार बनी है । इससे अफ्रीका के अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा है ।

लेटिन अमरीकी देशों से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं । इन देशों में गुट-निरपेक्षता की नीति मजबूत हो रही है और वे तीसरे विश्व की समस्याओं में दिलचस्पी ले रहे हैं । हम इन देशों से अपना व्यापार भी बढ़ा रहे हैं ।

पूर्व यूरोपीय देशों और रूस के साथ हमारे संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण हैं । रूस ने हमेशा जरूरत के समय हमारा साथ दिया है । रूस के साथ हमारे संबंध निरंतर बढ़ते जायेंगे । इस वर्ष पूर्वी यूरोप के तीन प्रधान मंत्री भारत आये और उनके साथ विश्व समस्याओं के के बारे में हमारा मतैक्य था । इन देशों के साथ हमारा व्यापार और आर्थिक सहयोग निरंतर बढ़ रहा है ।

अमरीका के डा० हेनरी कीसिंजर जब भारत आये थे तब यह आशा बनी थी कि भारत और अमरीका की मैत्री बढ़ेगी परन्तु जब उन्होंने पाकिस्तान को दिये जाने वाले हथियारों से रोक हटा ली तो इस दिशा में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गईं । हम चाहते हैं कि अमरीका के साथ हमारे संबंध अच्छे हों परन्तु यह तभी संभव है जबकि वह हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का ध्यान रखे ।

जहां तक कम्बोडिया का संबंध है, हमने उस देश को मान्यता दे दी है । अस्थाई क्रांतिकारी सरकार के साथ हमारी सहानुभूति है । निस्सन्देह इस क्षेत्र में अब एक नई स्थिति बन रही है और हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तथा ठीक समय पर उचित कार्यवाही करेंगे ।

राष्ट्रमंडल एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है जहां विचारों का आदान-प्रदान होता है । यह कोई ऐसी संस्था नहीं है जो नीति संबंधी निर्णय लेती है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सांस्कृतिक कूटनीति की बात की है । यह अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिये प्रयोग में लाई जाती है । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इस प्रकार का कार्य कर रही है और उसके माध्यम से अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान काफी व्यापक कार्यक्रमों के आधार पर होता रहता है ।

गत 6 मास में मेरा विदेश सेवा के युवक अधिकारियों से संपर्क हुआ है । उनमें से अधिकांश बड़े योग्य और देशभक्त लोग हैं । परन्तु स्थिति बदल चुकी है । निस्सन्देह सीमायें हर जगह हैं । एक तो जनशक्ति की उपलब्धि है । हमारे कुछ मिशन छोटे हैं । परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि स्थिति में सुधार किया जा सकता है । मैं इस सभा की भावना उन तक पहुंचा दूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि विदेशों में वे इस तरह कार्य करें जिससे देश की प्रतिष्ठा वहां बढ़े ।

हमारी विदेश नीति के लक्ष्य विश्व शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है । इसमें न केवल भारत का हित है परन्तु समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का भी हित है ।

संसार में जो विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के निकट आ रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं । हम सभी राष्ट्रों में प्रभुसत्ता की समानता की ही वकालत करते हैं । हमारा दृष्टिकोण ही यह है कि छोटे-बड़े अमीर-गरीब सभी देशों को अपना कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ।

भारत का विश्वास है कि इन लक्ष्यों की ओर बढ़ने में गुट-निरपेक्ष नीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है । हम हमेशा इस बात पर बल देते आये हैं कि एकता और संगठन से गुट-निरपेक्ष देश अपना विकास शील देशों और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों का संरक्षण कर सकते हैं । हम सभी प्रकार के उपनिवेशवाद, जातिवाद और भेदभाव के विरुद्ध रहे हैं । जहां पर भी ऐसा हुआ है हमने उसका विरोध किया है ।

हमने अपने क्षेत्र में शांति और सहयोग की ओर विशेष ध्यान दिया है। हमने इस क्षेत्र के देशों, विशेष रूप से अपने पड़ोसियों के साथ संबध सुदृढ़ करने के लिये विशेष प्रयास किये हैं और विभिन्न प्रकार से पहल की है ।

हम अन्य देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सद्भाव बढ़ाने तथा द्विपक्षीय सहयोग का विकास करने और मजबूत बनाने को अधिक महत्व देते हैं । हमारी विदेश नीति का यही लक्ष्य रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एच० एन० मुकर्जी, श्री राम अवतार शास्त्री और श्री मावलंकर ने अनेक कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं । जब तक कोई सदस्य यह नहीं चाहेगा कि अमुक कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाये, मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा में रखता हूँ ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : कटौती प्रस्ताव संख्या 33 अलग से रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 33 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The cut motion No. 33 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विदेश मंत्रालय की निम्नलिखित मांग संख्या 30 मतदान के लिये रखी गयी और स्वीकृत हुई ।

The following Demand No. 30 in respect of Ministry of External Affairs was put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
30	विदेश मंत्रालय	16,54,52,000	5,05,00,000

अनुदानों की मांगें, 1975-76—जारी
DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76—*contd.*

रक्षा मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रक्षा मंत्रालय की मांग संख्या 18 से 23 चर्चा और मतदान के लिये लेते हैं ।

[श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुए]
[Shri Jagannath Rao Joshi *in the Chair*]

रक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :–

माँग संख्या शीर्षक	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
18. रक्षा मंत्रालय	26,82,000	2,66,36,000
19. रक्षा सेवाएं–स्थल सेना	2,50,11,47,000	–
20. रक्षा सेवाएं–नौसेना	22,43,29,000	–
21. रक्षा सेवाएं–वायु सेना	74,06,21,000	–
22. रक्षा सेवाएं–पेंशनें	18,83,33,000	–
23. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	–	39,57,71,000

रक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
8	1.	**श्री भोगेन्द्र झा**	अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा भारत में सैनिक हस्तक्षेप और उससे उत्पन्न खतरों के प्रति अधिकारियों और अन्य वर्गों को समुचित रूप में शिक्षित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
,,	2.	,,	सीधी भर्ती किये गये अधिकारियों के मुकाबले में पदोन्नत किए गए अधिकारियों के अनुपात में पर्याप्त वृद्धि करने में असफलता।	,,
18	3.	,,	तीनों सेवाओं में अधिकारियों और जवानों के लिए एक ही "मैस" व्यवस्था करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जायें।
,,	4.	,,	तीनों सेवाओं में जवानों की शैक्षणिक और सैनिक योग्यताओं में सुधार करने के लिए उन्हें अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता।	,,
,,	5.	,,	सशस्त्र सेना नियमों और प्रथाओं में परिवर्तन करके, उन्हें अधिक लोकतंत्रीय और कम नौकरशाही बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	6.	,,	जवानों को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी ढंग पर, जैसा कि हमारे देश में स्वीकार किया गया है, शिक्षित करने की आवश्यकता।	,,
,,	7.	,,	जवानों और मध्यम दर्जे के अधिकारियों के भत्ते और उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
,,	8.	,,	सशस्त्र सेनाओं को साम्प्रदायिकता, पृथकता, जातीयता और अन्य लोकतंत्र विरोधी तथा विघटनात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रशिक्षित करने और सचेत करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
18	17.	श्री **एस० एम० बनर्जी**	आयुद्ध कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के लिये उजरत दरों का तालमेल बिठाने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
,,	18.	,,	रक्षा प्रतिष्ठानों में पर्यवेक्षकों और ड्राफ्टसमैनों के वेतनमानों को अंतिम रूप देने में असफलता।	,,
,,	19.	,,	रक्षा कर्मचारियों को बोनस देने में असफलता।	,,
,,	20.	,,	रक्षा कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार करने तथा उसे सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे के बराबर लाने में असफलता।	,,
,,	21.	,,	रक्षा कर्मचारियों के वर्गीकरण अभिकरण का कार्य न करना।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
,,	22.	,,	रक्षा उत्पादन बोर्ड में मजदूरों के प्रतिनिधि का शामिल न किया जाना।	,,
,,	23.	,,	पश्चिम बंगाल, आवडी और कानपुर के उत्पीड़ित रक्षा कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता।	,,
,,	24.	,,	रक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारियों के लिए और अधिक क्वार्टरों की आवश्यकता।	,,
,,	25.	,,	सेना कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में और सुधार करने की आवश्यकता।	,,
,,	26.	,,	रक्षा प्रतिष्ठानों के कैन्टीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी मानने में असफलता।	,,
,,	27.	,,	आयुद्ध कारखानों की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता।	,,
,,	28.	,,	एम० ई० एस० प्रतिष्ठानों में प्रस्तावित छटनी।	,,

1	2	3	4	5
18	29.	**श्री एस० एम० बनर्जी**	रक्षा कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने और उनके वेतनमानों को सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के बराबर लाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
,,	30.	,,	रक्षा प्रतिष्ठानों में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच भेदभाव मिटाने में असफलता।	,,

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे रक्षा व्यय में बहुत वृद्धि हो गई है। 1964–65 में सरकार ने रक्षा पर 805.80 करोड़ रुपये व्यय किये जबकि 1974–75 में यह राशि बढ़कर 2,000 करोड़ रुपये हो गई और 1975–76 के लिए 2,274 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह उचित नहीं है। एक समृद्ध देश में अधिक रक्षा-व्यय का विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां 70 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे रहते हों, रक्षा व्यय लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के भीतर 117 करोड़ रुपय अधिक का प्रस्तावित व्यय चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पोषाहार कार्यक्रम के लिए नियत की गई कुल राशि से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। दूसरे शब्दों में यदि हम रक्षा व्यय में कमी करते तो हमारे लाखों बच्चों को पोषाहार प्रदान किया जा सकता था। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि इस व्यय में कमी करने की काफी गुंजाइश है।

प्राय: हम सुनते रहते हैं कि देश को पड़ोसी देशों के हमलों का खतरा है और इस सम्बन्ध में चीन और पाकिस्तान के नाम लिए गए हैं। हमें इस बात पर सावधानी से विचार करना चाहिए कि क्या इस प्रकार के खतरे सचमुच हैं? 1962 का युद्ध अकसाई चीन की सड़क के कारण हुआ जो चीन के द्वारा एक पक्षीय युद्धविराम से सिद्ध हुआ है। 1962 से अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अतः निकट भविष्य में चीन से युद्ध का कोई खतरा नहीं है।

भारत राष्ट्रीय आय का 14 से 15 प्रतिशत रक्षा पर व्यय करता है जबकि पाकिस्तान का व्यय 50 प्रतिशत है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कभी-कभी आंकड़ों से भ्रम पैदा होता है। उपरोक्त आंकड़ों को देखने मात्र से ही हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। ब्रिटेन के सामरिक अध्ययन संस्थान के प्रतिवेदन के अनुसार भारत की शक्ति पाकिस्तान से कहीं अधिक है। इस विश्लेषण में हिमालय की रक्षा के लिए तैनात

बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

10 डिवीजन शामिल नहीं किये गये हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहने में बहुत कम औचित्य है कि विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में भारत का तीसरा दर्जा है। रक्षा व्यय निश्चित करते हुए हमें अपनी जरूरत तथा अदायगी की क्षमता का मूल्यांकन भी करना चाहिए।

हम पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान स्वयं मुसीबत में है। वह बिलोचिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी सीमांत सम्बन्धी अपने घरेलू मामलों में उलझा है। अतः पाकिस्तान से भी निकट भविष्य में कोई खतरा नहीं है।

इस समय राष्ट्रीय कैडेट कोर कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,61,163 वरिष्ठ कैडेटों तथा 6,50,210 कनिष्ठ कैडेटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 10,11,373 कैडेटों को अग्नि शस्त्रों सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और एक अच्छी योजना द्वारा हम उन्हें ऐसा प्रशिक्षण भी दे सकते हैं जिससे वे देश-रक्षा के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकें। राष्ट्रीय कैडेट की सेवाओं का उपयोग करके हम वर्तमान सेना की संख्या में कमी कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

सेना का उपयोग उन कार्यों के लिए किया गया है जो इसका कार्य नहीं है। सेना का उपयोग लोकप्रिय प्रजातंत्रीय आन्दोलनों को कुचलने के लिए किया गया है जो बहुत अनुचित है।

रक्षा विभाग के प्रतिवेदन से रक्षा मंत्रालय के अधीन चल रहे उत्पादन एककों के कार्य का पता चलता है। पराग टूल्स लिमिटेड तथा गार्डन रीच वर्कशाप पिछले दो वर्षों से घाटे में चल रहे हैं। प्रतिवेदन में इस प्रकार के घाटे तथा अन्य रक्षा उत्पादन एककों की कोई चर्चा नहीं की गयी है लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि इन एककों से 5 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। मंत्री महोदय इस बात की जांच करें कि तथ्यों को इस प्रकार गलत ढंग से सामने क्यों रखा जाता है और प्रतिवेदन में वास्तविक तथ्य क्यों नहीं रखे जाते।

रक्षा विभाग भूमि तथा भवन किराये पर लेने के मामले में पक्षपात करता आ रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

शोषण रहित वर्गविहीन समाज ही किसी देश का सर्वोत्तम रक्षा उपाय है और शत्रुओं के आक्रमण का उत्तर है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिएं तभी देश की सही ढंग से रक्षा हो सकती है।

श्री ब्रजराज सिंह कोटा (झालावाड़) : यह बहुत ही संतोष की बात है कि वर्तमान रक्षा मंत्री काफी समय तक विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। रक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल होना चाहिए। 1947 से अब तक हमें अपने पश्चिमी पड़ोसी देश से चार या पांच युद्ध लड़ने पड़े हैं और प्रत्येक बार हमने देखा कि एक ही देश उसे बार-बार हथियार देता रहा है। अब भी अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार देने सम्बन्धी पाबन्दी हटा दी है। पर क्या यह देश जरूरत पड़ने पर हमें भी हथियार देगा?

रक्षा मंत्रालय ने वेतन, पेंशन, भत्ते, पेट्रोलियम, स्टोर आदि की लागत में वृद्धि की समस्या का विवेचन किया है। हमारे रक्षा बजट की अधिकांश राशि मूल्य वृद्धि में ही खप जायेगी और रक्षा उत्पादन इत्यादि के लिए बहुत कम राशि बचेगी। इस असंतुलन को ठीक किया जाना चाहिए। अतिरिक्त राशि जुटाने की व्यवस्था की जाये ताकि हमारे रक्षा कार्यों को धक्का न पहुंचे। यह भी देखना चाहिए कि किन-किन मदों में कटौती की जा सकती है।

हमें पश्चिम और उत्तर की ओर से खतरा है। दक्षिण-पूर्व से भी एक हवा चल पड़ी है। इस पृष्ठ भूमि में हमारे उत्तर के पड़ोसी सोवियत रूस से बहुत लाभ पहुंचा है। मार्शल ग्रेचको हाल ही में भारत आये थे। मैं उनके दौरे के परिणामों के बारे में जानना चाहता हूं। हमारी वायुसेना में अभी कुछ कमी है। उसे पूरा करना जरूरी है। रक्षा ढांचे में नौसेना के साथ अभी तक सौतेले लड़के जैसा व्यवहार किया गया है। इसे न्यूनतम प्राथमिकता दी जाती है। आज की बदली हुई परिस्थितियों में नौसेना का महत्व बढ़ गया है। आफ-शोर तेल की खोज के बारे में भी नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

हमारी नौसेना कुछ एक मामलों को छोड़ कर पुरानी पड़ गई है। जहाज भी पुराने हैं। नौसेना का विमान-वाहक जहाज 'विकरान्त' केवल नमूनामात्र रह गया है। शक्तिहीन जहाज पर झण्डा लगाने का कोई अर्थ नहीं। विकरान्त के लड़ाकू विमानों और विकरान्त का भी नवीकरण आवश्यक है।

आज हम दूर-मारक पनडुब्बी भेदी टोह विमानों और बमवर्षकों की आवश्यकता महसूस करने लगे हैं। इस बात पर विवाद खड़ा कर दिया गया है कि इस प्रकार के विमानों का संचालन कौन करेगा। रूस, अमरीका, जर्मनी, इटली, जापान आदि देशों में नौसेना ही इन विमानों का संचालन करती है। केवल राष्ट्र मण्डलीय देशों में ही यह मशीन वायुसेना द्वारा संचालित होती है। दूर-मारक पनडुब्बी भेदी यह विमान ही वस्तुतः नौसेना की आंख और कान हैं। नौसेना की इस प्रकार के विमान वाहकों के सम्बन्ध में दीर्घ पृष्ठभूमि है। इसके लिए उसके पास रखरखाव की आवश्यक सुविधाएं होती हैं, विशेष-ज्ञान और चालक होते हैं। कहा जाता है कि नौसेना के पास बहु-इंजन वाले विमानों को चलाने वाले चालक नहीं होते हैं। पर नौसेना के चालकों की तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अतः इन विमानों को नौसेना के अधीन रखने में कोई हानि नहीं है।

मेरा विचार है कि मजगांव गोदी में संतोषजनक प्रगति हुई है। पर हमें यह देखना है कि हमारे फ्रिगेट कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर आगे क्या कार्य होगा। हमें अधिकाधिक गश्ती तथा मिसाइल बोटों का निर्माण करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम अपनी गोदियों पर अपनी ही पनडुब्बियां तैयार कर सकें तथा अन्य पनडुब्बियों और समुद्री जहाजों की हर तरह की मरम्मत यहीं की जा सके।

मैं अब संक्षिप्त में वायु सेना का जिक्र करूंगा। वायुसेना के चार मुख्य कार्य हैं। दूरमारक विभंजन, थल सेना की सहायता करना, शत्रु के विमानों का मुकाबला करना तथा सामरिक परिवहन। थल सेना की मदद के लिए हमारे पास "नैट" हैं जिसको नया नाम 'अंजित' दिया गया है। हमें इन विमानों की आवश्यकता अधिक है क्योंकि इनकी लागत कम है और ये प्रभावशाली अधिक हैं। इन्होंने अपनी क्षमता और उपयोगिता पहले ही सिद्ध

कर दी है। किन्तु बहुत अन्दर तक प्रवेश कर मार करने वाले जहाज हमारे पास नहीं हैं। इस कमी की पूर्ति अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में हमें एंग्लो-फ्रेंच विमान 'जगोर' या फिर मिग 23 अथवा 25 अथवा 'मिराज' प्राप्त करना चाहिए। इनसे ही यह कमी दूर हो सकती है।

परिवहन के लिए हमारे पास केवल डी० सी० 3 और सी० 119 विमान हैं। यद्यपि ये काम चला रहे हैं, फिर भी अधिक उपयोगी विमानों के बारे में विचार करने का यह अच्छा अवसर है।

वर्तमान युद्ध प्रणाली में हेलीकाप्टरों का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। जख्मी सैनिकों को उठाने तथा चिकित्सा उपचार करने की दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसलिए ये हमारे पास अधिक संख्या में होने चाहिएं।

हमने एच० एफ० 24 मारुत बनाया है। इसका डिजाइन बहुत ही शानदार है। इसमें मेक II की क्षमता होनी चाहिए लेकिन हम नहीं जानते इस विमान में यह क्षमता है या नहीं। यदि इस विमान का डिजाइन इस आधार पर बनाया जाय तो यह हमारे डी० जी० एस० ए० लड़ाकू विमान बेड़े का अंग बन जायगा जिसकी कि हमें आवश्यकता है।

हमारे पास एक बेहतर कार्यकुशल और समेकित वायु रक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो कि समय पड़ने पर बहुत तुरन्त कार्यवाही कर सके। हमें प्रक्षेपास्त्रों की सख्त जरूरत है। यह भी देखा गया है कि जमीन से आसमान पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं इसलिए इन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। रडार में वैमानिक चेतावनी देने वाली व्यवस्था आधुनिकतम होनी चाहिए क्योंकि इसी व्यवस्था से शीघ्र सूचना मिल सकती है। और मोर्चों को संकेत मिल सकते हैं।

हमारी सेना बहुत अच्छी और सुदृढ़ है। पर पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान की तुलना में उतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। हम कुछ मामलों में उनसे श्रेष्ठ हो सकते हैं पर इतिहास साक्षी है कि पश्चिमी क्षेत्र में हम इतने श्रेष्ठ नहीं हैं जिससे कि हम यह अनुभव कर सकें कि हम सुरक्षित हैं। हम यह जानते हैं कि हम युद्ध आरम्भ नहीं करेंगे पर यदि हम पर हमला किया गया तो उस समय हम इस स्थिति में होने चाहिएं कि हम न केवल आक्रमणकारी को उसी के क्षेत्र में रोक दें अपितु वह भी कर दिखावें जो हमारा उद्देश्य हो। यह तभी हो सकता है जबकि उस क्षेत्र में हमारा विरोध करने वाले शत्रु की और हमारी सेना में 5 : 1 का अनुपात हो।

मिश्र ने सिद्ध कर दिया है कि जमीन के ऊपर किया गया हर प्रकार के बचाव कार्य पन-गोलों से बेकार किया जा सकता है। पंजाब में दोनों ओर भूमि पर कवच-कार्य पर्याप्त मात्रा में होने जा रहा है। यदि पन-गोलों का उपयोग किया जा सके तो मैं उसकी सिफारिश करूंगा।

भावी युद्धों में टैंक भेदी गाइडेड मिसाइलों का अधिकाधिक उपयोग होगा। पाकिस्तान के पास ये प्रक्षेपास्त्र काफी मात्रा में हैं। हमारे पास भी कुछ हैं, पर उतनी मात्रा में नहीं और उतने आधुनिक और प्रभावशाली भी नहीं हैं जितने कि वस्तुतः होने चाहिए। हमारे पास टैंक-भेदी और स्वचालित तोपें अधिक मात्रा में होनी चाहिएं।

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमने 105 एम० एम० फील्ड गन का विकास किया है। यह एक बहुत ही प्रभावशाली अस्त्र है । इसके लिये निर्यात के अवसर भी विद्यमान हैं। यदि हमें कोई खरीदार मिले तो हमें इसका निर्यात करना चाहिए, और विदेशी मुद्रा अर्जित करनी चाहिए।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत का रक्षा व्यय कुल राष्ट्रीय आय का तीन या चार प्रतिशत है। हमारे जैसे गरीब देश के लिए इस व्यय के लिए कोई औचित्य नहीं है। हमारा वर्तमान रक्षा बजट 2,000 करोड़ रुपये से भी ऊपर का है।

विश्व की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में एशियाई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और संगत है। इस व्यवस्था से पिछले 25 वर्षों में विश्व के अनेक भागों को लाभ हुआ है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। लगभग 50,000 करोड़ रुपये की कुल राष्ट्रीय आय का 14 या 15 प्रतिशत भाग रक्षा व्यवस्था पर व्यय करना हमारे जैसे गरीब देश के लिए एक बहुत बड़ा त्याग है।

हमारी सेना साम्राज्यवादी सेना नहीं है। इसका निश्चित उद्देश्य है और वह है देश की सीमाओं की रक्षा करना। हमारी सीमाएं प्राकृतिक हैं। उत्तर में हिमालय और शेष भाग में 3,500 मील लम्बा समुद्री तट हमारी रक्षा करता है। हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि काफी सीमा तक प्रकृति ने ही हमारी रक्षा की व्यवस्था कर रखी है । इसलिए इन तथ्यों के आधार पर इतना अधिक रक्षा व्यय के लिए हमारे पास कोई औचित्य नहीं है।

सामरिक अध्ययन के निदेशक के अनुसार अप्रैल 1971 के बाद पश्चिमी क्षेत्र पर एक तरह से पाकिस्तान के मुकाबले हमारी सैन्य शक्ति बराबर ही रही है, फिर भी पाकिस्तान की सैन्य शक्ति भारतीय सैनिक शक्ति से कुछ श्रेष्ठ ही है। यदि यह तथ्य है तो रक्षा मंत्रालय ने हमारे पश्चिमी क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है।

हमारी समुद्री तट सीमा 3,500 मील लम्बी है। इसके लिए इस समय हमारे पास तीन नौसेना कमान हैं जो कि कम हैं। हमें यह संख्या बढ़ाकर पांच कर देनी चाहिए। बम्बई और कोचीन के बीच एक कमान स्थापित करना उचित होगा। मैं इसके लिए ताद्री पत्तन का सुझाव दूंगा। यह इस प्रयोजन के लिए एक आदर्श स्थान है।

अभी हाल ही में कुछ राजनीतिज्ञों ने रक्षा कर्मचारियों के बारे में टिप्पणियां की हैं। सेना से अपनी जमीर के मुताबिक आदेशों का पालन न करने का आह्वान किया गया है। इस प्रकार का आह्वान सेना को विद्रोह करने के लिए उकसाने के अलावा कुछ नहीं है। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस प्रकार का आह्वान संवैधानिक या कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है? सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए क्या किया है?

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar): Fortunately or unfortunately I had been in the army. I have the experience of the difficulties faced by soldiers. I suggest that a road from Delhi to Ganganagar *via* Sirsa be provided for the use of defence forces as the existing road is very narrow. Trucks, tanks and heavy vehicles cannot ply on it. Also the broad Gauge line which terminates at Ganganagar should be extended to Bikaner, whatever be the cost. It is essential to extend it keeping in view the defence needs.

Our jawans posted in Jaisalmer, Jodhpur and Bikaner experience a great deal of hardships and difficulties in Summer because of 'loo', hot winds and dust storms. These jawans have not been given the facilities available to their counterparts posted in NEFA and Ladakh. Some facilities should be given to them. Underground water tanks should be provided so that cold water is available to our jawans. The Bikaner-Srikolayat line should be extended to Falodi which will be in the interest of our defence needs.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह सत्य है कि आज हम परम्परागत शस्त्रास्त्रों के मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त कर गये हैं जबकि पाकिस्तान अपनी सभी रक्षा की वस्तुएं विदेशों से खरीदता है। आयुध कारखाना और अनुसंधान कारखानों में काम करने वाले मजदूर, जो रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करने में हर सम्भव उपाय कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। अतः उनमें असन्तोष और रोष की भावना पैदा नहीं होने देनी चाहिए तथा रक्षा बजट में और वृद्धि की जानी चाहिए। हमें देश में युद्ध का भय व वातावरण पैदा नहीं करना चाहिए। श्री भुट्टो यह जानते हैं कि हम पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत हैं। यह सौभाग्य का विषय है कि रक्षा मंत्री ने हाल में न केवल सशस्त्र सेनाओं को अपितु गैर-सैनिक कर्मचारियों को भी रक्षा उत्पादन में अधिक वृद्धि करने का आह्वान किया है। वस्तुतः प्रत्येक आयुध कारखाने में उत्पादन बढ़ा है और बढ़ रहा है। लेकिन रक्षा उत्पादन के विभिन्न कारखानों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। रक्षा उत्पादन बोर्ड में रक्षा कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मंत्री जी को इस में फैडरेशन का एक प्रतिनिधि अवश्य लेना चाहिए।

रक्षा कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय ने वेतन आयोग की सिफारिशें पिछले 23 महीनों से स्वीकार नहीं की हैं। मंत्री जी को इस मामले में वित्त मंत्री से विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उजरती कार्य करने वाले कर्मचारियों को हानि न पहुंचे।

रक्षा कर्मचारियों के लिए वर्गीकरण न्यायाधिकरण के बारे में जब रक्षा मंत्रालय ने हमारा सुझाव मंजूर कर लिया तो कार्मिक विभाग ने दूसरा सुझाव पेश किया कि इससे रेल और डाक-तार कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा और इसलिए इस पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। कार्मिक विभाग इस मामले में बीच में क्यों पड़ा है? मंत्री जी को इसकी जांच करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि वर्गीकरण न्यायाधिकरण अपना कार्य सुचारु रूप से करे।

रक्षा एकक उत्पादन इकाइयां हैं। बोनस के भुगतान के मामले में यह एक विभागीय उपक्रम है। हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को, जो कि विमानों का निर्माण करते हैं, बोनस मिलता है क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम है किन्तु अवादी टैंक फैक्टरी के कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाता क्योंकि यह एक विभागीय उपक्रम है। अब समय आ गया है कि इन कर्मचारियों को प्रोत्साहन के तौर पर बोनस दिया जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों उपक्रमों में कोई अन्तर नहीं है।

1960 की हड़ताल के दौरान, रेल, डाक-तार और रक्षा विभागों की स्थायी समझौता मशीनरी समाप्त कर दी गई थी। हड़ताल के बाद जब वार्ता आरम्भ हुई तो यह व्यवस्था पुनः स्थापित की गई पर रक्षा कर्मचारियों को इससे फिर भी वंचित रखा गया। यह व्यवस्था फिर से आरम्भ की जानी चाहिए। ताकि सभी मामले शान्तिपूर्ण ढंग से हल किये जा सकें।

वेतन आयोग ने रेल और डाक-तार विभाग में विद्यमान ऐसे पदों के लिए जो कि रक्षा विभाग में भी विद्यमान हैं, ऊंचे वेतनमान निर्धारित किये हैं पर रक्षा विभागों को उन्हीं पदों के लिए कम वेतन रखा गया है। मंत्री जी इस पर विचार करें और उन्हें भी वही वेतनमान दें जो रेल और डाक-तार विभाग को दिये गये हैं। यह मामला वर्गीकरण न्यायाधिकरण को सौंपा जाना चाहिए और निपटाया जाना चाहिए।

शंकर समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों में भेद नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक मदों के अलावा अन्य भेदों को भी दूर किया जाना चाहिए।

वास्तविक मजदूर संघ गतिविधियों में लगे कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया गया है। उन्हें सेवा से हटा दिया गया है। इस विषय पर हमें नये सिरे से विचार करना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि श्री मिर्धा और श्री स्वर्ण सिंह फैडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इन मामलों पर निर्णय लें।

आयुध कारखानों तथा अन्य स्थानों पर रक्षा कर्मचारियों की क्वाटरों के मामले में दशा शोचनीय है। एम० ई० एस० के कर्मचारी सम्पूर्ण सेना के लिए क्वार्टरों का निर्माण करते हैं पर उन्हें ही क्वार्टर नहीं मिलते। इन कर्मचारियों को क्वार्टर मिलने चाहिएं। इन्हें अपने क्वार्टर बनाने के लिए ठेका दिया जाना चाहिए।

हमारी और 'इंटक' दोनों फैडरेशनों ने मिलकर अनुरोध किया है कि कैन्टीन कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारी माना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मंत्री जी मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उनका उत्तर दें। मैं उनको अपने सहयोग का आश्वासन देता हूं।

Shri Vishwanath Roy (Deoria) : The Indian soldier ranks first from the view point of Chivalry and sacrifice, but his needs are not much for want of funds. We are still backward in matters of defence hardwares compared to those available with the U.S.A. and Soviet Russia. No doubt we have made tanks, jets and other arms that have fought American arms. The Defence Ministry should be allocated the funds they require. Even if they need more funds their demand must be accepted. The U.S.A. has resumed armed supply to Pakistan. This has proved a danger to our security. To counter this, the demand, of the Ministry should be augmented.

The defence production has increased by several hundred times since the last Chinese agression, but still our borders are not so secured as they should be. China has constructed a road upto Kathmandu which has endangered our security on the northern borders. Therefore the means of defence on the Northern borders and the adjoining areas should be strengthened. At the same time arrangements should be made for the security of the region between Gauhati and Amritsar on our northern borders.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 17 अप्रैल, 1975/27 चैत्र 1897 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, April 17, 1975/Chaitra 27, 1897 (Saka).

232LSS/75—GIPF